द्वितीय माला, खण्ड ९—अंक १३
२७ नवम्बर, १९५७ (बुधवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Third Session)

(खण्ड ९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)
257 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ९--अंक ११ से २०--दिनांक २५ नवम्बर से ६ दिसम्बर, १९५७)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार २५ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२० से ४२६, ४२८, ४२९, ४३२, ४३३, ४३५, ४३७, ४४३ से ४४८ और ४५० से ४५२ . . . ९९९–१०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७, ४३०, ४३१, ४३४, ४३६, ४३८ से ४४१, ४४९ और ४५३ से ४७६ . . . . १०२६–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७९ से ५९८, ६०० से ६४० और ६४२ से ६५४ . . . . . १०४०–७०

स्थगन प्रस्ताव--

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल की दुर्घटना . . १०७०–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र– १०७३–७४

राज्य-सभा से सन्देश १०७४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १०७४

दिल्ली निगम विधेयक तथा दिल्ली विकास विधेयक के बारे में याचिका . १०७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मलावार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कल्लाई में उत्पादन बन्द होना १०७४

नागा पहाड़ियां–तुएनसांग क्षेत्र विधेयक १०७५–९३

विचार करने का प्रस्ताव १०७५

खण्ड २ से ७ और १ . . १०९१–९३

पारित करने का प्रस्ताव १०९३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . १०९४–९७, ११००–०५

२३-११-५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . १०९७–११००

दैनिक संक्षेपिका ११०६–११

अंक १२--मंगलवार, २६ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४७७, ४७९ से ४८३, ४८५, ४८६, ४८८ से ४९३ और ४९८ से ५०१ ११११–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४८४, ४९४ से ४९७ और ५०२ से ५२८ . ११३६–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५५ से ७१७ . ११४९–७७

स्थगन प्रस्ताव—

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना . . . ११७७–७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ११७९

भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ११७९–८०

खण्डवार विचार—खण्ड १–४ स्वीकृत हुए . . ११७९–८०

पारित करने के लिये प्रस्ताव ११८०

कतिपय राज्यों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव– . . ११८०–९७

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा पारित रूप में . ११९७–१२१५

दैनिक संक्षेपिका १२१६–२०

अंक १३—बुधवार, २७ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२८-क, ५२९ से ५३९, ५४१, ५४२, ५५०, ५५२, ५५५ और ५५८ से ५६० . . . १२२१–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४०, ५४३ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५४, ५५६, ५५७, ५६१ से ५६३, ५६५ से ५७९ और ५८१ से ५८५ . . . . . १२४७–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१८ से ७३५ और ७३७ से ७७७ . १२६१–८७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२८७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १२८८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बसवां प्रतिवेदन १२८८

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १२८८–१३२०

खण्ड २ से ५८ . . १३०५–२०

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . १३२०–२६

दैनिक संक्षेपिका १३२७–३१

अंक १४—गुरुवार, २८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ से ५९४, ५९७, ५९८, ६०० से ६०५, ६०९ और ६११ से ६१७ . . . १३३३–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५, ५९६, ५९९, ६०६ से ६०८, ६१० और ६१८ से ६२९ . . . . . . १३६०–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ से ७८२, ७८४ से ८३२ और ८३४ से ८४१ . . . १३६७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

फर्रुखाबाद कानपुर सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना . . . १३८९-९०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०

पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०–९१

वित्त मंत्री की, विदेश यात्रा सम्बन्धी उन के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . . १३९१–९९, १४००–१२

सभा का कार्य १३९९–१४००

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक . . . १४१२–३९

खण्डवार विचार . . . १४१२–२५

दैनिक संक्षेपिका १४३५–३९

अंक १५—शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३४, ६३६ से ६४१, ६४३, ६४४, ६४७ से ६५१, ६५७ और ६५९ से ६६३ . . . १४४१–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३५, ६४२, ६४५, ६४६, ६५२ से ६५६, ६५८ और ६६४ से ६६९ . . . . . . १४६७–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२, ८४३, ८४५ से ८६२, ८६४ से ८७५ और ८७७ से ९११ . . . ९४७३–१५००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी में हड़ताल की धमकी . . . १५००

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५००–०१

राज्य-सभा से सन्देश १५०१

हिमाचल प्रदेश में बस दुर्घटना १५०१–०२

सभा का कार्य १५०२

	पृष्ठ
भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक .	१५०३–१५
विचार करने का प्रस्ताव	१५०३
खण्ड २ से १५ और १	१५१३
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१३
अफ़ीम विधि (संशोधन) विधेयक	१५१५–२१
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१५
खण्ड २ से ६ और १ . .	१५२०–२१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१५२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
दसवां प्रतिवेदन . . .	१५२१
कॉंस्टग परिणामों के प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षा को निमंत्रित करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प	१५२१–२६
बौद्धधर्म अपनाने वालों के लिये संरक्षणों के बारे में संकल्प .	१५२६–३६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . .	१५३६–३७
दैनिक संक्षेपिका	१५३८–४२
अंक १६--सोमवार, २ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० से ६७७, ६८१, ६८३, ६८४, ६८६, ६८७, ६८९, ६९०, ६९२, ६९३ और ६९५ से ६९९	१५४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ से ६८०, ६८२, ६८५, ६८८, ६९१, ७०० से ७११, २६८ और २७८ . . .	१५६६–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९१२ से ९३०, ९३२ से ९३६ और ९३९ से ९७०	१५७४–१६००
श्री रहीमतुल्ला चिनाय का निधन . .	१६००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	१६००–०१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	१६०१
कार्य मंत्रणा समिति--	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६०१
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१६०१–०२
समितियों के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	१६०२–०३
कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक-- पुरःस्थापित किया गया .	१६०३

पृष्ठ

छावनियां किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में १६०३–०६

विचार करने का प्रस्ताव १६०३
खंडवार विचार १६०६
पारित करने का प्रस्ताव १६०६
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६१०–१६
दैनिक संक्षेपिका १६१७–२१

अंक १७—मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ से ७१८, ७२०, ७२३ से ७२९, ७३१, ७३२, ७३४, ७३५, ७३७, ७४१ और ७४० . १६२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२१, ७२२, ७३०, ७३३, ७३६, ७३८, ७३९, ७४२ से ७५७ और ७५९ से ७६३ . . . १६४८–५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से १०४१ . . . १६५९–८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८९–९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १३९०

कार्य मंत्रणा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन १६९०

भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में . . . १६९०
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६९१–१७३०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . १७३०
काजू उद्योग पर आधे घंटे की चर्चा १७३०–३४
दैनिक संक्षेपिका १७३५–४०

अंक १८—बुधवार, ४ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ से ७७१, ७७३, ७७६, ७७७, ७७९, ७८०, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९१ से ७९४ और ७९८ से ८०१ १७४१–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२, ७७४, ७७५, ७७८, ७८१, ७८२, ७८५, ७८८, ७९०, ७९५ से ७९७, ८०२ से ८०७, ८०९ से ८१३ और ३४९ १७६८–७७

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४८, १०५० से १०८४, १०८६ से १०९६, १०९८ से ११२३ और ११२५ से ११३१ .	१७७७–१८१३
जीवन बीमा निगम के विनियोजन पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना के बारे में	१८१३–१४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८१४
राज्य-सभा से सन्देश	१८१४
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१८१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत के संविधान की मुद्रित प्रतियों के जलाये जाने का समाचार	१८१५
तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि . .	१८१५–१६
तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के बारे में वक्तव्य . . .	१८१६
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	१८१६
पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक	१८१६–२६
विचार करने का प्रस्ताव	१८१६
खण्ड १ से ८	१८२५
पारित करने का प्रस्ताव	१८२५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक .	१८२६–२७
विचार करने का प्रस्ताव	१८२६
खण्ड १ से ३	१८२७
पारित करने का प्रस्ताव	१८२७
जीवन बीमा निगम के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१८२८–४८
दैनिक संक्षेपिका	१८४९–५४

अंक १९—गुरुवार, ५ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२१, ८२३, ८२४, ८२६, ८२९, ८३१, ८३५ से ८४०, ८४२ से ८४४ और ५४७ . .	१८५५–८०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१८८१–८२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२२, ८२५, ८२७, ८२८, ८३०, ८३२ से ८३४, ८४१ और ८४५ . १८८२–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ से १२१० १८८५–१९१७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९१७

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—पुरःस्थापित १९१७–१८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—पुरःस्थापित . १९१९–२०

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक— १९२०–३१

विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

खंड १ से ३ . . १९३१–३२

पारित करने का प्रस्ताव . . १९३२

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक १९३२–४६

विचार करने का प्रस्ताव १९३२

खंड १ से ७ . १९४६

पारित करने का प्रस्ताव १९४६

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९४६–५१

विचार करने का प्रस्ताव १९४६

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन १९५०

दैनिक संक्षेपिका १९५२–५६

अंक २०—शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ से ८५३, ८५५ से ८६१, ८६४, ८६६ से ८६८, ८७०, ८७१, ८७४ और ८७५ १९५७–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १९८४–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५४, ८६२, ८६३, ८६५, ८६९, ८७२, ८७३, ८७६ से ८९९ और ४४२ १९८५–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ से १२२७ और १२२९ से १२९२ १९९८–२०३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०३३–३४

वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . २०३४

सभा का कार्य २०३४

	पृष्ठ
आसाम के तेल निक्षेपों से तेल निकालने के लिये रुपया समवाय बनाने के बारे में वक्तव्य	१०३५
भारत की क्षय रोग सन्था की केन्द्रीय समिति के लिये निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	२०३६
दण्ड-विधि संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	२०३६
संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२०३६–३७
सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित	२०३७
डफरिन की काउन्टेस निधि विधेयक—पुरःस्थापित	२०३७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	२०३८
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक —	
विचार के लिये प्रस्ताव	२०३८–५५
खण्ड २ से १८ तथा १ . .	२०४६–५४
संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव	२०५४
मंजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२०५५–५६
समान पारिश्रमिक विधेयक—पुरःस्थापित	२०५६
बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव .	२०५६–६३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने के लिए प्रस्ताव .	२०६३–७१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक—	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	२०७१–७३
आधे घंटे की चर्चा—	
खाद्यान्नों पर अग्रिम धन	२०७३–७७
दैनिक संक्षेपिका	२०७८–८४

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, २७ नवम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

म्यूर मिल्स, लिमिटिड, कानपुर[1]

+

†*५२८. क { श्री स० म० बनर्जी :
श्री गंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर, में लगभग ६००० मजदूरों को काम से अलग रखा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि मजदूरों को अक्तूबर, १९५७ से मजूरी नहीं मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निदेश जारी कर दिये गये हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). यह विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । म्यूर मिल्स के कर्मचारियों को वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों के कारण ही २८-९-१९५७ से २-११-१९५७ तक काम से अलग रखा गया था । वह मिल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुत प्रबन्धक बोर्ड के अधीन थी । उत्तर प्रदेश के मख्य मंत्री के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप निर्णय हो गया था और इसलिये उस मिल में २-११-१९५७ से फिर से काम आरम्भ हो गया है ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन मजदूर 'काम से अलग रखे जाने का भत्ता'[2] प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Muir Mills Ltd. Kanpur.

[2] Lay off compensation.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†श्री स० म० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस मिल के मालिकों ने यह घोषणा की है कि वे २-११-१९५७ से पहले की अवधि के लिये मजूरी देने के लिये जिम्मेवार नहीं हैं; और यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने मजूरी अधिनियम के अदायगी सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण उन मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

†श्री आबिद अली : जैसा कि मैं ने पहले बताया है, वह विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, और मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का श्रम विभाग इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही कर रहा होगा ।

†श्री स० म० बनर्जी : इस मिल के अस्थायी रूप से बन्द हो जाने और मजदूरों को निरन्तर काम से अलग रखे जाने के कारणों की जांच करने के लिये यहां भी एक समिति वैसे ही नियुक्त की जा रही है जैसे कि कानपुर काटन मिल्स के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी थी ?

†श्री आबिद अली : हम जानते हैं कि उस मिल के अस्थायी रूप से बन्द होने के क्या कारण थे, और इसलिये इसके लिये समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचार किया गया है और उसने एक प्रबन्ध बोर्ड नियुक्त कर दिया है जो अब मिल के काम की देख भाल करेगा ।

†श्री तंगामणि : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह कानपुर की एक बहुत बड़ी मिल है जिसमें लगभग ७००० मजदूर काम कर रहे हैं, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने कानपुर काटन मिल्स के मामले में इतनी रुचि नहीं ली थी, क्या यहां भी सरकार उसी प्रकार की एक समिति नियुक्त करेगी ताकि न ही केवल मिल ही अच्छी प्रकार से चलती रहे अपितु मजदूरों को बकाया मजूरी भी दिलायी जा सके ?

†श्री आबिद अली : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

†श्री पट्टाभिरामन : क्या इस गवेषणा में थोड़े समय के लिये नियोजित व्यक्तियों की संख्या भी सम्मिलित है ?

†श्री आबिद अली : वहां पर गवेषणा की कोई बात ही नहीं है ।

बेरोजगारी का सर्वेक्षण

†*५२९. श्री वी० चं० शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३ से, जब से गवेषणा कार्यक्रम समिति की स्थापना हुई थी, उसके तत्वावधान में बेरोजगारी का कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या आंकड़े इकट्ठे करने में सहायता करने वाले गवेषणा निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई राशि निर्धारित की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) बेरोजगारी सम्बन्धी दो सर्वेक्षण किये गये हैं—एक त्रावणकोर कोचीन में और दूसरा आसाम में । इसके अतिरिक्त गवेषणा कार्यक्रम समिति के तत्वावधान के अधीन किये जा रहे २१ नगरों के सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के भाग के रूप में उनके बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े भी इकट्ठे किये गये हैं ।

(ख) आसाम में बेरोजगारी सम्बन्धी प्रतिवेदन को प्रकाशित कराने के लिये उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है । त्रावणकोर कोचीन सम्बन्धी बेरोजगारी का प्रतिवेदन इतना संतोषजनक नहीं है कि उसे प्रकाशित कराया जा सके। जहां तक नगर सर्वेक्षणों का सम्बन्ध है उनमें से पूना और हैदराबाद सिकन्दारबाद के सर्वेक्षण प्रकाशित कराये जा चुके हैं। बड़ौदा का प्रतिवेदन इस समय छप रहा है । शेष नगर सर्वेक्षण अभी तैयार हो रहे हैं ।

(ग) उन संस्थाओं को, जिन्होंने बेरोजगारी सम्बन्धी दो सम्पूर्ण सर्वेक्षण तैयार किये थे, सहायक अनुदान के रूप में २८,६५० रुपये दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त २१ नगर सर्वेक्षणों के निदेशकों को भी १४.७ लाख रुपये दिये गये हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सर्वेक्षण केवल बड़े बड़े शहरों का ही होगा या कि देश के कुछ एक कस्बों और बड़े बड़े ग्रामों का भी सर्वेक्षण किया जायेगा ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : मैं ने प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में बता दिया है कि बड़े पैमाने पर तो अभी तक बेरोजगारी सम्बन्धी दो ही सर्वेक्षण किये गये हैं—एक त्रावणकोर-कोचीन में और दूसरा आसाम में। वे केवल बड़े बड़े नगरों तक ही सीमित नहीं हैं । केवल सामाजार्थिक सर्वेक्षण २१ नगरों में हुआ है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जायेगा ; और यदि हां, तो किस किस विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य बेरोजगार स्नातकों से है ।

†श्री श्या० नं० मिश्र : नगरों के समाजार्थिक सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में हम विश्वविद्यालयों की स्थिति की भी एक झलक पा सकते हैं । परन्तु, फिलहाल हमारे सामने केवल विश्वविद्यालयों से ही सम्बन्ध रखने वाली ऐसी कोई भी योजना नहीं है ।

†श्री च० द० पांडे : क्या बेरोजगारी के सम्बन्ध में यह परीक्षण करने के बाद सरकार को अब संतोष हो गया है कि अब देश में बेरोजगारी पहले की अपेक्षा कम हो गयी है, और यदि नहीं, तो बेरोजगारी की इस समस्या को कम करने के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है ।

†श्री च० द० पांडे : परन्तु एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†श्री श्या० नं० मिश्र : महत्वपूर्ण अवश्य है, परन्तु है बड़ा व्यापक ।

†श्री त्यागी : क्या ये सर्वेक्षण वास्तव में तथ्यों तर आधारित हैं या कि केवल नमूने के तौर पर वैसे ही कर लिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या वे सर्वेक्षण केवल नमूने के तौर पर किये गये थे, या कि किसी क्षेत्र विशेष के सभी आंकड़ों को ध्यान में रख कर किये गये पूर्ण सर्वेक्षण हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस प्रकार के सर्वेक्षण सदा नमूने के तौर पर ही किये जाते हैं ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या इस सर्वेक्षण में काम दिलाऊ दफ्तरों में जीवद्ध बेरोजगार व्यक्तियों की संख्यायें भी सम्मिलित है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : वास्तव में अनुसंधान करने वाले इन अधिकारियों द्वारा काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टरों की जांच की जाती है । इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तत्वावधान में नगरों में एक और सर्वेक्षण भी किया गया था । इन सर्वेक्षणों में काम दिलाऊ दफ्तरों के आंकडों की भी जांच करने का प्रयत्न किया जाता है ।

†**डा० क० ब० मेनन** : सरकार ट्रावनकोर-कोचीन सम्बन्धी सर्वेक्षण को यदि प्रकाशित नहीं करा रही है तो भी क्या माननीय मंत्री उस क्षेत्र के कम से कम बेरोजगारी के आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : कहां के ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि त्रावनकोर-कोचीन में बेरोजगारी की प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी, नहीं । डा० नायर के प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिये मंजूरी न देने का यही कारण है कि उस में रोजगारी तथा बेरोजगारी के कुछ एक मापमानों में मतैक्य नहीं था । इसलिये डा० नायर की जांच पर आधारित कोई भी आंकड़े बताने में कठिनाई है ।

†**श्री बोस** : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि त्रावनकोर-कोचीन सम्बन्धी प्रारूप प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि वह प्रतिवेदन किस दृष्टि से असंतोषजनक है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र**: मैं ने अभी अभी यह बताया था कि कुछ एक मापमानों तथा परिभाषाओं में मतैक्य नहीं था । हमने उनसे प्रार्थना की थी कि वे दिये गये सुझावों के अनुसार उसका पुनरीक्षण कर दें, परन्तु वैसा नहीं किया गया ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या 'बेरोजगारी' शब्द में 'कम-रोजगारी' भी सम्मिलित है, अथवा इसमें केवल वास्तविक बेरोजगारी ही सम्मिलित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का तात्पर्य क्या है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं यह पूछना चाहता था कि क्या...

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका तात्पर्य बेरोजगारी से ही है । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांधी समाधि का डिजाइन

†*५३०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री केशव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २८ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजघाट पर बनायी जाने वाली गांधी जी की समाधि के नये डिजाइनों को मंजूरी देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त डिजाइनों की विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या कोई योजना प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि डिजाइनों के निर्धारकों और सरकार में किस किस बात पर मतभेद है; क्योंकि इसी मतभेद के कारण ही तो निर्णय करने में इतनी देर लग रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मतभेद का कोई प्रश्न ही नहीं है । आपको स्मरण होगा कि पिछले सत्र में मैं ने यह उत्तर दिया था कि निर्धारिकों के बोर्ड ने तो अपनी सिफारिशें भेज दी हैं । सरकार यह चाहती थी कि सब से पहले प्रस्तुत किया गया बड़े साइज का नमूना ही स्वीकार किया जाये । बड़े साइज के दो नमूने तैयार किये गये हैं और अब उन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राधा रमण** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार उन्हीं दो बड़े साइज के नमूनों के ही पक्ष में हैं, क्या निर्धारिकों के बोर्ड ने उनके बारे में कोई अपनी राय प्रकट की है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : निर्धारिकों के बोर्ड ने पहले ही, अपनी सिफारिशें भेज दी हैं । सरकार यह चाहती थी कि उसके नमूने बनाये जायें ताकि सरकार योजना के व्योरों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करने के बाद डिजाइनों के बारे में निर्णय कर सके । जैसा मैंने बताया है, नमूने अभी हाल ही में तैयार हुए हैं और अब उन पर विचार किया जा रहा है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

*५३१. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम दिलाऊ दफ्तरों में क्लर्कों के कार्य के लिये नाम दर्ज करना बिलकुल बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नाम दिल्ली एक्स्चेंज में लिखाए हैं ?

श्री आबिद अली : यह तो बहुत से हैं, संख्या के लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री नवल प्रभाकर : पिछले एक वर्ष में ऐसे कितने आदमियों को एम्प्लायेमेंट दिया गया ?

श्री आबिद अली : यह फिगर्स कई दफे यहां पेश कर दिए गए हैं। अगर आनरेबल मेम्बर को उन की और जरूरत है तो नोटिस दें, वह पेश कर दिए जायेंगे ।

वित्त मंत्री की 'न्यूयार्क टाइम्स' के संवाददाता से भेंट

+

श्री कुमारन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नरायणन् कुट्टि मेनन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री खुशवक्त राय :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री वाजपेयी :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री विमल घोष :
श्री श्री० अ० डांगे :
श्री परूलेकर :
श्री साधन गुप्त :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री पाणिग्रही :
श्री नाना पाटिल :
श्री मतेरा :
श्री गोरे :
श्री घोषाल :
श्री जाधव :
श्री याज्ञिक :
श्री सरजू पांडे :
श्री दशरथ देव :
श्री प्रभात कार :
श्री स० म० बनर्जी :

†मूल अंग्रेजी में

श्री तंगामणि :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हाल्दर :
श्री बाला साहेब पाटिल :
श्री सुगन्धि :
†*५३२. श्री बा० चं० कामले :
श्री वि० दास गुप्त :
श्री फतहसिंह घोडासर :
श्री नाथ पाइ :
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री कोडियान :
श्री कुन्हन :
श्री दे० वें० राव :
श्री राममं :
चौ० प्र० सिं० दौलता :
श्री पुन्नूस :
श्री वि० राजू :
श्री अमजद अली :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री नौशीर भरूचा :
श्री माने :
श्री द० अ० कट्टी :
श्री वारियर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री शिव राज :
श्री बीरेन राय :
श्री वें० प० नायर :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री ह० रा० सोनुलें :
श्री सम्पत :
श्री यादव :
श्री आसर :
श्री द्रोहड़ :
श्री वैं० च० मलिक :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वित्त मंत्री, श्री ति० त० कृष्णमाचारी के उस वक्तव्य की ओर गया है जो कि उन्होंने वाशिंगटन रवाना होने से पहले "न्यूयार्क टाइम्स" के संवाददाता के साथ हुई एक भेंट के दौरान में दिया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस वक्तव्य के परिणामस्वरूप भारत की विदेशी नीति के मूलभूत सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन प्रतीत होता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धान्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है । वित्त मंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका अर्थ यह हो कि भारत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है और यह बात उन्होंने और प्रधान मंत्री ने इस बीच स्पष्ट कर दी है ।

†**श्री कुमारन** : इस बात को देखते हुए कि "न्यूयार्क टाइम्स" के संवाददाता ने, जिसने श्री कृष्णमाचारी से मुलाकात की थी, कई बार यह कहा है कि समाचार पत्र में प्रकाशित वक्तव्य उस मुलाकात का शब्दशः उद्धरण है और इस बात को भी देखते हुए कि इस विवाद के सम्बन्ध में लोगों के मन में काफी संभ्रम है, क्या सरकार श्री कृष्णमाचारी को यह परामर्श देगी कि वे प्रधान मंत्री की आड़ न ले अपितु इस घटना के सम्बन्ध में जो संभ्रम उत्पन्न हो गया है उसे दूर कर दें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ख्याल है कि पहली बात, अर्थात् कि मुलाकात हुई थी, सच है । दूसरी बात आंशिक रूप से सच हो सकती है । इसका प्रमाण यह प्रश्न है कि कई सदस्य भी इस विषय के बारे में भ्रम में पड़ गये थे । अन्यथा उन्होंने यह प्रश्न न किया होता । जहां तक तीसरी बात का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य वित्त मंत्री के भाषणों को, जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी दी गई होंगी अच्छी तरह पढ़ें तो मेरा ख्याल है उनका भ्रम दूर हो जायेगा ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या यह सच है कि माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि भारत अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को सुदृढ़ करना चाहता है इसका एक कारण यह है कि वह जनवादी चीन और सोवियत संघ के संभाव्य आक्रमण से बचना चाहता है और क्या इस बात से भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन लक्षित नहीं होता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी राय में माननीय सदस्य की पहली बात बिलकुल सही नहीं है । मेरा ख्याल है कि वित्त मंत्री ने यह कहा ही नहीं । संभव है उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी हो जिसका यह अर्थ भी लगाया जा सकता हो ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या वहां दिये गये वक्तव्य में यहां के कम्युनिस्ट दल के नेता के बारे में कोई उल्लेख किया गया था, और यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री वित्त मंत्री से उक्त वक्तव्य के उस अंश को अस्वीकार कर देने के लिये कहेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कम्युनिस्ट दल के बारे में उल्लेख ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दल के नेता के बारे में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ख्याल है कि कम्युनिस्ट दल के नेता के बारे में इस सभा में उल्लेख हुआ था । उसे अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं है । उल्लेख अवश्य किया गया था ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या वित्त मंत्री ने अपने देश के सोवियत संघ और चीन जैसे देशों के साथ कटु सम्बन्ध की कल्पना कर के उस मुलाकात के उस समाचार को स्पष्टतः अस्वीकार किया है और यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री को उस बात को इस प्रकार स्पष्टतः अस्वीकार कर देने का निर्देश दिया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आप दे सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दोनों मंत्रियों से उत्तर देने के लिये कहूंगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं इतना ही कहूंगा कि वित्त मंत्री को स्पष्टत: अस्वीकार करने के लिये कहने में माननीय सदस्य का क्या आशय है यह मेरी समझ में नहीं आया । एक मुलाकात हुई जिस में काल्पनिक प्रश्न पूछे गये थे और संभाव्य स्थिति पर विचार किया गया था और माननीय वित्त मंत्री ने उस सम्बन्ध में कुछ कहा था । यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे हम दूर कर सकते हैं । माननीय मंत्री की धारणा क्या है यह बात माननीय सदस्य जानना चाहते हों तो मैं नहीं कह सकता । माननीय सदस्य उन भाषणों को पढ़ कर जान सकते हैं कि माननीय मंत्री ने क्या बातें कहीं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : स्थिति इस प्रकार है । माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं स्पष्टत: इन्कार कर दूं, किन्तु किस बात से ? मान लिया जाये कि मैं ने, जैसा कि मुझ पर आरोप लगाया गया है, कुछ बातें कहीं । मैं उस युवक के साथ अन्याय नहीं करना चाहता जिस ने मुझ से मुलाकात की और उसे प्रकाशित किया । मेरा ख्याल है कि मुलाकात पन्द्रह बीस मिनट की रही होगी और उस ने मुलाकात को नाटकीय ढ़ंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । ऐसा करते समय उस ने, अपनी राय में, मेरी बातों का निष्कर्ष निकाला है । किन्तु मेरा ख्याल है माननीय सदस्य, यदि उस का यह अर्थ निकालते हैं कि उस ने यह कहा कि मैं ने कम्युनिस्ट चीन और सोवियत रूस के विरुद्ध भारत के संघर्ष की कल्पना की थी, तो यह बात उस युवक की साधारण बुद्धि के प्रति अन्याय होगा । वस्तुत: मैं ने रूस का कोई उल्लेख ही नहीं किया । सम्भवत: मेरा अभिप्राय वस्तुत: यह था कि जहां तक चीन का सम्बन्ध है, उस से कोई झगड़ा होने का मौका नहीं है । किन्तु यह बिल्कुल सम्भव है—परन्तु किसी को इस का पता नहीं है—हम ने बर्मा में भी कुछ गड़बड़ देखी है—कि सीमान्त के क्षेत्रों में कुछ गड़बड़ हो जाये । उस दशा में मैं ने इस बात का जिक्र किया था कि भारत में हमारे कुछ मित्र उस गड़बड़ से लाभ उठा सकते हैं । यह बात सच है कि मैंने इस का उल्लेख किया था और मेरे विचार में इस से इन्कार करने से कोई लाभ भी नहीं है । परन्तु जहां तक किसी ऐसी विदेशी शक्ति का सम्बन्ध है, जिस का भारत के प्रति मित्र भाव है अथवा जिस के भविष्य में मित्र बने रहने की सम्भावना है, मैं यह अवश्य कहूंगा कि उस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से इन्कार किया जा सकता है और किया जाना चाहिये और मैं इस अवसर पर वही कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह एक मूलभूत प्रश्न है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय**: यदि किसी माननीय मंत्री द्वारा किसी से कोई भेंट भविष्य में की जाये और कोई संवाददाता उस भेंट का हाल छापे, तो मैं भविष्य में प्रत्येक माननीय सदस्य को यहां आ कर मंत्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करवाने के लिये कहने को इस सभा को एक मंच के रूप में प्रयोग में करने की आज्ञा नहीं दूंगा । उदाहरणार्थ, समाचारपत्रों में कोई समाचार छपता है, तो उस समाचार का या तो खण्डन कर दिया जायगा या उसे स्पष्ट कर दिया जायेगा । मंत्री सर्वदा सजग रहते हैं क्योंकि किसी ऐसे अन्य देश का इस बात से सम्बन्ध है जो कि हमारे प्रति मित्र भाव रखता है । उन्हों ने इस का उल्लेख भी किया है—और किन्हीं व्यक्तियों के मन में इस के बारे में कोई भ्रान्ति या गड़बड़ पैदा हो गयी थी

†मूल अंग्रेजी में

तो वे इसे स्पष्ट करवाना चाहते थे। और मैं ने इस प्रश्न को पूछने की आज्ञा दे दी। अब उन्हों ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि उन का कभी भी यह अभिप्राय नहीं था और यह बात उन के अभिप्राय से कतई दूर है और उन्हों ने ऐसा कह भी दिया है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं एक बात जानना चाहता हूं। यदि वित्त मंत्री महोदय किसी सम्वाद-दाता के उस वक्तव्य से इन्कार करते हैं जिस से कि हमारे देश के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध में गड़बड़ होगी। तो इस का प्रतिकार क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिये तो मैं ने इस प्रश्न को पूछने की आज्ञा दी थी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उस व्यक्ति का क्या हुआ जिस ने कि यह वक्तव्य दिया था। प्रश्न पूछने की आज्ञा तो दी गयी और वक्तव्य के बारे में इन्कार कर दिया गया। परन्तु उस सम्वाददाता का क्या हुआ जिस ने कि एक ऐसा समाचार दिया है जिस के बारे में, वित्त मंत्री के कथनानुसार उन्होंने कभी विचार भी नहीं किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को विदित है कि यदि सभा में कोई वक्तव्य दिया जाये और कोई सम्वाददाता उस का गलत प्रतिवेदन करे तो निश्चय ही मैं अवश्य उचित कार्यवाही करूंगा क्योंकि यह तो इस सभा की कार्यवाही का गलत प्रतिवेदन करना होगा और यह इस सभा का विशेषाधिकार है। जहां तक बाहर के वक्तव्यों का सम्बन्ध है, सदस्यगण जो कुछ कर सकते थे वह सब उन्हों ने यहां कर लिया है। और माननीय मंत्री ने उस का खण्डन कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस से अधिक और क्या किया जा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : 'न्यूयार्क टाइम्स' के सम्वाददाता श्री-रोजनथाल ने इस का जवाब दिया था। जो समाचार उन्हों ने पत्र में दिया था वह उस पर अब भी कायम हैं। इस के साथ ही वह कहते हैं कि वह शेष बात वित्त मंत्री की आत्मा पर छोड़ देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये मैं यह चाहता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे वास्तव में इस पर आश्चर्य हो रहा है। वह व्यक्ति अब भी इस पर अड़ा हुआ है कि वह ठीक है। वित्त मंत्री कहते हैं कि वह ठीक हैं। मैं उस व्यक्ति की अपेक्षा वित्त मंत्री के शब्दों पर अधिक विश्वास करता हूं। वित्त मंत्री ने सभा के अन्दर और बाहर दोनों जगह ही स्पष्ठ रूप से यह कहा है कि ऐसी बात नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य मुझ से और इस सभा से यह कह कर कि न्यूयार्क टाइम्स का संवाददाता ठीक है यह चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा होने दी जाये। मैं इस विषय को रखने के लिये कोई व्यक्तय देने की अनुमति नहीं दूंगा। .... **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री हेम बरुआ** : प्रैस में इससे काफी चकचक हुई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब क्या किया जा सकता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : भविष्य में हमें टेप रिकार्डर रखने पड़ेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप जो करना चाहें कीजिये। हम क्या कर सकते हैं ?

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या मैं यह बता सकता हूं कि यह इन्कार .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सम्बन्ध में और किसी प्रश्न की आज्ञा नहीं दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि वे इस प्रकार इकट्ठे खड़े होने की अपेक्षा सभा से बाहर रहें तो अच्छा है। माननीय सदस्यों को इस प्रकार खड़े नहीं होना चाहिये, यह तो एक बात हुई और उस के बाद जब तक मैं उनका नाम न पुकारूं, उन्हें बोलना नहीं चाहिये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मेरा निवेदन है कि आप ने इस प्रश्न की अनुमति देते हुए इस क्रम पत्र पर रखे जाने की आज्ञा दे दी थी। लगभग ५० सदस्यों ने इस प्रश्न पर हस्ताक्षर किये हैं। क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये हम चाहते थे . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे समझाने की जरूरत नहीं, वह कह सकते हैं कि प्रश्न महत्वपूर्ण था और मैं ने उस की अनुमति दे दी थी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : बात यह है कि भेंट की रिपोर्ट देने वाला सम्वाददाता अपनी बात पर पक्का है और वित्त मंत्री महोदय बार बार उस का प्रतिवाद कर चुके हैं, इस हालत में, क्या इस सदन का यह हक नहीं कि वह पूरी जानकारी प्राप्त करे। इसलिये मेरा प्रधान मंत्री से कहना है कि वह जानकारी प्राप्त कर के आज नहीं तो कल या परसों तक हमें दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह कह चुके हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सदन के नियम कुछ भी हों, उस का निर्वचन आप का काम है। हम उस में अथवा सदस्यों के मन में कोई किसी और समस्या की व्याख्या में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। व्यक्तिगत रूप से जहां तक मुझे इस सम्बन्ध में पता है मैं इस का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूं, चाहे मामले का सम्बन्ध इस बात से हो अथवा दूसरी बात से। सच यह है कि मैं तो इस प्रश्न का स्वागत करता हूं क्योंकि इस से हमें स्थिति की स्पष्ट जानकारी देने का अवसर मिलेगा। मामले को काफी साफ कर दिया गया है। सब से पहले यदि सदन को कोई सन्देह हो तो उस का कोई आधार नहीं। यदि है तो उसे बिलकुल नहीं रहना चाहिये क्योंकि किसी व्यक्ति का इरादा हमारी नीति को बदलने का नहीं।

पिछले प्रश्न में, मेरे मित्र श्री हीरेन मुकर्जी ने 'न्यूयार्क टाइम्स' के समाचार का उल्लेख किया है। एक बात को वित्त मंत्री ने गलत और रिपोर्ट लेने वाले सम्वाददाता ने ठीक कहा है। सम्वाददाता के सम्बन्ध में शायद हीरेन मुकर्जी को अधिक जानकारी होगी। मुझे इस अखबारी दुनिया का भी कुछ थोड़ा सा अनुभव है। अपनी जवानी के दिनों में जबकि बुद्धि अधिक नहीं होती, मैं ने भी कुछ हद तक अखबारी दुनिया का अनुभव प्राप्त किया है। इधर उधर से एक शब्द को पकड़ कर यह स्पष्ट रूप से कह देना कि आप ने झूठ बोला है न सम्वाददाता के लिये ही अच्छी बात है और न उन के अथवा किसी और के लिये ही। यहां हम सभी विभिन्न दृष्टिकोणों से मामलों पर विचार करते हैं। कई कई शब्दों के कई कई अर्थ निकाले जाते हैं। किसी बात के कहे जाने का पूरा रिकार्ड तो किया नहीं जाता। वित्त मंत्री की बात सुनने के बाद मेरा मत यह है कि सम्वाददाता ने बात को गलत समझा है। परन्तु मैं यह कहने को तैयार नहीं कि यह उस ने जान बूझ कर किया है और जान बूझ कर किसी बात को गलत कह रहा है। कई बार बातचीत में किसी बात को किसी पर स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। जब हमारे मन में कुछ होता है और दूसरे के कुछ और, तो गलत फहमी स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये। इस से कोई लाभ नहीं कि हम एक दूसरे को झूठा कहते चले जायें। हां, कोई और उद्देश्य

---

†मूल अंग्रेजी में

हो तो दूसरी बात है। हम ने उसे लाने में संकोच किया है, परन्तु माननीय सदस्यों को पूरा हक था कि वे स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते और मुझे आशा है कि अब मामला स्पष्ट हो भी गया होगा।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ सम्भव था कर दिया गया है।

भूमि सुधार

+

†*५३३. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री दामानी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय आधार पर कोई ऐसी गणना करने का इरादा रखती है जिस से यह पता लग सके कि किस सीमा तक विभिन्न भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्य और योजनायें विचाराधीन हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) सरकार इस आवश्यकता के प्रति काफी सचेत है कि इस बात की शीघ्र जांच होनी चाहिये कि देश में भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमित विभिन्न कानूनों को अब तक किस मात्रा तक क्रियान्वित किया गया है। इस उद्देश्य के लिये, योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति ने भूमि सुधार निर्देश समिति की स्थापना की है, ताकि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों की प्रगति और प्रवर्तन के सम्बन्ध में जांच करने के सिद्धान्तों को एकरूपता दी जाये। और यह भी पता लगाया जाये कि उन का प्रभाव किस मात्रा तक पड़ा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह एकरूपता वाली जांच कब आरम्भ होगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हम ने सदस्यों से सुझाव मांगे हैं। प्राप्त होते ही जितनी भी जल्दी हो सका हम समिति की बैठक बुलायगे।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार को पता है कि जब यह जांच आरम्भ होगी, बहुत सी समस्यायें वैसे भी समाप्त हो जायेंगी, क्योंकि बड़े बड़े भूमिदार भूमि को बेच बाच देंगे ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं भूमि से इस का सम्बन्ध नहीं समझता। यह तो एक प्रकार का प्रविधिक अध्ययन है, जिसे कि हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों वाले तथा अन्य गवेषणा संस्थाओं वाले करें। इस में इतना समय नहीं लगेगा जितना कि माननीय सदस्य ख्याल कर रहे हैं।

†**श्री दामानी** : इस योजना के अन्तर्गत कितनी कृषि के लिये अयोग्य भूमि को कृषि के योग्य बनाया गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस योजना का सम्बन्ध भूमि को कृषि योग्य बनाने से नहीं है।

मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हासदा** : क्या सरकार राज्य सरकारों से अधिकतम मूल्य, भूमि वितरण तथा मुआवजे सम्बन्धी सुधार लागू करने की सिफारिश कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक प्रकार की गणना है, इस प्रश्न का राज्य सरकारों को निर्देश देने से कोई सम्बन्ध नहीं ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिये कोई समय अवधि निर्धारित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का सम्बन्ध कुछ जानने के लिये गणना करने से है । हमें उसी पर ही रहना चाहिये । वह गणना अब किस अवस्था में है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : कुछ दिन हुए मैं ने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत अवधि का उल्लेख किया था । जहां तक अधिकतम मूल्य निर्धारित अरने के विधान को कार्यान्वित करने का प्रश्न है, उसी प्रकार हम ने उन राज्यों के लिये कुछ अलग समय रखा है जिन्हों ने इस के लिये कोई कानून नहीं बनाया । परन्तु इस प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं नहीं समझ सका कि यह मामला कैसे उत्पन्न हो गया ।

फ़ोम शीशा

†*५३४. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कलकत्ते की केन्द्रीय शीशा और कुम्भकारी गवेषणा संस्था फोम शीशा बनाने में सफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस का निर्माण व्यापारिक आधार पर करने का विचार रखती है ; और

(ग) भारत में निर्माण हुए फोम शीशे की कीमतें रूस और अमेरिका के शीशे की कीमतों की तुलना में होंगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । यह काम भारत के राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम के सुपुर्द किया गया है, और वह इसे समुचित शर्तों पर ऐसे लोगों को दे सकता है जो इस के निर्माण में रुचि रखते हों ।

(ग) अभी फोम शीशे का उत्पादन व्यापारिक आधार पर हो नहीं रहा, इसलिये इस की कीमत का मुकाबला रूस और अमेरिका के शीशे से करना, समय से पहले की बात होगी ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार ने इस का समुचित प्रचार नहीं किया, क्योंकि वह स्वयं तो इस का प्रयोग कर नहीं रही इसलिये उसे गैर-सरकारी क्षेत्रों को इस ओर आकृष्ट करना चाहिये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह अखबारों और पत्रकों में कई बार प्रकाशित हुआ है, और यह सम्भव है कि शीघ्र ही हमें गैर-सरकारी क्षेत्रों से पेशकशें प्राप्त हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Foam Glass.

सड़क कूटने के इंजन

†*५३५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के अन्त तक भारत सड़क कूटने के इंजन निर्माण करने लगेगा;

(ख) यदि हां, तो इन इंजनों की संख्या कितनी होगी ;

(ग) बिक्री के लिए इसके मूल्य का अनुमान क्या है; और

(घ) विदेशी इंजनों के मुकाबले में इसकी कीमत कैसी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) तथा (ख). ब्रटानिया इंजिनीयरिंग कम्पनी लिमिटेड टीटागढ़ (पश्चिमी बंगाल) को ५० इंजिन वार्षिक बनाने की अनुज्ञप्ति दी गई है। और वे शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ करने वाले है।

(ग) तथा (घ). इस अवस्था में मूल्यों के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे यहां जो स्टीम रोड रोलर बनेगा, वह विदेशी स्टीम रोड-रोलर के मुकाबले में कैसा होगा।

†**श्री मनुभाई शाह :** वैसा ही होगा, जैसा कि बाहर का होता है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या जबलपुर के तोपवाहक गाड़ियां बनाने वाले कारखाने में यह सड़क कूटने वाले इंजिन नहीं बन सकते ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं, यह केवल जैसोद अथवा अन्य दो गैर-सरकारी कारखानों द्वारा ही बनाये जाते हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैं सरकारी क्षेत्र की पूछ रहा हूं।

†**श्री मनुभाई शाह :** वह सड़क कूटने वाले किसी भी प्रकार के अर्थात् न वाष्प से चलने वाले न डीजल से और न ही पेट्रोल से चलने वाले इंजिन बना रहे हैं।

उर्वरक

†*५३६. **श्री संगण्णा:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाइट्रोजन फासफोर्स, और पोटासियम इत्यादि चीजों से युक्त सन्तुलित उर्वरकों के उत्पादन के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए किसी समिति की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां तो उसके परिणाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा :** क्या मैं जान सकता हूँ कि उसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो सकेगा ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** समिति ही नियुक्त नहीं हुई इसलिए उसके प्रतिवेदन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कागज तथा कागज के गूदे के उद्योग के लिये नामों की तालिका

*५३७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २१ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग के लिये कच्चे माल के साधनों का सर्वेक्षण करने के लिये विशेषज्ञों का जो दल नियुक्त किया गया था उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने वाले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). राज्यों के वन मंत्रियों की सिफारिश पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने जो तदर्थ समिति बनाई है वह इस समय कागज उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धि का निर्धारण कर रही है। यह समिति जब अपनी जांच के नतीजे उपस्थित कर देगी तो विशेषज्ञों का दल इन साधनों का विकास करने के लिये अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि देर से देर कब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक किस्म की डेवेलपमेंट कौंसिल है। यह वैसी नहीं है कि एक कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट शाया हो गई, क्योंकि इसका काम यह है कि किस तरह से फारेस्ट में प्राडक्शन करना है और किस तरह से बैम्बूज और दूसरा रा मैटीरियल बढ़ाना है।

श्री भक्त दर्शन : जब कि देश के साधनों का पूरा पता नहीं था और इस विषय में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तो फिर द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसके बारे में किस तरह से व्यवस्था की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत हद तक हमारे पास जांच पड़ताल पड़ी हुई है। तफसील भी है, लेकिन यह कमेटी ज्यादा गौर से देखेगी कि रा मैटीरियल कितना और बढ़ाया जा सकता है और कहां कहां एक्सप्लायटेशन हो सकता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस कमेटी के निर्णय की कोई सीमा—दो महीने, छः महीने, एक वर्ष, दो वर्ष—निर्धारित की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई हमारा निर्णय निर्भर नहीं है, क्योंकि जहां जहां पर पेपर की इंडस्ट्री की प्रोपोजल आती है, हम उस जगह के ऐवेलेबल रा मैटीरियल को देख कर फौरन एपरूव कर देते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कागज निर्माण के लिए गन्ने की खोई का प्रयोग बन्द कर दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सदन को मालूम है हम गन्ने की खोई के आधार पर शिकारपुर में कारखाना बना रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : आसाम के कागज और गुद्दा उद्योग, जिसके लिए बालमर लौरी कम्पनी को लाइसैन्स दिया गया, की प्रगति की अवस्था क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह समवाय काम कर रहा है । हाल ही की बैठक में आसाम में इस सम्बन्ध में एक और संयन्त्र चालू करने का निर्णय किया गया है।

एकीकृत आवास योजना

+

†*५३८. { **श्री पाणिग्रही** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघीय सरकार किसी एकीकृत आवास योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या संघ की सरकार के समक्ष किसी केन्द्रीय आवास निगम की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार के निगम राज्यों में स्थापित करने के लिये कहा जायेगा?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्यों में आवास निगम स्थापित करने का सुझाव दिया जा रहा है ।

†**श्री पाणिग्रही** : पुलिस और औद्योगिक कर्मचारियों के मकानों के लिए अलग से योजनायें हैं। क्या यह सब इस एकीकृत योजना में सम्मिलित कर ली जायेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मंत्रालय का पुलिस के लिए मकान बनाने के काम से कोई सम्बन्ध नहीं। तीन नागरिक योजनायें अर्थात् औद्योगिक कर्मचारियों, गन्दी बस्तियों को साफ करने और थोड़ी आय वाले लोगों से सम्बन्धित योजनाओं को एकीकृत करने का विचार है ।

†**श्री तंगामणि** : १५वें वार्षिक श्रम सम्मेलन में, तथा इसके साथ ही बंगलौर में होने वाले सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि राज्य आवास बोर्ड शीघ्र ही स्थापित किया जाये। मैं जानना चाहता हूँ कि आवास बोर्ड स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : राज्य आवास निगम के स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्र का कानून जरूरी है।

†**श्री तंगामणि** : परन्तु वह कानून कब प्रस्तुत होगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हम उसमें लगे हुये हैं।

†**श्री हेडा** : कम आय वाले लोगों के लिये निर्मित योजना के सम्बन्ध में सरकार ने पहले व्यक्तिगत कर्जा देना स्वीकार किया था। फिर उन्होंने यह शर्त लगा दी थी कि उन्हें सहकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

समितियां बनानी चाहिएं। क्या इस शर्त से कम आय वालों की आवास योजना के सम्बन्ध में प्रगति समुचित नहीं हो पाई है, और यदि हां, तो क्या सरकार पहले वाली स्थिति लाना ही पसन्द करेगी ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : सरकार अब भी व्यक्तिगत रूप में कर्जा दे रही है। और इस क्षेत्र के अन्तर्गत कई राज्यों में खूब इमारतें बन रही हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†*५३९. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नयी औद्योगिक इकाइयों के नाम क्या हैं, जिनके लिए कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा विदेशी प्रविधिक दलों की सहायता से परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार किया गया है ;

(ख) इन प्रतिवेदनों के तैयार किये जाने पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ग) क्या यह औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा काम करने के लिए कहा जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों को इन परियोजनाओं को सम्मेलन के लिये कहा जायेगा ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान निगम की १९५६–५७ के प्रतिवेदन की ओर और इस सम्बन्ध में १६ जुलाई १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न के अपने उत्तर की ओर आकृष्ट करवाता हूँ।

(ख) लगभग २ लाख ८७ हजार रुपये।

(ग) जब यह कार्यान्वित के लिए तैयार हो जायेंगे तो सरकार इस परियोजना को स्थापित करने के बारे में विचार करेगी।

†श्री मुरारका : क्या किसी ऐसी बात का आश्वासन दिया गया है जिस पर कि इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया है।

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक प्रविधिक पक्ष का सम्बन्ध है सभी प्रकार के सर्वेक्षण और प्रतिवेदन तैयार ह। उधार भुगतान ही केवल ऐसा मामला नहीं जिस पर कि बातचीत हो रही है।

†श्री मुरारका : क्या इन योजनाओं का योजना आयोग द्वारा परीक्षण किया गया है। और इससे पूर्व कि इन योजनाओं के लिए विदेशी विनिमय का कुछ वायदा किया जाय क्या इसे योजना के तथाकथित महत्वपूर्ण भाग में सम्मिलित किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह: आन्तरिक रूप में तो यह प्रश्न हमेशा उत्पन्न होते हैं। और हर अवस्था में मंत्रालय योजना आयोग का परामर्श लेता है। परन्तु इसे योजना के महत्वपूर्ण भाग में सम्मिलित करना उधार भुगतान की शर्तों पर आधारित है। क्योंकि यह देखना है कि इससे विदेशी विनिमय की स्थिति पर कितना भार पड़ता है। या इससे विदेशी विनिमय की स्थिति हल्की होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ अचल सिंह : इन स्कीमों—प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स—को तैयार करने में कौन कौन सी फारेन टीमों ने हिस्सा लिया ?

श्री मनुभाई शाह : अलग अलग स्कीमें हैं—एलुमिनियम, टंगस्टन कारबाइड, एलाय टूल स्टील, सिन्थेटिक रबर, न्यूज प्रिन्ट फ्राम बगास, सैलुलूस पल्प, आरगैनिक इन्टर-मीडिएट्स, रा फिल्म, सलफर, सलफ्यूरिक एसिड, फासफोरस और बेसिक रिफरैक्टरीज वगैरह । इन में से हर एक के लिए अलग अलग टीमों से बात चीत होती है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या इस निगम का क्षेत्र केवल औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय पुनर्व्यवस्था करने तक ही सीमित है अथवा वह नये कारखाने भी लगा सकता है ?

श्री मनुभाई शाह : सिद्धान्तः यह विकास निगम है जिनका काम नये भारी उद्योगों की स्थापना करना है । परन्तु साथ ही उन्होंने कपड़ा और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण और पुनर्व्यवस्थित करने का काम भी सम्हाल रखा है ।

†**श्री मुरारका :** क्या इन योजनाओं में से एक योजना यह भी है कि २० करोड़ रुपये से एक ढलाई का कारखाना लगाया जाये ? इस योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गयी है । और इस योजना की सुपुर्दगी के लिए योजना आयोग का परामर्श लिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ढलाई के कारखाने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम निगम के अन्तर्गत नहीं आता । उसमें काफी प्रगति हो चुकी है । हमें चार विभिन्न सार्थों से मूल्य कथन प्राप्त कर चुके हैं और अन्तिम रूप देने की अवस्था लगभग पहुंच गयी है । योजना आयोग तो हर मामले में है ही ।

†**श्री दासप्पा :** क्या इन उद्योगों के विकास का महत्वपूर्ण अंग यह भी है कि निर्मित वस्तुओं के आयात के लिये जो विदेशी विनिमय का खर्च होता है, उसकी बचत की जाये ।

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** उन्होंने श्री दासप्पा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में दे दिया गया है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ने उत्तर में कहा है कि विदेशी विनिमय की बचत भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण विचार है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों ने उसे सुना नहीं, अगला प्रश्न श्री अब्दुल सलाम अनुपस्थित । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंच वर्षीय योजना का प्रथम वर्ष

+

†*५४१. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या योजना मंत्री १८ जुलाई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के कार्य के बारे में सविस्तार सिंहावलोकन देने का जो आश्वासन दिया गया था, उस सम्बन्ध में तैयारी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९५६–५७ का सिंहावलोकन तैयार किया जा रहा है । उसकी देरी का कारण वह कठिनाइयां हैं जो कि राज्य पुनर्गठन के कारण सामने आई ।

(ख) जी हां । इस सत्र के अन्त तक इस सिंहावलोकन के प्रकाशित होने की पूरी आशा है ।

†श्री अ० क० गोपालन : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में मूल रूप में कितना विदेशी विनिमय खर्च करने की व्यवस्था थी और वास्तव में कितना खर्च किया गया ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता, इस प्रश्न का सम्बन्ध १९५६–५७ के कार्य के सिंहावलोकन से है :

पुर्तगाली पत्तन पर भारतीय चालक वृन्द

†*५४२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ६ सितम्बर १९५७ को पुर्तगाली पत्तन लौरेन्स मारक्यूस पर टी० ऐस० एस० पर सफर करने वाले सभी चालक वृन्दों तथा भारतीय नागरिकों को ही वहां उतरने तथा नगर में जाने की आज्ञा न दी गयी ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री साइद अली खां) : जी हां, जब टी० एस० एस० करोजिया, ६ सितम्बर, १९५७ को लौरेन्स मारक्यूस पर पहुंचा तो पुर्तगाली अधिकारियों ने जहाज के नायक को बताया कि कोई भी भारतीय नागरिक यहां नहीं उतर सकेगा । इस आदेश को बड़ी सख्ती से लागू किया गया और जहाज के निरीक्षक को नीचे उतर कर सरकारी काम के लिए भी तट निरीक्षक के पास न जाने दिया गया ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस के सम्बन्ध में आगे के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ? हिन्दुस्तानियों की जो इतनी बेइज्जती की गई है और उनको पोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों ने क्या किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सादत अली खां : पुर्तगाल की जो हालत है वह आप जानते ही हैं और ऐसे हालात में उनके साथ किया ही क्या जा सकता है और न ही हम इस काबिल हैं कि कुछ उनसे कहें ।

श्री रघुनाथ सिंह : पुर्तगाल के जहाज अगर हमारी इंडियन पोर्ट पर आयेंगे, तो जो व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया है, वही व्यवहार क्या हम उनके साथ करेंगे और किस तरह से उनके इस व्यवहार का उत्तर देंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जो कुछ भी करना है वह उस वक्त देखा जायेगा और देखा जाएगा कि क्या हालत है, क्या मौका है और फिर तय किया जायेगा । पहले से ही ऐसी बातें कह देना, आप जानते हैं यों भी मुनासिब नहीं है और अगर किसी से लड़ाई लड़नी है तो पहले से कोई एलान नहीं करता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हम किसी देश और किसी राजदूतावास द्वारा इन शिकायतों की ओर पुर्तगाल का ध्यान आकृष्ट करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम इस प्रकार की कई शिकायतें भेज चुके हैं, और निस्सन्देह हम और भी भेजेंगे, परन्तु इस मामले में कोई परिणाम की आशा नहीं । परन्तु मेरा कहना तो यह है कि यह बहुत अच्छा भी नहीं है कि किसी के असभ्य व्यवहार और बर्बरता की बार बार शिकायत की जाये ।

विदेशी विनिमय की मांग

†*५५०. **श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में योजना आयोग अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाली विदेशी विनिमय की मांग का डौलर, स्टर्लिंग, डैयश-मार्क रूबल तथा अन्य मुद्राओं की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुमान करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) क्या सरकार इन के परिणामों के सविस्तार विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाली विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण समय समय पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है । परन्तु उसका अन्दाजा विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में नहीं किया जा सकता जिनका कि उल्लेख किया गया है ।

(ख) विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाते हुये, (१) आयात के दरों और भाड़े के दरों के परिवर्तनों । (२) योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की कीमतों के अनुमान की न्यूनतम उपलब्धी का विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष महत्वपूर्ण परियोजनाओं का । (३) योजना के अतिरिक्त आयातों का समान स्तर जिनका सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य आयात तथा प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं से है, भी ध्यान रखा जाता है । (४) वसूली और भुगतान के मामले में कोई परिवर्तन जिसका पहले पता न हो इन बातों का ध्यान रखा जाता है ।

(ग) ऐसा कोई विवरण सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता । विदेशी विनिमय के मामले में स्थिति के अनुसार जब भी सरकार मुनासिब समझेगी मामला सदन के समक्ष रख देगी ।

†श्री त्रि० कु० चौधरी : माननीय उपमंत्री ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में अभी-अभी कहा था कि प्रतिवर्ष या समय-समय पर इसका पुन:मूल्यांकन नहीं किया जायेगा । यह पुन:मूल्यांकन क्यों नहीं किया जा सकता और इसकी ठीक-ठीक गणना क्यों नहीं की जा सकती ? सरकार किसी वैज्ञानिक पद्धतिका अनुसरण किये बिना, मोटे तौर पर एक व्यावहारिक पद्धति से या केवल अनुभव के आधार पर ही तो इसकी गणना नहीं कर सकती ।

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : योजना सम्बन्धी परियोजनाओं के सम्बन्ध में हमें कुछ ठहरकर ही गणना करनी पड़ती है, कहने का तात्पर्य यह कि हमें तब तक रुकना पड़ता है जब तक कि इनमें से कुछ योजनायें एक गति विशेष से आगे नहीं बढ़ने लगती और अन्य योजनाओं से सम्बन्धित वार्ता पूरी नहीं हो चुकती । मैं ने कल योजना सम्बन्धी अपने भाषण में कहा था कि हम शायद आय-व्ययक वाले सत्र के आसपास शायद अप्रैल में ही यह एक मोटे तौर पर बता सकेंगे कि हमने कौनसी योजनायें अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली हैं जिनको हम आरम्भ करेंगे ही और किन योजनाओं को हम विदेशी मुद्रा की कुछ सहायता मिलने के आश्वासन के बाद ही आरम्भ कर सकेंगे ।

जहां तक कि इस प्रश्न विशेष का, इसके भाग (क) का सम्बंध है मैं आपको बतादूं कि हमें किसी भी मुद्रा विशेष की कितनी आवश्यकता अपनी विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में है इसकी जांच का कार्य न तो योजना आयोग का है और न वित्त मंत्रालय का ही । यह इसलिये कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतया हमारे पास जितनी भी विदेशी मुद्रा रहती है वह परिवर्त्य होती है । यदि मेरे पास एक डच मार्क हो तो उसे पौंण्ड या डालरों में जब चाहें परिवर्तित किया जा सकता है । यदि हमें डालर मिलें तो वें भी परिवर्त्य होते हैं । यह दूसरी बात है कि उनको एक देश विशेष को ही अदायगी करने के लिये अलग रखा दिया गया हो, जैसा कि विश्व बैंक से मिलने वाले उस ऋण के सम्बन्ध में पहले से निश्चित कर दिया जाता है जिसे कि कोई देश विशेष विश्व बैंक के अपने अंशदान के भाग के रूप में सुलभ बनाता है । उस ऋण की राशि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता । इसलिये किसी भी मुद्रा विशेष की आवश्यकता का अलग से मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं होता उससे कोई भी लाभ नहीं होगा ।

माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि मैंने कल इस बात का भी उल्लेख किया था कि हम योजना सम्बन्धी व्यय ही नहीं बल्कि अपने अन्य सामान्य व्यय के सम्बन्ध में भी अ नी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति के बारे में अर्द्ध वार्षिक आय-व्ययक तैयार करते हैं । इसलिये ये गणनायें तो की ही जाती हैं और माननीय सदस्य उसे जिस ढंग से करने का सुझाव रख रहे हैं वह आवश्यक नहीं है । गणना तो की ही जाती है ।

†श्री त्यागी : क्या सरकार या योजना आयोग विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों के साथ किये गये अस्थगित भुगतान के करारों का और उन करारों की परिणति का लेखा रख रहे हैं और क्या हम भविष्य में उन वर्षों विशेष में भुगतान करने की योजना बना रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी हां। लेखा रखने का कार्य वित्त मंत्रालय का है योजना आयोग का नहीं। योजना आयोग तो इस से सम्बन्धित सूचना उचित मंत्रालय से मंगाता है। वित्त मंत्रालय भी इस बात का लेखा रखता है कि ऋणों या निजी व्यवसायिक संस्थाओं से किये गये आस्थगित भुगतान के करारों के भुगतान कब किये जाने चाहियें। शायद माननीय सदस्य ने वह अधिसूचना नहीं देखी है जो कुछ महीनों पूर्व जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि आस्थगित भुगतान के सभी उन समझौतों को जिनमें कि विदेशी मुद्रा द्वारा भुगतान किया जाना है, आयात के मुख्य नियंत्रक के यहां पंजीयित कराये जाने चाहिये। ये सभी आंकड़े वित्त मंत्रालय के पास भेज दिये जाते हैं जिससे कि हमें पता चल जाये कि किसी एक समय उदाहरण के लिये १९६०-६१ या १९६१-६२ में हमें अपने अपने कौन से वचन पूरे करने हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या इनमें से कोई देश अपरिवर्त्य रुपये के व्यापारिक आधार पर सहमत हो गया है?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कई ऐसे मामले हैं जिनमें कि छोटी-छोटी राशियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के करार किये गये हैं। लेकिन जो भी कुछ अधिक या बड़ी-बड़ी राशियों के करार हैं वे तो पूर्वी योरप के देशों के साथ ही किये गये हैं।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या कोई ऐसा रजिस्टर रखा जाता है जिसमें समय-समय पर जारी की जाने वाली आयात अनुज्ञप्तियों और विशेषकर निज क्षेक के लिये जारी की जाने वाली आयात अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधनों की उत्पन्न होने वाली मांगों का लेखा रखा जाता है? क्या निजी क्षेत्र के साथ ऐसा कोई सम्पर्क रखा जाता है जिससे कि सरकार को उनके विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वचनों का पता लगता रहे?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी हां। अब हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले तो अनुज्ञप्तियां जारी कर देने मात्र से यह निश्चित नहीं हो जाता था कि वे अवश्य ही भुगतान के लिये परिणत हो जायेंगीं क्योंकि पहले लोग अनुज्ञप्तियां ले कर भी कभी-कभी उनका उपयोग नहीं करते थे जबकि अब इस वर्तमान प्रतिबन्ध के कारण यह लगभग निश्चित ही रहता है कि प्रत्येक अनुज्ञप्ति का उपयोग किया ही जायेगा। इसीलिये इससे सम्बन्धित आंकड़ों का हिसाब रखा जाता है। इतना नहीं उनकी दो बार जांच पड़ताल भी की जाती है हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक पत्रों का कितना परिमाण शेष है। यह रक्षित बैंक में होता है। इस प्रकार हम एक समय विशेष की अपनी देयताओं का पता लगाने के लिये अब विभिन्न प्रकार की और भी जांच-पड़ताले करते हैं।

कपड़ा मिलें

†*५५२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल ही में बम्बई राज्य की तीन कपड़ा मिलों से सम्बन्धित मामलों की जांच करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां तो उसके निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) कुल कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। अक्तूबर १९५७ में।

(ख) इन तीनों मिलों के उत्पादन में आनेवाली या संभावित कमी की परिस्थतियों की पूरी तौर पर जांच-पड़ताल करना।

(ग) इसका प्रभाव कुल २,१०८ मजदूरों पर पड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी म

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी:** इन तीनों मिलों में कुल मिलाकर उत्पादन की कितनी हानि हुई है?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग दस लाख गज ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी:** क्या यह सच है कि इन तीनों मिलों ने कुछ वित्तीय सहायता मांगी थी लेकिन भारत सरकार इन तीनों कारखानों की पूरी आवश्यकताओं को अदा नहीं कर पाई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, नहीं । प्रत्येक मिल के अपने अलग-अलग कारण हैं और हम अभी उस समिति के प्रतिवेदन की राह देख रहे हैं जो इन कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिये बनाई गई है ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस समिति का प्रतिवेदन प्रत्येक मिल के बारे में अलग-अलग होगा या तीनों के बारे में एक साथ रहेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वे प्रतिवेदन अन्तरिम रूप में ही हमें मिलते हैं लेकिन तीनों के मिलने में कोई अधिक समय नहीं लगेगा । हमें एक या दो महीनों में सभी प्रतिवेदन मिल जायेंगे ।

†**श्री ना० नि० पटेल :** उन तीनों मिलों के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उनके नाम इस प्रकार हैं : शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स,शोलापुर छगनलाल टैक्सटाइल मिल्स चालीस गांव; और गेंदा लाल मिल्स जलगांव ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या उन जूट कारखानों के मामलों में भी इसी प्रकार की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है जो बन्द हो चुके हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं । वह आवश्यक नहीं है क्योंकि जूट कारखानों के बन्द होने के कारण कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारणों से सर्वथा भिन्न हैं । इसके अतिरिक्त भारतीय जूट कारखाना संस्था ने भी जूट के कारखानों के लिये एक सीमा संविहित कर दी है और उसके कारण केवल कुछ प्रकार के करघे ही बन्द हो पाते हैं ।

†**श्री दासप्पा :** सूती कपड़े के कितने कारखानों की ऐसी ही विभिन्न दशा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ने इस सम्बन्ध में अभी कल ही सभा-पटल पर एक विवरण रखा है । गत पांच वर्षों में आज तक कई कारणों से २२ कारखाने बिलकुल बन्द हो चुके हैं ।

†**श्री याज्ञिक:** गुजरात में गत एक वर्ष से भी अधिक काल से बन्द पड़े रहने वाले कारखानों के मामलों में भी क्या इसी प्रकार की जांच की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां । उनके नाम हैं : गोपाल मिल्स भड़ौंच ; सायाजी जुबली मिल्स सिधपुर; और हठीसिंह मिल्स । इन के मामलों की जांच की जा रही है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*५५५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग वित्त के अभाव के कारण बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं और वे अपेक्षित मानदन्ड के प्रविधि-प्रवीण लोगों तथा व्यावहारिक ज्ञान को अपने यहां लाने में असमर्थ रहते हैं ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार उनको सहकारिता के आधार पर अपने संसाधन संचित करके अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और उत्पादन की लागत कम करने के लिये उत्साहित करने की दिशा में कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हर स्थान की भांति पंजाब के भी मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग पर्याप्त वितीय संसाधनों और प्रविधिक व्यावहारिक ज्ञान के अभाव के कारण कठिनाई महसूस कर रहे हैं लेकिन सरकार के कार्यक्रम ऐसी ही कठिनाइयों को दूर करने के लिये बनाये गये हैं ।

(ख) औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के संगठन का दायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों पर ही है और केन्द्रीय सरकार इसके लिये उनको बड़ी उदारता से सहायता देती है ।

नेशनल इन्स्ट्रमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*५५८. { **श्री बीरेन राय** :
श्री साधन गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की नेशनल इन्स्ट्रमेंटस् फैक्टरी का स्वामित्व और प्रबन्ध एक निजी लिमिटेड समवाय के हाथ में दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से;

(ग) इस नये समवाय के निदेशक कौन हैं; और

(घ) क्या इस नये प्रबन्ध के स्थानान्तरित होने पर स्थायी और अन्य निवृत्ति वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उसी प्रकार के विशेषाधिकार बने रहेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां । इस व्यावसायिक संस्था का स्वामित्व और प्रबन्ध नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड के हाथ में दे दिया गया है । यह व्यावसायिक संस्था सरकार द्वारा प्रणीत समवाय है, जिस के सभी शेयर राष्ट्रपति के हैं ।

(ख) २६ जून, १९५७ ।

(ग) निदेशकों के नाम हैं :

(१) श्री एन० सुब्रह्मण्यम, आई० सी० एस०, संयुक्त सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	सभापति
(२) श्री ए० मित्रा, आई० सी० एस०, सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार . .	निदेशक
(३) श्री एन० आर० बनर्जी, मेसर्स सैन्धी इलैक्ट्रिकल स्टाम्पिग्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता . . .	निदेशक
(४) डा० बी० डी० कालेलकर, औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरिंग), वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	निदेशक
(५) श्री एस० डी० जोशी, महाप्रबन्धक, नाहन ढलाई कारखाना, नाहन (हिमाचल प्रदेश)	निदेशक
(६) श्री ए० एस० बाम, आई० सी० एस०, लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता	निदेशक
(७) श्री टी० आर० गुप्त, चीफ इंजीनियर और प्रविधिक निदेशक मेसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता . .	निदेशक
(८) श्री ए० पी० माथुर, आयात-निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक, कलकत्ता	निदेशक
(९) श्री बी० आर० मुर्गई, उपसचिव, वित्त मंत्रालय . .	निदेशक

†मूल अंग्रेजी में

(घ) स्थायी और निवृत्ति वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें स्थानांतरण के समय सार रूप में वही रहेंगे ।

†**श्री बीरेन राय** : क्या यह सच है कि इस निजी समवाय के निर्माण के पश्चात् उन स्थायी कर्मचारियों को नोटिस दे दिये गये हैं कि वे अपने मकानों को तत्काल ही खाली कर दें, जिनको कि पहले निवास के लिये मकान मिले हुए थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि संस्था के नियमों में एक ऐसा भी खण्ड है जो समवाय को सेवा के निबन्धनों और शर्तों, वेतन और अन्य बातों में कोई भी परिवर्तन कर सकने की शक्ति प्रदान करता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समवाय अधिनियम के अधीन रहने वाले लगभग सभी समवायों के नियमों में बहुधा यही व्यवस्था रहती है । लेकिन एक सामान्य नियम यह है कि जब भी भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में किसी प्राइवेट लिमिटेड समवाय का निर्माण करती है तो वह बहुधा सेवा की शर्तों में परिवर्तन नहीं करती । हम मजदूरों के वर्तमान हितों की रक्षा करते रहते हैं ।

†**श्री बीरेन राय** : यह तो अब सरकारी विभाग के हाथ से एक प्राइवेट लिमिटेड व्यावसायिक संस्था के अधिकार में दिया गया है । क्या इस का हस्तान्तरण मुनाफे की दृष्टि से किया गया है, जिस से कि यह समवाय ऐसी वस्तुओं का निर्माण आरम्भ करेगा जिन से कि इसे मुनाफा मिल सके, या इसे अब भी एक गवेषणा संस्था माना जाता रहेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य और सभा को मालूम है कि संसद की प्राक्कलन समिति ने एक यह सिफारिश की थी कि ऐसी जितनी भी वाणिज्यिक संस्थायें सरकारी विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं उन को क्रमशः प्राइवेट लिमिटेड समवायों में बदलते जाना चाहिये । इस के परिवर्तन का यह भी एक कारण था ।

एक दूसरा कारण यह है कि कार्यक्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से यही अच्छा है कि ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं की देखभाल निदेशकों का एक बोर्ड करे और विभागों के बदले उस का प्रबन्ध एक समवाय द्वारा किया जाये ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का यह कथन सही है कि हमारा मुख्य विचार यही है कि उस को वाणिज्यिक रूप से लाभदायक व्यावसायिक संस्था बना दिया जाये और उसे केवल एक गवेषणा कारखाने के रूप में न रखा जाये ।

बर्मा में भारतीय

\+

†*५५९. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री वाजपेयी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री आसर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल बर्मा भारतीय कांग्रेस ने हाल में उन की जापान यात्रा से वापस लौटते समय रंगून में उन को एक ज्ञापन दिया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बर्मा में बसने वाले भारतीयों के कौन से मुख्य कष्ट उस ज्ञापन में दिये गये हैं; और

(ग) सरकार उस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†वैदेशिक-कार्य के मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां ।

(ख) उस में बताये गये मुख्य कष्ट बरमी आप्रवास तथा विदेशियों के पंजीयन अधिनियमों के उन संशोधनों के सम्बन्ध में हैं, जो बरमी संसद् ने हाल ही में अधिनियमित किये थे ।

(ग) कष्टों को दूर करने के सम्बन्ध में, इस मामले को भारत के रंगून-स्थित राजदूत ने उच्च स्तर पर उठाया है ।

सिंचाई की छोटी योजनायें

†*५६०. श्री तंगामणि : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी सिंचाई योजनाओं और पुनः बंटवारे के सम्बन्ध में मद्रास, केरल, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हाल ही में हुआ है;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की जायेगी; और

(घ) क्या इन में से किसी राज्य सरकार ने नये प्रस्ताव भेजे हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बैठक में अतिरिक्त छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये १९५७-५८ के काल के लिये निम्न राशियां मंजूर की गई थीं :—

(लाख रुपयों में)

राज्य	राशि
मद्रास . .	८.६४
केरल	७.७१
आन्ध्र प्रदेश . .	२२.५०
मैसूर . .	५०.६०
कुल .	८९.४५

(ग) बिलकुल नहीं; केवल मद्रास को कुछ राशि आवंटित की जा सकती है और वह विचाराधीन है ।

(घ) जी, नहीं ।

†श्री तंगामणि : क्या ८९ लाख से कुछ अधिक राशि का यह आवटन, उस आवंटन के अतिरिक्त है जोकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : आशा यह है कि इस सीमा के अन्दर ही इस प्रयोजन के लिये संसाधन सुलभ हो सकेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि द्वितीय योजना के अन्तर्गत जितना भी आवंटन किया गया है उस के अतिरिक्त उस की ५० प्रतिशत राशि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये दी जा रही है, क्योंकि छोटी सिंचाई योजनायें महत्वपूर्ण हैं। क्या वह समाचार सही है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : योजना आयोग ने यह कहा है कि अतिरिक्त कृषीय उत्पादन के हित में जो भी समायोजनायें करना आवश्यक होगा वह वार्षिक योजनाओं के द्वारा ही किया जायेगा ।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि ये अनुदान इस शर्त पर दिये जा रहे हैं राज्य और केन्द्र आधा-आधा व्यय उठायेंगे; और यदि हां, तो क्या सरकार को अधिकांश राज्यों को घाटे की अर्थ-व्यवस्थाओं को देखते हुए भी, यह विश्वास है कि राज्य उतनी राशि लगाने में समर्थ हो जायेंगे ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं इस प्रश्न का पूरा-पूरा आशय नहीं समझ सका हूं ।

†**श्री हेडा** : यदि ऐसी कोई शर्त लगाई गई है कि राज्यों को भी केन्द्र के बराबर ही राशि जुटानी पड़गी और तभी उन को केन्द्र द्वारा यह राशि दी जायेगी, तो क्या सरकार ने, राज्यों की घाटे की अर्थ-व्यवस्था और राशि की अपर्याप्तता को देख कर भी, यह पक्का पता लगा लिया है कि राज्य इस आवश्यक धन को जुटाने में समर्थ हो जायेंगे ? अन्यथा यह सहायता केवल काग़ज़ी रह जायेगी, और उस का कोई उपयोग नहीं होगा ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : अभी इस समय यह प्रश्न केवल काल्पनिक ही है । अभी हमें कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हो रही है ।

प्रश्नों के लिखित उतर

खाल और कच्चे चमड़े का उद्योग

†*५४०. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में खाल और कच्चे चमड़े के उद्योग के विकास के लिए कुल कितना उपबन्ध किया गया है;

(ख) क्या सरकार विदेशों में अपने व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से कमाए हुए चमड़े के लिए नए विदेशी बाजार ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या सफलता मिली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा खालों और कच्चे चमड़े के विकास की योजनाओं पर ५.०९ करोड़ रुपये व्यय किए जाने का विचार किया जा रहा है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) परिणामों का निर्धारण इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक श्रमिक

†*५४३. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत में औद्योगिक श्रमिकों को बोनस प्रदान किए जाने के लिए एक समान आधार निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) सरकार ने १५वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार विभिन्न उद्योगों में उचित मजूरियां निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति पक्षों में ऐच्छिक करारों को प्रोत्साहित करना है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूरियों पर अध्ययन दल का प्रतिवेदन, उसके संबंध में भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों सहित, राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है और मजूरी निश्चित करने वाले प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं ।

निष्क्रांत सम्पत्तियों का विनिमय

†*५४४. श्री दशरथ देब : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए बहुत से विस्थापित व्यक्तियों ने अपनी सम्पत्तियों का विनिमय कर लिया है;

(ख) सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ऐसी विनिमय की गई सम्पत्तियों को उनको ऋण दिए जाते समय बन्धकों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है; और

(ग) सरकार सम्पत्तियों के ऐसे विनिमयों को मान्यता देने और उन्हें कानूनी रूप देने के लिए क्या कदम उठायेगी ताकि वे ऋण लेते समय उन्हें बन्धक रख सकें ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) कुछ विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अपनी पूर्वी पाकिस्तान की सम्पत्तियों का भारत की सम्पत्तियों से विनिमय कर लिए जाने की खबर मिली है ।

(ख) और (ग). विनिमय की गई सम्पत्ति को ऐसे मामलों में बन्धक के रूप में स्वीकार किया जाता है जिनमें विस्थापित व्यक्तियों को वैध अधिकार प्राप्त हो गया है ।

प्रव्रजन

†*५४५. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी बंगाल के बहुत से शरणार्थी भारत से पुनः पूर्वी पाकिस्तान लौट गए हैं और अपने पुराने घरों में बस गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग का उत्पादन

†५४६. श्री ह० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि देश में बाल बियरिंग तथा रोल बियरिंग का उत्पादन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत में बाल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग बनाने वाले और कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार को व्यापारियों से इस बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) देश में बाल बियरिंग का उत्पादन काफी होता है । हां, रोलर बियरिंग का उत्पादन जरूर कम है ।

(ख) तथा (ग). बाल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग बनाने वाले कारखाने खुद स्थापित करने का सरकार का विचार नहीं है । ये चीजें बनाने के लिये कुछ प्रायवेट फर्मों की योजनाओं को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जब इन सब योजनाओं पर अमल हो जायगा, तो देश में इन चीजों की जो मांग है वह काफी हद तक पूरी हो सकेगी ।

आसाम में उद्योग

†*५४८. श्री बसुमतारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के गारो पहाड़ी जिले में सीमेंट, चूना और कोयला उद्योगों का विकास करने क लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). गारो पहाड़ियों में सीमेंट के उत्पादन के लिए उपयुक्त किस्म के चूने के पत्थर की उपलब्धता के संबंध में मेसर्स एसोशिएटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड द्वारा अनुसन्धान किए गये थे जिसके पास इस समय उस क्षेत्र का खनन पट्टा है । प्रारंभिक प्राक्कलन से मालूम होता है कि १५० लाख टन चूने का पत्थर वहां उपलब्ध होगा जो १.६५ लाख टन क्षमता वाले कारखाने के ६० वर्षों तक चलाए जाने के लिए पर्याप्त है ।

जहां तक कोयले का संबंध है भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने इस वर्ष के प्रारंभ में गारो पहाड़ी में कुछ छिद्रण किए हैं । कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा उत्पाद

†*५४९. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा बोर्ड की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विदेशों में नारियल जटा उत्पादों के प्रचार एवं विज्ञान के लिए किए गए १० लाख रुपए के उपबन्ध में से कितना भाग अभी तक व्यय किया जा चुका है ; और

(ख) वह राशि किन किन देशों में और किस प्रकार व्यय की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) नारियल जटा बोर्ड की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया १० लाख रुपए का उपबन्ध भारत के अन्दर तथा बाहर दोनों में प्रचार के लिए है । बोर्ड ने इस उपबन्ध में से विदेशों में विज्ञापनों और प्रदर्शनियों पर सितम्बर, १९५७ तक २३,८९२ रुपए की राशि व्यय की है ।

(ख) ३,२४८ रुपए की राशि ब्रिटेन में विज्ञापनों के लिए व्यय की गई थी और २०,६४४ रुपए की राशि जेकोस्लोवाकिया, पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया, थाईलैंड, नैरोबी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, स्वीज, सीरिया और चीन में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए व्यय की गई थी ।

हस्त-शिल्प

†*५५१. श्री बलराम कृष्णय्या : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में आन्ध्र प्रदेश की हस्त-शिल्पों के विकास के लिए कोई सहायता दी थी;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में एलोरा के कालीन बनाने के उद्योग और मसलीपट्टम के रंगाई उद्योग (कलंकारी)[4] को सरकार से कोई सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना धन दिया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान्, मलसीपट्टम के रंगाई उद्योग (कलंकारी) के लिए । इस अवधि में एलोरा के कालीन बनाने के उद्योग के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की गई थी ।

(ग) वर्ष १९५४–५५ में मसलीपट्टम के रंगाई तथा छपाई उद्योग (कलंकारी) के विकास के लिए ५,००० रुपए का अनुदान दिया गया था ।

राष्ट्र संघ सचिवालय

†*५५३. श्री झूलन सिंह : क्या प्रधान मंत्री १८ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र संघ सचिवालय की अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति के संबंध में महासभा के ९वें और १०वें सत्रों में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझाव कहां तक कार्यान्वित किए गए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[4] Kalamkari.

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है उसका विवरण मैंने लोक सभा पटल पर रख दिया है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १००]

मैसूर की दूसरी पंचवर्षीय योजना

†*५५४. श्री शिवनंजप्पा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैसूर के लिए एक अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो अधिकतम सीमा निर्धारण के पश्चात् राज्य की दूसरी योजना पर कुल कितना व्यय किया जाएगा ; और

(ग) क्या राज्य सरकार को योजना आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के आवंटनों का उपयुक्त समायोजन करके अधिकतम सीमा का पालन करने का परामर्श दिया गया है ?

†योजना उपमंत्री (श्री इशा० नं० मिश्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १४५.१५ करोड़ रुपए ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

पोलिश वैज्ञानिक

†*५५६. श्री वोडयार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड की सरकार ने भारतीय आणविक केन्द्र में अध्ययन के लिए पोलिश वैज्ञानिकों को भेजने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस प्रयोजन के लिए पोलिश वैज्ञानिकों को अधिछात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ट्राम्बे की अणुशक्ति संस्थापन में कार्य करने के लिए पोलिश वैज्ञानिकों को दो अधिछात्रवृत्तियां देने का विचार रखती है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†*५५७. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में भारत और दक्षिण अफ्रीका के झगड़े के संबंध में राष्ट्रसंघीय महासभा के हाल के सत्र में और क्या प्रगति हुई है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : राष्ट्रसंघ की विशेष राजनीति समिति ने १२ नवम्बर, १९५७ को एक संकल्प पास किया जिसमें दक्षिण अफ्रीकी सरकार से राष्ट्रसंघीय चार्टर और मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के

---

†मूल अंग्रेजी में

सिद्धान्तों के अनुसार इस झगड़े का निपटारा करने की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के साथ वार्ता में भाग लेने के लिए नई अपील की गई थी । उस संकल्प पर अब महासभा द्वारा विचार किए जाने की आशा है ।

नई कपड़ा मिलें

†*५६१. श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ में अभी तक भारत में कपड़े की नई मिलों की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस प्रदान किए गए हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): हां श्रीमान् । एक विवरण लोक–सभा पटल पर रखा जाता है ।[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०१]

पाकिस्तानियों द्वारा चार्लेण्ड[5] कछार भूमि पर कब्जा

†*५६२. श्री साधन गुप्त :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमगंज के निकट लेवारपुरा कैम्प की दूसरी ओर बहने वाली सूरमा नदी के तटवर्ती चार्लेण्ड कछार भूमि पर पाकिस्तानियों द्वारा सशस्त्र संरक्षण के अन्तर्गत कब्जा कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब्जा किन परिस्थितियों में हुआ;

(ग) इस घटना में कितने और किस प्रकार के पाकिस्तानी सैनिकों का हाथ है ;

(घ) क्या इस घटना के संबंध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) हां श्रीमान् ।

(ख) आसाम में कचार जिले और पूर्वी पाकिस्तान में सिलहट जिले के बीच १३ मील लम्बी भारत–पाकिस्तान सीमारेखा सूरमा नदी के बांयें उच्च तट के किनारे किनारे जाती है । इस क्षेत्र में नदी की समस्त चौड़ाई इस तरह से भारतीय राज्यक्षेत्र में आती है । परन्तु पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में यह दावा करना शुरू कर दिया है कि सीमारेखा नदी के बीच से होकर गजरती है । इस दावे का विरोध किया गया है परन्तु पाकिस्तानी लोग बायें तट के ढालों पर तथा चार्लेण्ड्स कछार भूमि पर जो बाढ़ के मौसम के पश्चात् नदी का स्तर गिर जाने पर निकल आती है खेती प्रारंभ करने के प्रयत्न करते रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[5]Charland.

(ग) इस घटना में पाकिस्तान की सीमान्त पुलिस अन्तर्ग्रस्त है परन्तु उनकी संख्या ज्ञात नहीं है।

(घ) और (ङ). पाकिस्तानी अधिकारियों से जिले तथा राज्य सरकार के स्तर पर जोरदार विरोध प्रकट किया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है। कराची स्थित भारतीय उच्चायोग को भी पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार को विरोध पत्र भेजने का निर्देश किया गया है।

पाकिस्तान से जूट की कतरन का आयात

†*५६३. श्री मुहम्मद ताहिर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से जूट की कतरन खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारत की जूटमिलों द्वारा भारत में उत्पन्न जूट की उपेक्षा की जाकर केवल जूट की कतरन की ही खरीद की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से जूट की कतरन की खरीद के करार के कारण भारत में उत्पन्न होने वाले जूट के मूल्य बहुत गिर गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस असामयिक करार के कारण जूट उत्पादकों को हुई क्षति के लिए प्रतिकर देने का विचार कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जनवरी १९५७ के भारत–पाकिस्तान व्यापार करार में पाकिस्तान से कच्चे जूट के (जिसमें कतरन भी सम्मिलित है) आयात का उपबन्ध है। जूट की कतरन खरीदने के लिए कोई पृथक करार नहीं है।

(ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) नहीं श्रीमान्। भारतीय कच्चे जूट के (मुख्यकर बिहार के जूट के) मूल्यों में गिरावट कच्चे जूट के मूल्यों में सर्वव्यापी गिरावट के कारण आई है। यह कहना ठीक नहीं है कि मूल्य में यह गिरावट करार के अन्तर्गत पाकिस्तान से आयातों के कारण आई है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

सुपरफॉसफेट कारखाना[1]

†*५६५. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सुपरफॉसफेट कारखाने में उत्पादन प्रारंभ हो गया है; और

(ख) यदि हां तो कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Super Phosphate Factory

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) अभी तक नहीं।

(ख) अधिष्ठापना के लिए मंजूर की गई क्षमता १६५०० टन सुपरफॉस्फेट प्रतिवर्ष है।

गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में विनियोजन

†*५६६. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री महन्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में विनियोजन अभी तक दूसरी पंच-वर्षीय योजनावधि के लक्ष्य से अधिक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)**: (क) नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय आर्थिक मिशन

†*५६७. **श्री हेडा :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री भरत राम के नेतृत्व में एक भारतीय आर्थिक मिशन पश्चिम जर्मनी से लौट आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(घ) उनके प्रतिवेदन का क्या महत्व है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख) हां श्रीमान्।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०२**]

(घ) संभावनायें बहुत काफी हैं। परन्तु उनकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब भारतीय व्यापार संगठन जर्मन आयात-गृहों[9] से निकट एवं उपयोगी वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने में सफल हों।

वृत्त-चित्र

५६८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि दिल्ली व अन्य हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के सिनेमाघरों में जो वृत्त-चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं कभी कभी उनकी समीक्षायें अंग्रेजी में होती हैं जिन्हें अधिकांश श्रोता नहीं समझ पाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[9]Import Houses.

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख) सिनेमा प्रदर्शकों को वृत्त-चित्रों की प्रतियां उन्हीं भाषाओं में दी जाती हैं जिन्हें वह पसन्द करें। यदि वे चाहें तो सरकार उनको ऐसे वृत्त-चित्र दे सकती है जिनकी समीक्षा हिन्दी में हो।

चावल की मिलें

†*५६९. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कार्वे समिति के प्रतिवेदन के संबंध में २८ अगस्त १९५७ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १२७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्य सरकारों ने नई चावल मिलें स्थापित करने के लिए लाईसेंस देने में विवेक का प्रयोग किया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितनी मिलों को लाईसेंस प्रदान किए गए हैं; और

(ग) क्या इन मिलों से ग्रामीण क्षेत्रों में चावल की हाथ की कुटाई के उद्योग पर असर नहीं पड़ेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०३]**

चाय बागान

†*५७०. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व के चाय बागानों में पुनरोपण[८] समय के अन्दर नहीं किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि १९५६–५७ में चाय का उत्पादन पहले वर्षों की अपेक्षा कम हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार भारत में चाय के निरन्तर उत्पादन की रक्षा करने की दृष्टि से इस बात के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है कि पुनरोपण समय के अन्दर हो जाया करे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकार ऐसा नहीं समझती है कि विदेशी कम्पनियों के चाय बागानों में पुनरोपण जिसमें प्रतिस्थापन[९] और अन्तःपूर[१०] सम्मिलित है, की अपेक्षा की गई है।

(ख) १९५६ का उत्पादन पिछले ५ वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

बिजली के मीटर

*५७१. **श्री ह० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली के मीटरों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए क्या नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी इस प्रकार के मीटर बनाने का कार्य अपने हाथ में लेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[८]Replanting.
[९]Replacement.
[१०]Infilling.

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का किस प्रकार बिजली के इन मीटरों की कमी को दूर करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) बिजली के मीटरों में आत्मनिर्भर होने के लिये उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान कारखानों का विस्तार करने और नये कारखाने खोलने के लाइसेंस दिये गये हैं । देश में इन मीटरों की मांग स्वदेशी साधनों से यथाशीघ्र काफी हद तक पूरी होने लगेगी । इस बीच पुराने आयातकों की मार्फत बहुत सीमित संख्या में इनके आयात की अनुमति दी जाती है । स्वयं उपयोग करने वालों, राज्यों और अन्य बिजली संगठनों को भी उनकी जरूरी आवश्यकताओं के लिये आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

उपभोज्य वस्तुयें[11]

†*५७२. **श्री कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ताओं के हित की अनेक वस्तुओं के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्ध अथवा नियंत्रण के परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और किस्म को खराब होने देने से रोकने के लिये सरकार ने क्या पूर्वावधायी कदम उठाये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मूल्यों पर ऐसे उपचारी और शोधक कदम उठाने के लिये जो संभव हों, निरन्तर दृष्टि रखी जाती है । देसी उत्पादन को प्रोत्साहन देने और अधिकाधिक बढ़ा देने के लिये कदम उठाये गये हैं । कुछ वस्तुओं का आयात सरकार द्वारा संमोदित अभिकरणों द्वारा किया जाता है । यही नहीं, सरकार ने व्यापार तथा उद्योग से अपने मूल्यों को १९५७ से पहले तिमाही के स्तर से अधिक न बढ़ाने की अपील भी की है और उसका असर उत्साहवर्धक रहा है ।

देसी वस्तुओं के मूल्यों में सामान्यतः कोई विशेष वृद्धि भी नहीं हुई है और सरकार को घरेलू उपभोज्य वस्तुओं की किस्म में कोई विशेष गिरावट आने का भय नहीं है; सरकार की जानकारी में किस्म की गिरावट के कोई भी उदाहरण अभी तक नहीं लाये गये हैं ।

उड़ीसा के छोटे पैमाने के उद्योग

†*५७३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से कोई व्यादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे छोटे उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष १९५७–५८ में अभी तक राज्यवार कितनी राशि के व्यादेश दिये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Consumer Goods

नारियल-जटा की चटाइंया और पट्टियां[१२]

†*५७४. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशों द्वारा भारतीय नारियल-जटा की चटाइयों और पट्टियों के आयात पर लगाये गये उच्च प्रशुल्कों को कम करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप किन किन देशों ने प्रशुल्क कम कर दिये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०५]

ढलाई-तापकुट्टन परियोजना[१३]

†*५७५. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती गंगा देवी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में एक ढलाई-तापकुट्टन परियोजना की स्थापना करने के लिए विदेशों के साथ वार्ता कहां तक सफल रही है; और

(ख) क्या भारत में कम से कम भारी मशीन औजार संयंत्र[१४] के लिए कोई ऋण सुविधायें और प्रविधिक सहयोग मिलने को कोई संभावनायें हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). भारत में ढलाई/तापकुट्टन तथा भारी मशीन औजार संयंत्रों की स्थापना के लिए वार्ता अभी भी चल रही है ।

लागत लेखापाल का 'टेल्को' पर प्रतिवेदन[१५]

†*५७६. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा-पटल पर लागत लेखापाल और विदेशी विशेषज्ञ द्वारा टेल्को पर प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की एक प्रति रखने की कृपा करेंगे जिस पर प्रशुल्क आयोग ने अपनी सिफारिशें आधारित की हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): दोनों संलेखों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को पृथक पृथक उपलब्ध करा दी गई हैं ।

किशनगढ़ (राजस्थान) की कपड़ा मिल का बन्द होना

†*५७७. श्री वाजपेयी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में किशनगढ़ स्थित कपड़ा मिल बन्द कर दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने मिल के बन्द किए जाने के कारणों की जांच कराई है;

---

† मूल अंग्रेजी में

[१२]Coir mats and mattings.
[१३]Foundry Forge Project.
[१४]Heavy Machine Tools Plant.
[१५]Report of Cost Accountant on TELCO.

(ग) यदि हां, तो मिल को पुनः चालू कराने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या श्रमिकों को कोई सहायता दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). हां, श्रीमान् । बन्दी के कारणों की जांच से मालूम हुआ कि मिल का प्रबन्ध ठीक नहीं है। मिल कम्पनी के पास कार्यकारी पूंजी की भी कमी है और मिल कम्पनी द्वारा मिल को चलाने के लिए आवश्यक धन का प्रबन्ध नहीं किया जा सका। मिल को तभी पुनः चालू किया जा सकता है और उसका कार्य तभी सुचारू रुप से चल सकता है जबकि मिल के प्रबन्धकों को पर्याप्त कार्यकारी पूंजी मिल जाय और आवश्यक मरम्मत और नवकरण किए जांय ।

(घ) मामले के संबंध में राजस्थान सरकार को लिखा गया है ।

पटसन उत्पाद

†*५७८. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के पटसन उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका (देशवार) क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) निर्यात की प्रवृत्ति दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०६]**

त्रिभुवन राज-पथ पर ट्रक दुर्घटना

५७९. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ अक्तूबर, १९५७ को त्रिभुवन राज-पथ पर मोटर ट्रक के उलट जाने से लगभग २० व्यक्ति, जिनमें पटना विश्वविद्यालय के पांच विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं, मारे गए;

(ख) क्या नेपाल सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) २३ अक्तूबर १९५७ को त्रिभुवन राजपथ पर एक मोटर ट्रक दुर्घटना हुई, जिसमें बारह लोगों की मृत्यु हो गई; इनमें पटना विश्वविद्यालय के पांच विद्यार्थी भी थे ।

(ख) और (ग). जी हां । जांच कमीशन की राय है कि यह दुर्घटना ड्राइवर की असावधानी के कारण हुई; वह प्रायः नशे की हालत में मोटर चलाया करता था ।

---

† मूल अंग्रेजी में

आयात तथा निर्यात व्यापार

†*५८२. { डा० राम सुभग सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ के प्रारम्भ से लेकर अब तक जो आयात किया गया है उसका मूल्य क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में जो निर्यात किया गया उसका मूल्य कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जनवरी-जून, १९५७ में ४९८ करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात किया गया ।

(ख) जनवरी-जून १९५७ में ३१४ करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात (जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है) किया गया ।

इंजीनियरिंग उद्योग

*५८२. **श्री ह० च० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का औद्योगिक विकास के प्रयोजन से इजीनियरिंग उद्योग के लिये कोई सलाहकार अथवा सलाहकार समिति बनाने का विचार है जो उत्पादन की उत्तमता में सुधार आदि के प्रश्नों पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापान को लौह अयस्क का संभरण

†*५८३. { श्री संगण्णा :
श्री तिम्मय्या :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम् :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री वोडयार :
श्री बलराम कृष्णय्या :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९५७ में जापान से आठ सदस्यों का जो शिष्टमंडल लौह अयस्क के दीर्घ काल तक संभरण करने और उसके लिये भारतीय पत्तनों का विकास और रेलवे सुविधाओं के कार्यक्रम पर अन्तिम निर्णय करने के लिये भारत आया था क्या उसके साथ कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो करार की मख्य मख्य बातें क्या हैं ?

---

†. मूल अंग्रेजी में

(ग) विकास कार्यक्रम में कौन कौन से पत्तन शामिल हैं ; और

(घ) जापान को लौह अयस्क का संभरण बढ़ाने से विदेशी मुद्रा की कुल कितनी आय होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) जापान के प्रारम्भिक सर्वेक्षण मिशन और भारत सरकार के प्रतिनिधियों में भारत में लौह-अयस्क की खानों के विकास जो कि जापान के सहयोग से होगा और जापान को दीर्घ काल तक लोहे का संभरण करने की परियोजनाओं पर चर्चा हुई है । इस बात पर सहमति प्रकट की गई है कि रूरकेला क्षेत्र से विशाखापटनम पत्तन के रास्ते लौह अयस्क का संभरण करने की परियोजना पर पहले विचार किया जायेगा । आशा है कि जापान का मुख्य दल दिसम्बर में भारत आयेगा और आगे बातचीत होगी ।

(घ) अभी ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

सीमेंट के कारखाने

†***५८४. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २७ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के दौरान में पंजाब में किस-किस स्थान पर सीमेंट के कारखाने खोले जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : दालमिया दादरी स्थान पर वर्तमान सीमेंट के कारखाने की उत्पादन क्षमता को ७०,००० टन से बढ़ा कर २,३५,००० टन वार्षिक करने के अतिरिक्त अभी तक द्वितीय योजना काल में पंजाब में और कोई सीमेंट का कारखाना खोलने का विचार नहीं है ।

प्रति–जारण पदार्थ[11]

†***५८५. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में भारत में आयात किये गये प्रति-जारण पदार्थ का मूल्य क्या था ;

(ख) भारत में वनस्पति तेलों और चिकनाई के पैकिंग और संरक्षण के लिये कितने मूल्य के प्रति-जारणकर्ता की आवश्यकता है ;

(ग) क्या देशीय सामग्री से कोई असरदार प्रति-जारणकर्ता तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रति-जारणकर्ता देश में ही व्यापार की दृष्टि से तैयार किये जाते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । समुद्री व्यापार के आंकड़ों में इस बात का पृथक उल्लेख नहीं किया गया है कि वनस्पति तेलों और चिकनाहट वाली वस्तुओं तथा अन्य प्रयोजनों में लिये कितने प्रति-जारण पदार्थ का आयात किया गया था ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[11]Anti-oxidants

अशोक होटल

†७१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोक होटल की इमारत और पदाधिकारियों और नौकरों के क्वार्टरों और साथ वाली इमारतों के निर्माण पर अब तक कुल कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : ३१ अक्तूबर, १९५७ तक अशोक होटल की इमारतों के निर्माण पर जो खर्च हुआ है उसका ब्योरा यह है :—

	रुपये
(१) इमारतों का निर्माण . . .	१,२८,०५,०७७
(२) शीतोष्ण और शीत कोठार संयंत्र . . .	१४,६८,८५५
(३) बिजली आदि लगाना	२५,३८,०९२
(४) स्वच्छता आदि की व्यवस्था और पानी की सप्लाई	१६,८०,१९७
(५) लिफ्टें	३,३४,८१६
(६) बायलर, चिमनियां ट्रांस्फार्मर आदि सयंत्र तथा मशीनें	४,२५,६७५
कुल	१,९२,५२,७१२ रुपये

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†७१९. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा के कैम्पों में कितने विस्थापित व्यक्ति रह रहे हैं ; और

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ में उनमें कितने कपड़े और कम्बल बांटे गये ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १५ अक्तूबर, १९५७ को ३५,००० व्यक्ति थे ।

(ख) एक विवरण जिस में १९५६-५७ और १९५७-५८ में वितरण किये गये कपड़ों और कम्बलों की मात्रा बताई गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०७**].

विस्थापित-व्यक्तियों को लोहे की नालीदार चादरों का वितरण

†७२०. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कुल कितनी लोहे की नालीदार चादरें दी गईं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को कुल कितनी चादरें दी गईं ;

(ग) क्या त्रिपुरा के सहायता तथा पुनर्वास विभाग के खिलाफ लोहे की नालीदार चादरों के वितरण के बारे में कोई शिकायत सरकार को मिली है ; और

(घ) क्या लोहे की नालीदार चादरों के ठीक प्रकार वितरण के कार्य में सहायता तथा पुनर्वास विभाग की सहायता करने के लिये सरकार एक गैर-सरकारी संस्था नियुक्त करना चाहती है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १९५६-५७ में ९७८ गट्ठे (१०० टन) और १९५७-५८ में ६८४ गट्ठे (७० टन) ।

(ख) १९५६-५७ में ६१ गट्ठे (६ १/४ टन) १९५७-५८ में ३६ गट्ठे (३ ३/४ टन)

(ग) वितरण के बारे में त्रिपुरा के सहायता तथा पुनर्वास विभाग के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी परन्तु सप्लाई कम होने के खिलाफ शिकायत मिली थी ।

(घ) नहीं ।

इम्फाल का काम दिलाऊ दफ्तर

†७२१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल स्थित काम दिलाऊ दफ्तर में अब तक कुल कितने व्यक्ति पंजीबद्ध किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को मनीपुर में सरकारी विभागों में नौकरी दे दी गई है ; और

(ग) उपरोक्त दफ्तर में अब तक कुल कितने शिक्षित बेकारों के नाम पंजीबद्ध किये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) २०-९-१९५७ तक २,०५४;

(ख) स्थानीय सरकार १९, केन्द्रीय सरकार ६;

(ग) २८४.

आकाशवाणी

७२२. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग के कर्मचारियों के परिवहन पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ;

(ख) किन कर्मचारियों को प्रतिदिन परिवहन सुविधा दी जाती है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) समाचार सेवा विभाग में परिवहन की देख रेख पर प्रतिवर्ष लगभग ६०,००० रुपये खर्च किये जाते हैं और इसका प्रयोग केवल समाचार सेवा विभाग के ही नहीं वैदेशिक सेवा विभाग के कर्मचारी भी करते हैं ।

(ख) इन कर्मचारियों को घर से लाने और घर तक पहुंचाने के लिये परिवहन का प्रयोग किया जाता है :—

(१) उन नितान्त आवश्यक कर्मचारियों के लिये, जिन्हें दिन में एक से अधिक बार काम पर आना होता है और जो ३ १/२ मील (वैदेशिक सेवा विभाग के लिये ५ मील) दूर रहते हैं, दूसरी बार और अन्य जितनी बार वे काम पर आयें ।

(२) उन नितान्त आवश्यक कर्मचारियों के लिये जो अनुपयुक्त समय पर दफतर आते हैं जबकि उनका घर एक मील से अधिक दूरी पर हो ।

(३) उन स्टाफ आर्टिस्टों के लिये जिन्हें ऐसे समय पर आना पड़ता है जब कि सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध न हों ।

(४) स्टाफ आर्टिस्टों के लिये जब उन्हें एक से अधिक बार उपस्थित होना पड़ता है तो एक से अधिक जितनी बार वे आयें ।

(५) ८ बजे और ७ बजे प्रातः के बीच उन महिला स्टाफ आर्टिस्टों के लिये जो अकेली हों ; और

(६) असमर्थ स्टाफ आर्टिस्टों के लिये हर समय ।

(ग) नितान्त आवश्यक कर्मचारियों के लिये परिवहन की व्यवस्था इसलिये की जाती है कि वे समय पर आयें और समाचार तथा वैदेशिक सेवाओं का प्रसारण समय पर हो सके ।

आंध्र में हथकरघा उद्योग

†७२३. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये ऋण अथवा अनुदानों के रूप में कोई राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ५०५.९२ लाख रुपये ।

कारीगरों का प्रशिक्षण

७२४. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीविजन के कारीगरों के प्रशिक्षण के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) इस समय भारत में इस प्रशिक्षण के लिये कहां कहां और किस प्रकार का प्रबन्ध है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस प्रकार शिक्षा देने वाली प्राइवेट संस्थाओं का नियन्त्रण करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) टेलीविजन के कारीगरों की भारत में ट्रेनिंग के लिये अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। ताहम विभिन्न विदेशी सहायता प्रोग्रामों, जैसे कोलम्बो प्लान, पाईंट फोर प्रोग्राम आदि के अन्तर्गत आकाशवाणी के इन्जीनियरों को टेलीविजन प्रशिक्षण दिलवाने के लिये एक योजना तैयार की गई है। यह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकी।

(ख) और (ग). कोई नहीं।

बच्चा-गाड़ियों का निर्यात

७२५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चा-गाड़ियों का निर्यात किया जा रहा है, और

(ख) यदि नहीं, तो उनके निर्यात के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। थोडी तादाद में।

(ख) इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद् बच्चा-गाड़ियों और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादनों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है।

पटसन की खपत

७२६. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जूट मिलों में प्रतिवर्ष भारतीय तथा पाकिस्तानी पटसन की अलग अलग कितनी खपत होती है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०८]**

नेपा कागज मिल

७२७. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा मिल के लिये रासायनिक गूदे के आयात के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(ग) भारत में रासायनिक गूदे के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). जनवरी १९५६ के बाद से मिल ने आयात की हुई रासायनिक लुग्दी का प्रयोग करना बन्द कर दिया है।

(ग) रासायनिक लुग्दी बनाने का काम निजी क्षेत्र के लिये छोड़ दिया गया है। जो लोग इसे बनाना चाहते हैं उन्हें संयंत्र और मशीनों का आयात करने के लिये तथा इमारतें बनाने का सामान व औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त करने में सरकार सभी उचित सुविधायें प्रदान करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाप तथा तोल की मीट्रिक प्रणाली

७२८. **श्री राजा राम मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये बाट और पैमाने तैयार कराने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ख) क्या प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें तैयार करने की अनुमति होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) नये बाटों के प्रतिमान अन्तिम रूप से तैयार कर लिये गये हैं और प्रकाशित कर दिये गये हैं। लम्बाई और तरल पदार्थ नापने के पैमाने के प्रारूप प्रतिमान जनता की राय जानने के लिये प्रसारित कर दिये गये हैं। इन बाट और पैमानों के बनाने वालों की एक अस्थायी सूची तैयार कर ली गयी है और राज्य सरकारों के पास भेज दी गयी है। उनकी रायों को ध्यान में रखते हुए यह सूची अन्तिम रूप से तैयार की जाएगी। राज्य सरकारों को सलाह दी जाएगी कि वे बाट और पैमाने लागू करने के राज्यीय अधिनियमों के अधीन लाइसेंस देने के लिये निर्माताओं को इसी सूची में से छांटे। बाट और पैमाने को सरकारी शस्त्रास्त्र कारखानों में भी बनाया जाएगा।

(ख) जी, हां ; बशर्ते कि वे सम्बन्धित राज्य सरकारों से इसके लिये लाइसेंस ले लें।

नेपा कागज मिल

७२९. **श्री राजा राम मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपा कागज मिल पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : चूंकि यह मिल केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं है इसलिये केन्द्रीय सरकार को ज्ञात नहीं है कि इस पर कितना व्यय हुआ है। पर उसने इस मिल को दिये जाने के लिये (लगभग) २८३ लाख रु० का ऋण मध्य प्रदेश सरकार को दिया है।

गन्ने की खोई से समाचारपत्र का कागज

७३०. **श्री राम स्वरूप तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी मिल क्षेत्रों में उपलब्ध गन्ने की खोई से समाचारपत्र के कागज के निर्माण की सम्भावनाओं की जांच की है ;

(ख) इन क्षेत्रों में गन्ने की कितनी खोई मिल सकती है ; और

(ग) क्या गन्ने की खोई से तैयार किया गया समाचारपत्र का कागज इस क्षेत्र के समाचारपत्रों की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बिलकुल सूखी हुई, गन्ने की लगभग १७ लाख टन खोई मिल सकती है बशर्ते कि चीनी की मिलों को उसकी जगह इस्तेमाल करने के लिये उपयुक्त ईंधन दिया जा सके।

समाचारपत्र का कागज बनाने के कारखाने स्थापित करना इस बात पर निर्भर होगा कि इसके लिये कितने अंदरूनी साधन और कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†७३१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हिमालच प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये आरम्भ की गई, अथवा जिन्हें आरम्भ करने का विचार है, योजनाओं के लिये कितनी निधि आवंटित की गई ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** हिमाचल प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न उद्योगों अथवा उद्योगों के गुट्टों का विकास करने के लिये आवंटन किये गये हैं। एक विवरण जिसमें आवंटन बताया गया है सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०९**] प्रत्येक योजना के लिये अलग आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि योजना के लिये उसी उद्योग के आवंटन से धन प्राप्त किया जायेगा जिस से कि वह योजना सम्बन्धित है।

बेतिया के विस्थापित व्यक्ति

७३२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेतिया (जिला चम्पारन, बिहार) में विस्थापित व्यक्तियों को काम देने के लिये ३१ अक्तूबर, १९५७ तक केन्द्रीय सरकार ने कौन कौन से उद्योग स्थापित किये ;

(ख) उनमें अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को काम दिया जा चुका है ;

(ग) क्या सरकार का वहां कोई कारखाना खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो किस चीज का और कहां ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (**घ**). बेतिया का कैम्प शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये नहीं बल्कि यह शरणार्थियों को वहां जमा करके इधर उधर भेजने के लिये है। इसलिये शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिये इस कैम्प में उद्योगों को शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी इस कैम्प में रहने वाले ४२४ शरणार्थियों के प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र को हाल ही में मंजूरी दी जा चुकी है।

इस समय बेतिया कैम्प में रहने वालें शरणार्थियों को रोजगार दिलाने के लिये निम्न-लिखित योजनायें विचाराधीन हैं :—

(१) भागलपुर में २५,००० तकल्लों वाला एक कताई का कारखाना,

(२) लाल सरैया में बिजली द्वारा चलाये जाने वाले २०० करघों का कारखाना, और

(३) साहिब गंज में अशोक पेपर मिल्ज को कर्जे का दिया जाना ?

राष्ट्रीय योजना दिवस

†७३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन विश्वविद्यालयों में १३ सितम्बर, १९५७ को राष्ट्रीय योजना दिवस मनाया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्हें कितनी कितनी सहायता दी गई ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) अब तक जो समाचार मिले हैं, उनके अनुसार देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में स्थापित की गई ८९ योजना गोष्ठियों ने राष्ट्रीय योजना दिवस मनाया था जैसा कि सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण से पता चलता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११०**] सम्भव है कि और गोष्ठियों ने भी दिवस मनाया हो परन्तु उन्हों ने सूचना न भेजी हो ।

(ख) इस आधार पर योजना गोष्ठियों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

'न्यू लाजपत राय मार्केट'

†७३४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २१ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किला, दिल्ली के सामने न्यू लाजपत राय मार्केट का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) मार्केट के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ११,१४,१५० रुपये ।

विक्रय-पत्र

७३५. श्री नवल प्रभाकर : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २२ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २४९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीर्तिनगर बस्ती के प्लाटों के विक्रय-पत्र सम्बन्धित व्यक्तियों को देने के संबंध में जो वैधानिक अड़चनें थीं वे दूर कर दी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को अब तक विक्रय-पत्र दिये जा चुके हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) अब कोई वैधानिक अड़चन नहीं रही है, क्योंकि रिहैब्लिटेशन हाऊसिज कारपोरेशन ने जमीन का अधिकार प्राप्त कर लिया है । कीर्तिनगर में सेवाओं की व्यवस्था की मंजूरी का प्रश्न दिल्ली डिवेलेपमेंट प्राविजनल अथारिटी के विचाराधीन होने के कारण कोई विक्रय-पत्र कार्यान्वित नहीं किये जा सके । आशा है कि यह मंजूरी जल्द ही ले ली जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट की वितरण एजेंसियां

†७३७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने सीमेंट में वितरण की उन एजेंसियों को बदला है जो कि सीमेंट बनाने वालों ने स्थापित की थीं ;

(ख) यदि सीमेंट विरतण करने वाले एजेन्टों पर राज्य व्यापार निगम कोई नियंत्रण रखता है, तो किस प्रकार ; और

(ग) उनकी आढ़त की दर क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने विक्रेताओं के साथ जो करार किया होता है उसकी शर्तों के अन्तर्गत उन पर नियंत्रण किया जाता है। सीमेंट बेचने वाले एजेन्टों को सावधिक विवरणियां और क्रय-विक्रय के विवरण देने पड़ते हैं, अपने लेखा का निरीक्षण तथा परीक्षा करानी पड़ती है। जिन स्टाकिस्टों को बदला जाता है और नये सिरे से नियुक्त किया जाता है उनके बारे में अनुमोदन प्राप्त करना और समान रूप से सीमेंट का वितरण करने की हिदायतें देना । नियंत्रण इस प्रकार का ही होता है ।

(ग) विक्रेताओं को १/८ रुपये से २/८ रुपये प्रति टन तक आढ़त दी जाती है।

बिन्दबासिनी समिति प्रतिवेदन

†७३८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिंदबासिनी समिति की सिफारिशों के अनुसार कपड़े की मिलों में अभिनवीकरण योजनायें आरम्भ करने के खिलाफ कानपुर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मन मशीनें

†७३९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से भारत ने कितनी और कितने मूल्य की मशीनें प्राप्त कीं और उनका क्या उपयोग अथवा बांट कैसे की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : भारत को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से १०४३१ मशीनें प्राप्त हुई थीं जिनका मूल्य २·६१ करोड़ रुपये था । इनमें से ८५ प्रतिशत से अधिक पूर्वता व्यादेशकों को, जिनमें शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें भी थीं, दे दी गईं और शेष या तो औद्योगिक प्रयोक्ताओं को दे दी गईं या नीलाम द्वारा जनता में बेच दी गईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्वतारोही दल

७४०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** इस आशय का एक विवरण सभा की टेबिल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ म किन किन विदेशी पर्वतारोही दलों ने हिमालय की विभिन्न चोटियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया ;

(ख) हिमालय की किन किन चोटियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया गया ;

(ग) उन पर्वतारोही दलों के क्या उद्देश्य व लक्ष्य थे ;

(घ) उन्हें उनमें कहां तक सफलता मिली ;

(ङ) इन विदेशी पर्वतारोही दलों के साथ किन किन भारतीयों ने सम्पर्क पदाधिकारियों के रूप में काम किया ;

(च) इन दलों को किस प्रकार की वित्तीय अथवा अन्य सहायता दी गई ; और

(छ) नेपाल, भूटान और सिक्किम की सरकारों ने इस संबंध में भारत सरकार को किस प्रकार का सहयोग दिया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत सरकार के पास सिर्फ उन्हीं पर्वतारोही दलों की पूरी जानकारी है, जो हिमालय की उन चोटियों पर चढ़ना चाहते हैं जो भारत में हैं । १९५७ के दौरान में ऐसे दलों की संख्या दो थी ।

(१) यार्कशायर हिमालय पर्वतारोही दल, जिसके नेता श्री विलियम काउली को मिलाकर, दल के सातों सदस्य यूनाइटेड किंगडम के थे ।

(२) पर्वतारोही दल, जिसमें श्री जेफ्रे डगलस और श्री एच० मैकइनेस नामक यूनाइटेड किंगडम के दो राष्ट्रिक थे ।

(ख) से (घ). (१) पहले दल को भारत में पड़ने वाले हिमालय के पार्बती क्षेत्र में चोटियों पर चढ़ाई करने की अनुमति दी गई थी । मौसम खराब होने के कारण यह दल एक दो को छोड़कर, अन्य चोटियों पर चढ़ाई न कर सका, इनमें से सबसे ऊंची थी—बसुनाग चोटी, जिसकी ऊंचाई १७,२५० फीट है ।

२. दूसरे दल को हाल में ही पंजाब के कांगड़ा जिले के कुलू—लाहौल सब-डिवीजन में हिमालय की चोटियों पर चढ़ने की अनुमति दी गई है । पर्वतारोही दल ने चढ़ाई का काम हाल ही में शुरू किया है और नतीजे अभी मालूम नहीं हैं ।

दोनों ही मामलों में, पर्वतारोही दलों को ३२·३० डिग्री अक्षांश (लैटीच्यूड) के उत्तर वाले, और ७८·०० डिग्री देशान्तर (लांगीच्यूड) के पूर्व वाले इलाकों में जाने की मनाही कर दी गई है ।

(ङ) चढ़ाई किए जाने वाले इलाकों को ध्यान में रख कर, यह जरूरी नहीं समझा गया कि इनमें से किसी पर्वतारोही दल के साथ कोई भारतीय संपर्क अधिकारी (लियांजा आफिसर) भेजा जाय ।

(च) २० दिसम्बर, १९५५ को लोक-सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर में जिन सुविधाओं का हवाला दिया गया है, वैसी ही सुविधाएं इनको भी दी गई हैं ।

(छ) सवाल नहीं उठता ।

क्वाटरों में बिजली लगाना

७४१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सभी क्वार्टरों में बिजली लगा दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो किन किन क्षेत्रों में अब तक यह सुविधा नहीं दी गई है ; और

(ग) यह सुविधा इन क्षेत्रों में कब तक पहुंच जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) नहीं ।

(ख) १. तीमारपुर, दिल्ली, के ७० क्वार्टर ।

२. अलीगंज, नई दिल्ली, के ४७ क्वार्टर ।

३. पंचकुई रोड, नई दिल्ली, के ११५१ क्वार्टर ।

(ग) आशा है कि तीमारपुर क्षेत्र में बिजली चार छः हफ्ते में मिल जायेगी । बाकी दो क्षेत्रों में यह प्रश्न नई छतें बनाने के सुझाव से सम्बन्धित है और नई छतें बन जाने के बाद बिजली मिल जायेगी ।

काफी और चाय बागान के लिये उर्वरक

†७४२. **श्री स० रा० अरूमुगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में गत तीन वर्षों में चाय और काफी का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) यदि खाद की कमी के कारण उत्पादन कम हो गया है तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है कि खाद पर्याप्त मात्रा में डाली जाये ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चाय

वर्ष	उत्पादन (हजार पौंडों में)
१९५४	१,२०,९५५
१९५५	१,२३,३९७
१९५६	१,२६,९३७

†मूल अंग्रेजी में

काफी

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
१९५४–५५	२४,८५२
१९५५–५६	३३,९३०
१९५६–५७ . . . . . (कुल फसल)	४२,००० (अनुमानित)

(ख) उत्पादन बढ़ा है । प्रश्न का यह भाग उत्पन्न नहीं होता ।

गोआ में भारतीय श्रमिक

†७४३. **श्री राधा रमण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में मैंगानीज उद्योग में काम करने वाले भारतीय श्रमिक भारत लौट आये हैं क्योंकि वहां उनके साथ बुरा बर्ताव होता था; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) गोआ में काम करने वाले अधिकतर श्रमिकों को पुर्तगाली प्राधिकारियों ने अगस्त, १९५४ में निकाल दिया था। उसके पश्चात् श्रमिक छोटे–छोटे गिरोह बना कर गोआ चले गये हैं परन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं है । कुछ श्रमिक गोआ में स्थिति के असन्तोषजनक होने की शिकायत करते हुए वापस लौटे आये हैं।

(ख) सीमा को अवैध रूप से पार करने से रोकने के अतिरिक्त सरकार इस मामले में और कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

७४४. **श्री ह० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के दिसम्बर, १९५६ में संसद् द्वारा संशोधित होने के पश्चात् देश के कितने श्रमिकों को इसके अन्तर्गत लाभ हुआ ;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले देश के कितने कारखानों ने अब तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संबंधित अधिकारियों के पास भविष्य निधि का धन जमा नहीं कराया है; और

(ग) इस प्रकार के कारखानों के स्वामियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) चार लाख चौरानब्बे हजार (३० सितम्बर, १९५७ तक)।

(ख) २९२ (३० सितम्बर, १९५७ तक)।

(ग) कर्मचारी प्रोविडेंट फंड कानून, १९५२ की धारा ८ के अधीन वसूली की कार्रवाई की गई है। आवश्यकता अनुसार मुकद्दमें भी चलाए गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण द्वारा प्रेषण

†७४५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को जोरहाट में उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन से एक प्रार्थना प्राप्त हुई है कि विमान द्वारा खाद्यान्न गिराने के काम के लिये किराये पर लिये गये विमानों का भुगतान भारत के रिजर्व बैंक की किसी शाखा के नाम ड्राफ्ट द्वारा करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि रोषरिया में केन्द्रीय ट्रैजरी को बैंक की धन प्रेषण सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की "ट्रैजरी एजेंसी" ही माना जायेगा और योजना में बताई गई शर्तों के अन्तर्गत केन्द्रीय ट्रैजरी से और केन्द्रीय ट्रैजरी को धन प्रेषण करना तुरन्त शुरू हो जायेगा।

चाय बागानों में गृहबस्तियां

†७४६. **श्री बसुमातारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों में गृहबस्तियों के लिये ऋण के उपबंध का उपयोग करने के लिये आसाम सरकार से सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख) धन का उपयोग करने के बारे में आसाम सरकार से अभी तक कोई निर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि राज्य सरकार ने राज्य में उत्पादकर्ताओं को यह योजना अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से योजना के अन्तर्गत देय ऋण में वृद्धि करने और ऋण के वितरण की प्रणाली को उदार बनाने आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे। ये सब निर्णय स्वीकार कर लिये गये थे और राज्य सरकार को सितम्बर, १९५७ में यह संप्रेषित कर दिया गया था।

अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना

†७४७. **श्री बसुमातारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से निधि बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : जी, हाँ। अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत आवंटन में ८ लाख ९० हजार रुपये (हाल ही में पुनरीक्षित) बढ़ाकर १९५७-५८ में १६ लाख रुपये करने के सम्बन्ध में आसाम सरकार की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापार संतुलन

†७४८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५७ की अवधि में निम्न देशों के साथ भारत के व्यापार संतुलन की क्या अवस्था है:

(१) अमेरिका,
(२) रूस,
(३) जापान,
(४) पश्चिमी जर्मनी,
(५) ब्रिटेन,
(६) कनाडा,
(७) आस्ट्रेलिया, और

(ख) यदि इन देशों के साथ व्यापार संतुलन की विपरीत अवस्था है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) और (ख). ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाले ६ महीने की अवधि के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी, जो तत्काल उपलब्ध ह, लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १११**]

सूडान के लिये भारतीय अधिकारी

†७४९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडान सरकार ने अपने देश के प्रस्तावित वेतन आयोग की अध्यक्षता के लिये किसी वरिष्ट भारतीय अधिकारी की सेवाएं ऋण स्वरूप देने क लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है ?

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने प्रार्थना स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके लिये नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:(क) और (ख) जी हां ।

(ग) इस कार्य के लिये मैसूर सरकार के मुख्य सचिव, श्री पी० वी० आर० राव को चुना गय था । किन्तु वह १५ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व भारत से विदा नहीं हो सकते थ । सूडान सरकार चाहती थी कि यह अधिकारी वहां १५ अक्तूबर, १९५७ पक पहुँच जाये । सूडान सरकार दिसम्बर के मध्य तक प्रतीक्षा करने में असमर्थ थी और कोई अधिकारी शीघ्र उपलब्ध नहीं था । उनसे वैकल्पिक प्रबन्ध करने के लिये प्रार्थना की गई ।

---

†मूल अंग्रजी म

हेग न्यायालय

†**७५०. श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों का हाल ही में निर्वाचन हुआ था;

(ख) क्या भारत सरकार ने निर्वाचन में अपना उम्मीदवार खड़ा किया था; और

(ग) पांच स्थानों पर निर्वाचित उम्मीदवारों के क्या नाम हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पाँच स्थानों पर निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) श्री अब्देल हमीद बादवी (मिश्र) :
(२) श्री विलिंगटन कू (फारमोसा)
(३) सर पर्सी स्पेण्डर (आस्ट्रेलिया)
(४) श्री जीन स्पिरोपोलोस (ग्रीस)
(५) श्री बोहदान विनियारस्की (पौलेण्ड)

विद्युदैशिक तांबा[17]

†**७५१. श्री बीरेन राय**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री वार्षिक रूप में विदेशों से मंगाये जाने वाले विद्युदंशिक ताँबे का परिमाण बताने की कृपा करेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : विद्युदंशिक ताँबे का आयात सांख्यकी में दिसम्बर, १९५६ के अंत तक पृथक ब्यौरा नहीं रखा जाता था अतः १९५७ के पूर्व इसके आयात के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जनवरी–जून १९५७ के दौरान आयात इस प्रकार है :—

विद्युदंशिक ताँबे की छड़ें जिनमें कड़ियाँ भी सम्मिलित हैं	७५०१ हंडरवेट
ताँबे के तार की विद्युदंशिक छड़ें	३५७६३० हंडरवेट

मोटर साइकल और साइकिल रिक्शों के पुर्जे

†**७५२. श्री बांगशी ठाकुर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा प्रशासन द्वारा मोटर के पुर्जे, जिनमें नट और बोल्ट सम्मिलित हैं और साइकलों तथा साइकल रिक्शों के पुर्जों को खरीदने में प्रतिवर्ष कितना रूपया खर्च किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**): १९५६–५७ में लगभग ८२ हजार रुपये

इंजीनियरों की भरती

†**७५३. श्री य० सिं० परमार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यकारी इंजीनियर सामान्यतया खुले बाजार से नहीं लिये जाते हैं किन्तु मनीपुर और हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में ऐसा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[17]Eletrolytic Copper

(ग) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कार्यकारी इंजीनियरों के चार पदों की पूर्ति के लिये हाल ही में आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे और यह निर्धारित किया था कि उम्मीदवारों के लिये भवन तथा सड़क निर्माण के बारे में सात वर्ष का अनुभव अनिवार्य है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) असैनिक सेवाओं । पदों पर भरती की पद्धति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निश्चित की जाती है । किसी सेवा । संवर्ग के लिये भरती सम्बन्धी नियमों में भरती की प्रणाली भी सामान्यतया सम्मिलित है । जब तक भरती सम्बन्धी नियमों में अन्यथा उपबन्ध नहीं किये जायें इन प्रथम श्रेणी के पदों की भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुले बाजार से की जाती है ।

बहु प्रतिष्ठापित इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये कार्यकारी इंजीनियर का पद आम तौर पर पदोन्नति है । केन्द्रीय राज्य क्षेत्र में इंजीनियरिंग सम्बन्धी संवर्ग अभी समुचित रूप से स्थापित नहीं है । अतः कार्यकारी इंजीनियरों के पद की भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुले बाजार में से करना पड़ा ।

(ग) कार्यकारी इंजीनियरों के आठ रिक्त पदों की पूर्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे । इन पदों के लिये भवन तथा सड़क निर्माण का सात वर्ष का अनुभव आवश्यक शर्त थी ।

'इंडिया एन्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाईटी'

†७५४. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडिया एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी की मद्रास राज्य शाखा की ओर से दैनिक समाचारपत्रों का मूल्य निर्धारित करने के सरकारी प्रस्ताव के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). जी, हां । अनुसूची निर्धारित करते समय इन सब सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में श्रम विभाग

†७५५. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कोई श्रम विभाग है ;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ग) हिमाचल प्रदेश में समझौते अधिकारियों की कितनी संख्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९५६ में और १९५७ में अभी तक कितने औद्योगिक विवादों को तय करने के लिये उन के पास भेजा गया था ; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश में लागू होने वाली विधियां कौन-कौन सी हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) श्रम विभाग पृथक नहीं है । श्रम सम्बन्धी विषय हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा निबटाये जाते हैं ।

(ख) पांच अधिकारी हैं :—

१. उद्योग निदेशक—जो श्रम आयुक्त के स्थान पर भी कार्य करते हैं ।

२. उद्योगों के सह-निदेशक जो फैक्टरियों के मुख्य निरीक्षक का काम भी करते हैं ।

३. फैक्टरियों के निरीक्षक ।

४. दो श्रम निरीक्षक ।

(ग) चार

(घ) एक भी नहीं ।

(ङ) वे सब श्रम विधियां जो अन्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों पर लागू होती हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†७५६. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७०० टन कोयले का चूरा कई वर्षों से दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पुनर्वास सर्कल में पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति ने उक्त कोयला इस शर्त पर खरीदने की इच्छा प्रकट की थी कि उसे दिल्ली से बाहर भेजने की अनुमति हो ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उप कोयला आयुक्त, कलकत्ता, से कोयला बाहर भेजने की अनुमति प्राप्त होने पर भी सहकारी समिति को कोयले की पूर्ण मात्रा नहीं बेची गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) कोयले के चूरे के निबटान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । एक बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति ने कुछ कोयला खरीदने की इच्छा प्रकट की थी । इसे खरीदने के लिये ६ उम्मीदवार और हैं ।

(ग) इस कोयले के निबटाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) सरकार ने कोयले पर जितना रुपया खर्च किया था उतना उस की कीमत नहीं मिल रही है किन्तु दिल्ली के बाहर उस की बिक्री का अच्छा बाजार है । कोयले को दिल्ली के बाहर भेजने की अनुमति ८ अक्तूबर, १९५७ को प्राप्त हुई थी और सरकार द्वारा विभिन्न आवेदकों की यथार्थ मांगें पूरी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

७५७. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी कारखाने में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है, और उस में कितने मजदूर काम करते हैं ;

(ख) देश के विभिन्न भागों में सिन्दरी के उर्वरक का मूल्य क्या है ; और

(ग) उर्वरक के नाईट्रोजन प्रतिशत को देखते हुए एक मन नाईट्रोजन के लिये किसान को कितना दाम देना पड़ता है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) (१) ३१-३-५७ तक लगी हुई कुल पूंजी—२८.२५ करोड़ रु० ।

(२) कभी कभी रखे जाने वालों को छोड़ कर ३१-१०-५७ तक मजदूरों की संख्या—७३१२ ।

(ख) ३५० रु० प्रति टन एफ० ओ० आर० रेल का कोई भी स्टेशन ।

(ग) लगभग ६८ रु० ।

पारपत्र

†**७५८. श्री दामानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा में बचत की दृष्टि से विदेश यात्रा पर नियंत्रण लगाने के पश्चात् आनन्द-प्रमोद, व्यापार और शैक्षणिक कार्यों के लिये आज तक कितने पारपत्र दिये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** २६ जून, १९५७, अर्थात् विदेशी मुद्रा में बचत की दृष्टि से यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों की घोषणा समाचारपत्रों में करने के दिन से आज तक जारी किये गये अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

(१) आनन्द-प्रमोद सम्बन्धी यात्रा	८५७
(२) व्यापार हेतु यात्रा	७८८
(३) शैक्षणिक यात्रा	२९९३
कुल	४६३८

पारपत्र के लिये प्रत्येक व्यक्ति के आवेदन पर उस के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है भले ही रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा की स्वीकृत दी हो अथवा नहीं दी हो । विदेशी मुद्रा की समस्या का पारपत्र जारी करने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

लुहारी का प्रशिक्षण

†७५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुहारी के कार्य में प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा खोले गये स्कूलों की संख्या और १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ (३० सितम्बर, १९५७ तक) की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की क्या संख्या है ;

(ख) वर्कशाप आरम्भ करने में सरकार द्वारा उपरोक्त कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या उन में से कुछ अभी भी बेकार हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) लुहारी कार्य में प्रशिक्षण देने के लिये २२ प्रशिक्षण केन्द्र हैं । १९५५–५६ और १९५६–५७ में लुहारी की ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमशः १०६ है । १९५७–५८ के बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार की सहायता नहीं दी गई है ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी इतना मालूम है कि काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टर में ३० सितम्बर, १९५७ को १९६ व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ।

पुनर्वास मंत्री सम्मेलन

७६०. **श्री वाजपेयी :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में दार्जिलिंग में हुये पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किये गये ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): सम्मेलन द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों का एक नोट सभा की मेज पर रखा दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ११२]**

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

†७६१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अभी तक अपनी कार्यवाहियां जम्मू और काश्मीर राज्य तक नहीं बढ़ाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भविष्य में उक्त राज्य को सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को अपने कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने का विचार रखती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह विषय विचाराधीन हैं ।

भारतीय व्यापार मिशन और प्रतिनिधि मंडल

†७६२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री महोदय के मंत्रालय के सम्बन्धित भारतीय व्यापार मिशन और प्रतिनिधि-मण्डलों की संख्या जो १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५७ की अवधि में विदेश गये थे ;

(ख) ये मिशन और प्रतिनिधि मण्डल किन-किन देशों में गये थे; और

(ग) इन मिशनों और प्रतिनिधि मण्डलों में से प्रत्येक में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम और उन पर खर्च की गई राशि कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११३]**

पंजाब में स्थानीय विकास कार्य

†७६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गत वर्ष पंजाब राज्य को अनुदान प्रदान करने की सूचना में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप स्थानीय विकास कार्य नहीं किये जा सके ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : जी नहीं । उन्नति सम्बन्धी विवरण के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा १९५६–५७ में अनुमोदित २,४०९ कार्यों में से उस वर्ष २,००० कार्य पूरे करने के लिये कार्यवाही की गई ।

पंजाब में उद्योग

†७६४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उद्योगों में से कोई उद्योग पंजाब में स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इन उद्योगों के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की मांग गई है ; और

(घ) सरकार द्वारा ऋण और अनुदानों के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में लगभग २७.५ करोड़ रुपये की लागत से पंजाब राज्य में नंगल उर्वरक व भारी पानी फैक्टरी की स्थापना की जा रही है। इस फैक्टरी पर खर्च होने वाली सम्पूर्ण राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी ।

राज्यकीय अंश के अन्तर्गत पंजाब राज्य सरकार राज्य में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले निम्न वृहद् तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों में १५९ लाख रुपये खर्च करने का विचार रखती है :—

(१) चार चीनी मिल—सहकारिता के आधार पर

(२) एक सूती कपड़े की मिल

(३) सूती कपड़े तैयार करने और रूपांकित करने वाली मिल

(४) शोडी[१८] स्पिनिंग मिल

(५) इस्पात भट्टी और इस्पात की ढलाई के लिये फाउण्डड्री

(६) होजियरी की सुइयां

मोरिन्दा और बटाला में सहकारी आधार पर चीनी उत्पादन करने वाले दो यूनिटों की स्थापना के लिये अनुज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं और इन यूनिटों की अंश पूंजी में भाग लेने के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को १२ लाख रुपये और १४.१ लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है ।

जालंधर में आकाशवाणी केन्द्र

†७६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालंधर में आकाशवाणी स्टेशन के विकास एवं संवर्द्धन की योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : आकशवाणी जालंधर के लिये वर्तमान स्टूडियो भवन को खरीदने के लिये अन्तिम व्यवस्था हो गई है और कार्यालय के लिये अतिरिक्त आवास निर्माण करने की योजना यें प्रस्तुत हैं। मौजूदा अस्थायी भवन के स्थान पर समाचार प्राप्त करने वाले एक स्थायी भवन निर्माण करने के लिये और स्टूडियो में अतिरिक्त टेक्नीकल सुविधाओं के उपबन्ध के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना

†७६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत १९५७–५८ में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१८]Shoddy

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :

क्रम संख्या	राज्य सरकार संघ प्रशासन का नाम	१९५७–५८ के लिये पुनरीक्षित निधि	१ अप्रैल, १९५७ से १९ नवम्बर, १९५७ तक वितिरित निधि	मकानों की संख्या			
				पूर्ण		जिन का निर्माण चालू है	
				३१ मार्च, १९५७ तक	३० जून, १९५७ तक	३१ मार्च, १९५७ तक	३० जून, १९५७ तक
१	२	३	४	५	६	७	८
१	आंध्र प्रदेश .	५३.००	—	९७१	**	६२२	**
२	आसाम .	८.९०	२.२२	३५४	३६८	१६०	२८०
३	बिहार .	४५.२५	३०.००	१२६	१६६	६७	१५६
४	बम्बई . .	८८.७५	—	१,६३८	१,९६०	१,५८८	१,५७५
५	जम्मू और काश्मीर .	१३.७५	९.००	१९१	२९७	११०	५२
६	केरल . .	१२.९५	—	२२	४२	५६	८२
७	मध्य प्रदेश . .	३५.३०	—	५२५	८२२	**	**
८	मद्रास .	२२.३०	१४.४८	५२९	९९९	१,३६५	७०१
९	मैसूर . .	३५.५०	—	६८१	१,०७२	८०८	५२३
१०	उड़ीसा . .	७.७५	७.००	९६	९६	२३२	१७३

**जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में।

१	२	३	४	५	६	७	८
११	पंजाब	६६.७५	३०.००	५,५०२	६,४१५	६,२७६	५,७८०
१२	राजस्थान .	२२.२०	१०.००	८५१	१,०८७	९५७	१,१८०
१३	उत्तर प्रदेश .	४९.२०	२०.५०	२,५७९	२,९५१	१,२५१	१,१७१
१४	पश्चिमी बंगाल .	३८.४०	—	१९४	५२९	२८८	६१९
१५	अन्दमान और निकोबारद्वीप	४.००	—	*	*	*	*
१६	दिल्ली . .	३०.००	२०.००	१,१७८	७०३	१,१७८	७०३
१७	हिमाचल प्रदेश .	१०.००	—	९२	११३	—	६५
१८	मनीपुर . .	३.००	१.००	—	**	**	**
१९	पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण	२.००	१.५०	*	*	*	*
२०	पाण्डिचेरी . .	५.००	—	—	**	**	**
२१	त्रिपुरा . .	२.००	१.२५	—	४३	—	४३
		५५६.००	१४६.९५	१५,५२९	१७,७५२	१४,९५८	१३,१०३
					(आंकड़े अपूर्ण हैं)	(आंकड़े अपूर्ण हैं)	(आंकड़ें अपूर्ण हैं)

**जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

*इन राज्य क्षेत्रों में यह योजना केवल इसी वर्ष लागू हुई है ।

टिप्पणी—उपरोक्त जानकारी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त नवीनतम जानकारी पर आधारित है ।

मूंज उद्योग

†७६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में मूंज उद्योग के उत्पादन, वलन, बुनाई, कताई और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये केन्द्र द्वारा अनुदान तथा दान के रूप में अभी तक कितनी रकम दी गई है ;

(ख) इस उद्योग के साथ कितनी सहकारी समितियां सम्बद्ध हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में क्या-क्या नवीन प्रयोग किये गये हैं ; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मूंज उद्योग के विकास के लिये पंजाब सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि १९५६-५७ में सामान्यतः रेशे उद्योग के बारे में एक योजना राज्य सरकार द्वारा भेजी गई थी और चार प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों के लिये ४,४०० रुपये की रकम स्वीकृत की गई थी । बाद में पंजाब सरकार द्वारा सूचना दी गई कि वह योजना १९५६-५७ में क्रियान्वित नहीं की गई और न वह १९५७-५८ में कार्यक्रम में ही सम्मिलित की गई । अतः इस योजना को समाप्त करने का निर्णय किया गया ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कपड़ा मिलें

†७६८. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कपड़े की उन मिलों के नाम दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जो अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक बन्द रही थीं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जो मिलें अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक बन्द रहीं उन के नाम बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ११४]**.

उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई

†७६९. **श्री वाजपेयी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई तथा उन के सुधार की कोई योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १.९६ करोड़ रुपये के अनुमित व्यय पर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ नगरों के लिये गन्दी बस्ती हटाने की पांच परियोजनायें तैयार की गई हैं । इस व्यय से गन्दी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को बसाने के लिये १४२० एक मंजल के मकान, ३९४९ दो मंज़िल के मकान और १७ खुले विकसित मकान बनाये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें

†७७०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये रूस और भारत की सरकारों के बीच करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या करार की प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) करार की प्रतियां अलग से संसद् कार्यालय में भेजी गई हैं ।

अंडमान और निकोबार द्वीपों के लिए योजनायें

†७७१. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **योजना** मंत्री निम्नलिखित दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीपों की योजना के पहले और दूसरे वर्षों में निष्पादन के लिये बनाई गई ठोस योजनायें ;

(ख) अब तक कार्यों में प्राप्त की गई सफलता ;

(ग) धीमी प्रगति के कारण ;

(घ) क्या सामग्री प्रविधिज्ञ कर्मचारियों और निधि की मंजूरी के अभाव के कारण लम्बी किश्तयों के लिये पोर्ट ब्लेयर बन्दरगाह में पुल बनाने की योजना जैसा कुछ महत्वपूर्ण कार्य बन्द पड़ा है ; और

(ङ) सरकार स्थिति के सुधार के लिये क्या करना चाहती है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया गया । देखिये संख्या एल० टी० ३९७/५७]**

(ग) काम में धीमी प्रगति के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) योजनायें देर में तैयार हुईं ।

(२) देश और द्वीपों के बीच परिवहन की कठिनाई ।

(३) प्रविधिज्ञ कर्मचारियों की कमी ।

(घ) अभी तक अनुमोदित योजना में कोई ऐसी योजना नहीं ।

(ङ) योजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) एक अग्न बोट एक जहाज़ और १९५७-४५८ में एक और जहाज़ खरीदा जायगा। इस प्रयोजन के इस वर्ष के आय-व्ययक में उपबन्ध किया गया है।

(२) योजना की कार्यान्विति के लिये प्रविधिज्ञ कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है।

रेडियो वार्ता

†७७२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ में अब तक आकाशवाणी के केन्द्रों ने कितने संसद सदस्यों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को रेडियो वार्ता के लिये आमंत्रित किया था ; और

(ख) उन में कितने विरोधी पक्ष के सदस्य थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) तथा (ख). १ जनवरी से १५ नवम्बर, १९५७ तक ११० संसद सदस्यों को आमंत्रित किया गया। आकाशवाणी में रेडियो वार्ता के लिये लोगों और संसद सदस्यों का चुनाव करते हुए राजनैतिक सम्बन्धों अथवा दलों का ध्यान नहीं रखा जाता। यह वार्ता के विषय और उस पर बोलने के लिये व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। क्योंकि रेडियो पर राजनैतिक विषयों अथवा विवादों की वार्ता की अनुमति नहीं दी जाती अतः दल के आधार पर आमंत्रण का प्रश्न पैदा नहीं होता।

ग्रामदान कार्य

†७७३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापत ज़िला और भारत के अन्य भागों में ग्रामदान कार्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सर्व सेवा संघ को कोई धन राशि दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११५]**

कपड़ा मिलें

†७७४. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़े की मिलों की गणना आरम्भ करवाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) कितनी मिलें पंजीबद्ध की गई हैं और उन में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). सरकार की ओर से कपड़े की मिलों की कोई अलग गणना आरम्भ नहीं की गई। परन्तु वाणिज्य सूचना तथा सांख्यकी विभाग कलकत्ता भारतीय निर्माताओं और कपड़े की मिलों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करता है और "भारतीय निर्माताओं

†मूल अंग्रेजी में

की गणना का प्रतिवेदन" नामक एक वार्षिक पत्र प्रकाशित करता है। इस के अतिरिक्त वस्त्रोद्योग आयुक्त सूती ऊनी और कृत्रिम रेशम के कपड़ों के उद्योग के आंकड़े एकत्र करता है।

(ग) वस्त्रोद्योग आयुक्त के अभिलेखों में दी गई जानकारी निम्नलिखित है :

उद्योग का नाम	पंजीबद्ध मिलें	कर्मचारियों की अनुमित संख्या
सूती कपड़ा	४६३	९,४०,०००
ऊनी कपड़ा	११८	१७,०००
नकली रेशम .	४,०००	६०,०००
कुल	४,५८१	१०,१७,०००

हथकरघा वस्त्र

†७७५. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५७ तक विभिन्न प्रारम्भिक तथा राज्य हथकरघा सहकारी समितियों के पास हथकरघा उद्योग का कितना वस्त्र एकत्र हुआ है; और

(ख) क्या राज्य हथकरघा सहकारी समितियां प्राथमिक समितियों के पास एकत्र हुए वस्त्र को खरीदने के लिये ऋण के हेतु संघ सरकार से अनुरोध कर रही हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) सरकारी प्रतिवेदनों के अनुसार ३१ अगस्त १९५७ तक जमा वस्त्र लगभग २५० लाख गज़ है। इस के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) नहीं श्रीमान्।

वीजा

†७७६. **श्री कमलनयन बजाज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों में भारतीय राष्ट्रजनों को प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती ; और

(ख) क्या उन देशों के राष्ट्रजनों को भी भारत में वही सुविधाएं दी जाती हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) भारतीय राष्ट्रजनों को (पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर) सभी राष्ट्र मंडलीय देशों और आयरलैण्ड तथा जर्मन फैडरल गणतंत्र में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु जो भारतीय जर्मन फेडरल गणतंत्र में नौकरी या व्यवसाय करना चाहें अथवा व्यापार स्थापित करना चाहें तो उन्हें वीजा की आवश्यकता होती है।

(ख) वैसी ही सुविधाएं (पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर) सभी राष्ट्रमंडलीय देशों और आयरलैण्ड को दी जाती हैं। परन्तु जर्मन फेडरल गणतंत्र को नहीं दी जाती।

†मूल अंग्रेजी में

फोम कंक्रीट और थर्मो कोल

†७७७. **श्री क० उ० परमार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फोम कंक्रीट और थर्मो कोल का निर्माण सरकारी उद्योग क्षेत्र तथा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र दोनों में होता है ;

(ख) यदि हां, तो १९५६–५७ में दोनों क्षेत्रों में कितना उत्पादन किया गया है ; और

(ग) सरकारी भवनों के लिए सरकार द्वारा खरीदे गये इन उत्पादों की मात्रा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) फोम कंक्रीट दोनों उद्योग क्षेत्रों में बनाया जाता है । थर्मो कोल का निर्माण केवल गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में होता है ।

(ख) तथा (ग). **फोम कंक्रीट** : गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं । सरकारी उद्योग क्षेत्र में अगस्त, १९५६ से जुलाई, १९५७ तक की कालावधि में कुल उत्पादन १०,५०० क्यूबिक फुट (जिन में ४५,००० फुट विभाजन खंड भी हैं) है । सरकार के ५८,५०० क्यूबिक फुट (जिस में ४२,००० क्यूबिक फुट विभाजन खंड भी हैं) की खरीद की है ।

थर्मो कोल : १९५६–५७ में २६.७ टन का उत्पादन हुआ । सरकार द्वारा किये गये क्रम की जानकारी उपलब्ध नहीं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

चाय नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३६३० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी–देखिये संख्या एल० टी० ३९५/५७**]

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमों में संशोधन

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अपने सहयोगी श्री ब० रा० भगत की अनुपस्थिति में मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १९ अक्तूबर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३३२४ ।

(दो) दिनांक १९ अक्तूबर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३३२५ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

(तीन) दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३४५८।

(चार) दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० संख्या ३५७५।

(पांच) दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५७६।

(छै) दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५७७।

(सात) दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३६२५।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३९६/५७]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १४ नवम्बर, १९५७ को पारित सरकारी नौकरी (निवास विषयक अपेक्षा) विधेयक, १९५७ को राज्य सभा ने अपनी २५ नवम्बर, १९५७ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी। ४ घन्टे के समय में से अब १ घण्टा ५७ मिनट शेष हैं : सामान्य चर्चा के विचार, खण्डवार विचार तथा प्रथम वाचन लिया जायेगा।

चौ० प्र० सिं० दौलता अपना भाषण जारी करें।

चौ० प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : जनाब स्पीकर साहब, आल्डरमैनों के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली कारपोरेशन में मुन्तखिबशुदा मेम्बरों के अलावा किसी और अन्सर को लाने की जरूरत नहीं है। एक दलील यह दी जाती है कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो एलेक्शन के गर्द व गुबार को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन को लाने की जरूरत है। मेरी अर्ज यह है कि दिल्ली में गर्द व गुबार है ही नहीं, और कोई भी आदमी जो एलेक्शन में दिलचस्पी रखता है, वह जानता है कि दिल्ली सब से अच्छी जगह है जहां दर्जनों अखबार छपते हैं, जहां कि नेता लोग हर वक्त तकरीरें करते रहते हैं। दिल्ली का माहौल एक ऐसा माहौल है कि वहां का कोई भी आदमी कांफिडेंस के साथ एलेक्शन को अखाड़े में कूद सकता है और अहलियाने दिल्ली की जो काबिलियत है, सयासी शउर है, उस की पुख्तगी में वह यकीन रख सकता है। इसलिए इस के मुताल्लिक ज्यादा वक्त न लेते हुए, मेरी अर्ज यही है कि बुनियादी कमेटियों में जो नामिनेटेड अन्सर है वह नहीं होना चाहिए।

---

†मल अंग्रेजी में

अब में एक जरूरी चीज की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। यहां न होम मिनिस्टर हैं और न डिपुटी मिनिस्टर हैं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : मैं उपस्थित हूं ।

चौ० प्र० सिं० दौलता : मैं अर्ज करूं कि इस कारपोरेशन का सब से मायूसकुन पहलू है देहात की रूरल कमेटी । तारीख में, जैसा होम मिनिस्टर साहब ने कहा, कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक झटके के साथ ऐसे बड़े इलाके को कारपोरेशन के साथ जोड़ दिया गया हो । उन लोगों को, जिन्हें स्टेट असेम्बली से महरूम होना पड़ा, आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी महरूम कर रहे हैं और उन्हें दे रहे हैं रूरल कमेटी, जो कमेटी इतनी अखत्यार वाली भी नहीं है कि जितनी कि ट्रांसपोर्ट पानी या बिजली वाली कमेटी है । जहां तक नई दिल्ली को निकालने का ताल्लुक है इस रकबे को होम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अहमियत दी है । मैं अर्ज करूं कि आबादी के लिहाज से जो शहरी या अर्बन यूनिट है वह देहाती यूनिट के मुकाबले में आठ गुना है । लेकिन रकबे के लिहाज से देहाती यूनिट शहरी यूनिट के मुकाबले में बारह गुना है । लेकिन देहाती यूनिट की **स्कीम आफ दि बिल** में कोई अहमियत नहीं दी गई । जो कमेटी बनी है, पहले ऐडवाइजरी थी । आप कहते हैं कि रिकमैन्डेटरी होगी । मेरी अर्ज यह है कि वह स्टैटुटरी बाड़ी होनी चाहिए । अगर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कुछ ज्यादा न हो तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जितनी तो होनी चाहिए । लेकिन आप को उस का एहसास नहीं है ।

दूसरी चीज जो मैं देहात के बारे में जो अर्ज करना चाहता हूं वह डेफिनिशन के बारे में है । जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रकबा होगा वही रूरल एरिया का रकबा होगा । मैं कहना चाहता हूं कि जो देहात म्यूनिसिपल कमेटी में मिला लिए गए लेकिन जिनका नवैयती कैरेक्टर बिल्कुल देहाती है, वह रूरल एरिया को दिए जाएं । यानी नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को छोड़ कर दिल्ली स्टेट को जो भी बाकी हिस्सा है वह सारे का सारा रूरल एरिया को, देहाती यूनिट को, मिलना चाहिए । जो स्माल टाउंस की म्यूनिसिपल कमेटीज हैं वह अर्बन एरियाज में नहीं होनी चाहिए, वर्ना छोटे छोटे जजीरे बन जाएंगे ।

तीसरी चीज यह है कि शेड्यूल ३ के मुताबिक बड़ी भारी गलती हुई । शेड्यूल ३ नकल है बाम्बे ऐक्ट की । उस में दूध देने वाली भैंस पर ५० रु०, बैलगाड़ी पर ७५ रु०, बैलों पर भी बहुत बड़ा टैक्स । इतना टैक्स लाद दिया गया है कि देहात की आबादी का, अलावा दूसरे टैक्सों के, इस टैक्स के कचूमर निकल जाएगा । यह नकल बम्बई एक्ट से की गई है । लेकिन बम्बई से मिला हुआ कोई लम्बा चौड़ा इलाका देहात का नहीं है । इसलिए महज डिस्क्रिशन पर इस चीज को नहीं छोड़ना चाहिए कि जो कारपोरेशन आइन्दा वजूद में आएगा उस के मेम्बरान फैसला कर लेंगे कि कोई टैक्स लागू हो या न हो । मैं इस चीज को स्पेसिफिक चाहता हूं । खास प्राविजन हो कि सिवा अर्बन एरिया के कहीं टैक्स न लगे नई दिल्ली में कोई भस बांधता है, वह शहर की खूबसूरती खराब करता है और नई दिल्ली में आप नहीं चाहते कि कोई खालिस दूध पिए, तो वहां पर टैक्स लगा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं । लेकिन देहात के जो किसान हैं, जिन का हलों बैलों के बगैर गुजारा नहीं चल सकता. उन पर ५०, ५० रु० टैक्स नहीं होना चाहिए ।

[चौ० प्र० सिंह दौलता]

इस के लिए स्पेसिफिक प्राविजन हो कि यह सिर्फ अर्बन यूनिट पर, जो कि कारपोरेशन में होगा, लागू होगा । देहात के मवेशियों पर यह लागू नहीं होगा ।

अब मैं इस कारपोरेशन के इन्तखाब के ऊपर कुछ अर्ज करना चाहता हूं । आप ने प्लरल कांस्टिटुएन्सी के साथ डिस्ट्रिब्यूटिव सिंगल वोट का जो सिस्टम कायम किया है, मुझे शक है कि कोई भी ठेठ देहाती इस तरह के इन्तखाब एलेक्ट हो सकेगा । अगर आप बम्बई की नकल करते हैं तो पूरी नकल कीजिए, वह भी मुझे मंजूर है । अगर वह नहीं तो जिस तरह इस वक्त हमारी पार्लियामेंट और असेम्बलीज के एलेक्शन्ज़ हो रहे हैं, सिंगल कांस्टिटुएन्सी, सिंगल वोट रिजर्वेशन ए पार्ट, बिल्कुल उस पर कीजिए ताकि देहात के नुमाइन्दे आ सकें । यह जो देहात का इलाका है दिल्ली के चारों तरफ की आबादी का, उस के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो मखसूस हुकूक हैं उन का प्राविजन बन सकता है इस स्टैटुटरी कमेटी में । उन का अपना फाइनेन्स अपना टैक्सेशन । जो टैक्स लगे हुए हैं उन के अलावा कोई एडिशनल टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए । लैंड रेवेन्यू का एक अहम हिस्सा उन को मिलना चाहिए । देहात को डेवेलप करने के लिए और वह स्टैटुटरी कमेटी का जो अपना फाइनेन्स है उस में जाना चाहिए ।

देहात की कमेटी के बारे में जो मझे सीरियस आब्जेक्शन है, जो **स्कीम आफ दि बिल** है उस के बारे में, जो दूसरा बिल दिल्ली के डेवलेपमेंट के बारे में आएगा, उस वक्त अर्ज करूंगा । इस वक्त तो सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि तमाम एरिया जो दिल्ली और नई दिल्ली का है उस को छोड़ कर सारा एरिया देहाती यूनिट में आना चाहिए और उस को आप उस में शामिल कीजिए । शेडयूल ३ में बिल्कुल स्पेसिफिकली कर दिया जाय कि वह सिर्फ अर्बन एरिया पर लागू होगा । एलेक्शन सिस्टम को तबदील किया जाए वरना देहात के लोग जो बदकिस्मती से इस नई दिल्ली का पोरशन बन गए हैं, जो बकरी ऊंट के साथ साथ बांध दी गई है वह हमेशा पछताती रहेगी और उस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता बड़ी आतुरता से दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक की प्रतीक्षा कर रही है । संयुक्त समिति में से वापस आने पर अब विधेयक में अनेक अच्छे अच्छे संशोधन हो गये हैं और अनेक त्रुटियां जो दिल्ली नगरपालिका के प्रशासन में थीं उनको हटा दिया गया है । फिर भी मुझे खेद है कि नई दिल्ली तथा छावनी को इस विधेयक में नहीं सम्मिलित किया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकार को अब भी एक स्वायत्तशासी निकाय रखा गया है । हमें यह देखना है कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकार के हाथों में प्रशासन का काम अच्छी तरह होगा ? जब विकास योजनाओं को संघ मंत्रालय तैयार करायेगा और संघ मंत्रालय ही उनको पूरा भी करायेगा तो फिर दिल्ली निकास प्राधिकार की क्या आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकार को निगम से अलग रख कर कोई समझदारी का काम नहीं किया गया है ।

नई दिल्ली को भी निगम से बाहर रखा गया है यह ठीक नहीं है । दिल्ली की जनता यह चाहती है कि नई दिल्ली को भी निगम में सम्मिलित कर लिया जाये । हां, नई दिल्ली के कुछ लोग चाहते कि नई दिल्ली निगम में सम्मिलित न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

अंग्रेजों के शासन काल की बात छोड़िये । उन्होंने नई दिल्ली को अन्ग्रेज अफसर तथा कर्मचारियों की बस्ती बनाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका स्थापित की थी पर अब अंग्रेजी शासन चला गया और हमारे तथा सरकार के दृष्टिकोण में भी अन्तर आ गया है अतः अब नई दिल्ली को वैसी अलग बस्ती रखने का विचार छोड़ देना चाहिए । नई दिल्ली को निगम से अलग रखने के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि नई दिल्ली में अधिकतर सरकारी कर्मचारी रहते हैं और निगम में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो पाता । पर यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि उन्हें वोट देने का हक तो है ही । बम्बई और कलकत्ता में भी तो सरकारी कर्मचारी रहते हैं और उनको भी वोट देने का हक है । नई दिल्ली को निगम के बाहर रखने के पक्ष में जो आर्थिक कठिनाई की दलील दी गई है वह बेकार है क्योंकि नई दिल्ली नगरपालिका को ठीक प्रकार से चलाने के लिए कन्द्रीय सरकार को काफी धन व्यय करना पड़ेगा ।

एक और तर्क यह दिया गया कि हम नई दिल्ली का प्रबन्ध काफी अच्छा रखना चाहते हैं और निगम के अन्दर रह कर नई दिल्ली का काम उतना अच्छा नहीं हो पायेगा । ठीक है, पर नई दिल्ली नगरपालिका में, वैसे ही बहुत गड़बड़ी है और मैं स्वयं अपना अनुभव बताती हूं कि मुझे कई बार अपने काम के लिए बहुत परेशान होना पड़ा है । नई दिल्ली के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहते हैं । इसके अलावा नई दिल्ली में अनक गन्दी बस्तियां हैं जिनमें मजदूर तथा घरेलू नौकर आदि रहते हैं उनकी हालत बहुत खराब है । अतः नई दिल्ली नगरपालिका का प्रबन्ध इतना अच्छा तो है नहीं कि इसी आधार पर इसे निगम से अलग रखा जाये ।

इसके लिए मैं किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं देती । कहीं पर शरणार्थीयों की बस्ती में पाखाने तक नहीं बने हैं कहीं पर बड़ी बड़ी शानदार इमारतों के चारों तरफ इस तरह की गन्दी बस्तियां हैं कि उन्हें देख कर शर्म आती है । जोरबाग और गोल्फ लिंक जैसी शानदार बस्तियों में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें देख कर लज्जा आती है । यह नई दिल्ली के प्रबन्ध की कुशलता ।

नई दल्ली नगरपालिका एक नामजद निकाय है । हम आज के प्रजातंत्रात्मक युग में इस रवैये को पसंद नहीं करते अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे इस बात पर अच्छी तरह विचार करें और नई दिल्ली को भी निगम के सम्मिलित करने का निश्चय करें ।

अंग्रेजों ने सेना को साधारण जनता से बिल्कुल अलग रखने के लिए छावनियों की व्यवस्था की थी । छावनियों में असैनिक लोगों की बस्तियां नहीं थीं । ठीक है, अंग्रेजों का उद्देश्य इसके पीछे कुछ और था पर अब तो समय बदल गया है अब तो छावनियों में असैनिक लोगों के बड़े बड़े बाजार हैं अतः यहां के निवासियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना अलोकतंत्रात्मक है ।

अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री अभी भी इस बात पर अच्छी तरह विचार करके नई दिल्ली तथा छावनियों को भी निगम में सम्मिलित करने का निश्चय करें इससे दिल्ली की तमाम जनता को अधिक संतोष मिलेगा ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में आम तौर से तीन चार बातें कही गई हैं। उधर बैठे हुए मेरे एक दोस्त

[श्री नवल प्रभाकर]

ने देहाती इलाके के लिए बहुत ज्यादा जोर से कहा । वह प्रवर समिति के भी एक सदस्य थे । प्रवर समिति में उन्होंने क्या सुझाव दिए, यह मुझे पता नहीं है । अगर उन के दिल में देहात के लिए दर्द होता, तो वह वहां इस बारे में सुझाव देते, किन्तु यहां पर उन्होंने बहुत जोर से कुछ बातें कहीं और देहात को कारपोरेशन के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि ऊंट के साथ बकरी को जोड़ दिया गया है । यह बड़ी अजीब बात है अगर वह इस बिल को पढ़ते और उसमें जो नई धारायें जोड़ दी गई हैं, उन को देखते, तो उन को यह स्पष्ट हो जाता कि देहात में जो कुछ भी काम होने वाला है, वह देहात के सदस्यों के द्वारा ही होने वाला है । जो देहात कमेटी बनेगी, उसकी सिफारिश से ही देहात सम्बन्धी सब कार्य किए जायेंगे । अगर देहात कमेटी रीकमेंड करेगी, तभी देहात में टैक्स लगाए जायेंगे । अगर वह सिफारिश नहीं करेगी, तो कोई टैक्स लगाने वाला नहीं है ।

मेरे भाई ने यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही इससे अच्छा है । अगर आज के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हालात उन को मालूम होते, तो शायद उन्होंने यह बात न कही होती । उन्होंने दस्तखतों की बात भी कही । मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में जो दस्तखत कराए गए, वह लोगों को गलत बातें कह कर कराए गए । उन से कहा गया कि तुम्हारी गाय भैंसों पर और मकानों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, इसलिए यहां दस्तखत कर दो । अगर माननीय सदस्य को वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पता होता कि वह किस अवस्था में चल रहा है, तो वह ऐसा न करते । आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की केवल आठ लाख की आमदनी है, जब कि आने वाले समय में जायंट वाटर एंड सियुएज बोर्ड की जो आमदनी होगी, ट्रांसपोर्ट की जो आमदनी होगी, बिजली की जो आमदनी होगी, उस सब का भाग देहात को मिलने वाला है । उस में से देहात को कुछ विशेष मिलने वाला है । आज तो उन की आर्थिक अवस्था इतनी दयनीय है कि वह प्राइमरी स्कूल तक नहीं चला पाते । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास कर के सरकार को कह दिया है कि हम प्राइमरी स्कूल चलाने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं हैं । इसलिए दिल्ली प्रशासन को उन के प्राइमरी स्कूल चलाने पड़ रहे हैं ।

आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत क्या है ? मुझे मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चार भागों में विभक्त किया हुआ है । वहां चार सैनिटरी इंस्पैक्टर हैं, जिन के नीचे मामूली सा स्टाफ है ।

जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है या मिनिस्टर साहिबान हैं, जब वहां जाते हैं तो वहां पर उन गलियों और मुहल्लों की जहां उनको जाना होता है, सफाई कर दी जाती है । इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास न तो कोई सफाई का इंतिजाम है न वह सड़कें ही बना सकता है । दिल्ली प्रशासन द्वारा ही आजकल सड़कें बनवाई जाती हैं । ज्यादा से ज्यादा जो वह करता है वह यह है कि वह रास्तों को लेवेल करवा देता है । इतना ही आज उसका काम है । आने वाला समय बतलायेगा कि यह जो कारपोरेशन की रूपरेखा है और जैसा कि इस विधेयक को देखने से मालूम होता है, कि देहातों को आज के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से कहीं अधिक मिलने वाला है । मैं ने अखबारों में पढ़ा और इसकी बहुत चर्चा भी हुई और इस के बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया कि ११ तारीख को एक बहुत भारी प्रदर्शन होने वाला है और जिस को कि देहात के लोगों की तरफ से आर्गेनाइज किया जाएगा । लेकिन जिस वक्त देहात के लोगों को यह पता चला कि कुछ स्वार्थी तत्वों की तरफ से, कुछ राजनीतिक तत्वों की ओर से उनको गलतफहमी में डाला गया है तो उन्होंने

इस प्रदशन में हिस्सा लेने से साफ इन्कार कर दिया, उन्होंने प्रदर्शन करने से साफ इन्कार कर दिया अगर उन लोगों की बात में कोई सच्चाई है जो इस प्रदर्शन को करवाने वाले थे, तो आज को यह प्रदर्शन अवश्य हो गया होता लेकिन चूंकि वह नहीं हुआ, इस वास्ते मैं समझता हूं कि उनकी बात में सच्चाई नहीं थी अब मैं समझता हूं कि उनको यह बात साफ हो गई होगी ।

एक बात मेरी भाई ने कहा है कि ऊंट के साथ बकरी को बांध दिया गया है । इस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह एक बैलगाड़ी है तो उस के ऊपर बैठा हुआ कोचवान, जो उस बैलगाड़ी को चलाने वाला है, वह देहात का आदमी है । देहात का जो मेम्बर है उस को यह हक़ हासिल है कि वह देहात के सम्बन्ध में अपनी राय का इज़हार कर सके, इस का उसे पूरा अधिकार है और साथ ही साथ तमाम दिल्ली के निर्माण के लिये भी अपना सहयोग प्रदान करे । इस तरह से उस को देहाती क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों के बारे में काफी अधिकार हैं, काफी हक़ हासिल हैं । लेकिन जो शहर का मेम्बर होगा उस को इतना हक़ हासिल नहीं होगा । उस को देहात के सम्बन्ध में कोई हक़ हासिल नहीं होगा और वह किसी तरह से भी उस में मुदाखिलत नहीं कर सकेगा । मैं समझता हूं कि अब यह बात उन मैम्बर साहब की पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और उन को मालूम हो गया होगा कि देहात के मैम्बर को काफी अधिकार हासिल हैं और वे अधिकार हासिल हैं जो शहर के मैम्बर को नहीं हैं ।

नई दिल्ली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि नई दिल्ली एक सजी हुई दुलहन है और इस को कारपोरेशन के साथ जोड़ कर किसी गरीब के पल्ले बांधना आप क्यों चाहते हैं और आप जानते ही हैं कि इस के साथ दहेज़ भी दिया जाता है—वैसे दहेज़ देना तो नहीं चाहिये—आज के जमाने में दहेज़ भी रह जायेगा अगर उस को देने की मनाही है । ऐसी दशा में वह नई दिल्ली हम को नहीं चाहिये क्योंकि उस के नाज़ और नखरे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते । मुझे मालूम है कि जो कमेटी का मैम्बर होता है वह ज्यादा उसी स्थान की परवा करता है जहां से चुन कर वह आता है । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मैं भी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का मैम्बर रह चुका हूं । नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, यहां सेक्रेटेरियट है, यहां दूतावास हैं और यहां पर कोई मतदाता नहीं रहते हैं । ऐसी सूरत में इस नई दिल्ली की कौन परवा करेगा । ऐसी अवस्था में यहां पर सफाई का इंतिज़ाम अच्छा नहीं होगा तथा दूसरे प्रबन्ध ठीक नहीं होंगे, और जब ये इंतिज़ाम ठीक नहीं होंगे तो यहां के बड़े बड़े मिनिस्टर कारपोरेशन के मामले में दखल देंगे और कारपोरेशन से कहेंगे कि सफाई नहीं होती है, पानी का अच्छा इंतिज़ाम नहीं है या दूसरी तरह का इंतिज़ाम अच्छा नहीं है । उस अवस्था में यह कहा जायेगा कि हमारे काम में दखल दिया जाता है और इस के बारे में खूब चिल्लाया जायेगा और हल्ला मचाया जायेगा । मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ कर नई दिल्ली को बाहर रखा गया है और नई दिल्ली को बाहर रखा जाना चाहिये । इस को बाहर रखने के बारे में यह दलील काफी नहीं है कि यहां ९० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी रहते हैं या दूतावास हैं या सरकारी मकान हैं लेकिन यहां का जो स्टैंडर्ड है वह बहुत ऊंचा है । आप देखें तो आप को पता चलेगा कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है । अगर पुरानी दिल्ली वालों से टैक्स वसूल कर के नई दिल्ली वालों पर खर्च किया जायगा तो यह ठीक है कि नई दिल्ली को तो फायदा हो जायगा लेकिन पुरानी दिल्ली का उस सूरत में क्या बनेगा । अब भी लोग कहते हैं कि जो केन्द्रीय सरकार है वह नई दिल्ली को कुछ देती है । यह बात ठीक हो सकती है । लेकिन जब आपस का बटवारा होने लगा तो उस से काम नहीं चल सकता है। साथ ही उस सूरत में यह भी कहा जाता है कि इतना इस का बजट है और उस में से ही काम चलाया जाय । वैसी हालत में जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन का विकास कैसे सम्भव होगा । आज भी पुरानी दिल्ली के अन्दर बहुत

[श्री नवल प्रभाकर]

सी गन्दी बस्तियां हैं, वहां की जो सड़कें हैं उन का विकास करना है, वहां पर बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं जिन को चौड़ा करना है। वहां गलियारे हैं, वहां ऐसी गलियां हैं जिन के अन्दर सड़कें पक्की नहीं बन पाई हैं, वहां पर बिजली नहीं है, वहां सीवेज सिस्टम नहीं है, गन्दगी बहुत ज्यादा है और इस सब चीज़ को हमें ठीक करना है। आज जरूरत इस बात की है कि दूल्हे को पहले संवारा जाय, उस को सजाया जाय फिर जब वह नई दिल्ली के स्टैंडर्ड के बराबर आ जाय तो उस के साथ नई दिल्ली को जोड़ा जाय। जब ऐसा हो जायगा तो मैं इस हाउस के अन्दर इस बात की मांग करूंगा कि अब हमारा स्टैंडर्ड बराबर हो गया है और अब हमें नई दिल्ली को दे दीजिये और अब हम उस दुल्हन के नाज़ नखरे सहन करने को तैयार हैं।

डी० डी० ए० के सम्बन्ध में भी यहां काफी चर्चा हुई है। दिल्ली डिवेलपमेंट अधिकरण के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह हमें मिलना चाहिये। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह एक सफेद हाथी है और वह हमें नहीं चाहिये। उस में केवल खर्चा ही खर्चा है, आमदनी कुछ नहीं है। उस को विकास कार्य करने हैं बिना आमदनी के। अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली वालों के गाढ़े पसीने की कमाई को ले कर हम दिल्ली डेवेलपमेंट अधिकरण को दे दें तो इस अधिकरण को हमें अवश्य सौंपा जा सकता है लेकिन हम यह नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी ने कल कहा कि जहां तक विकास का सम्बन्ध है वह कारपोरेशन करेगी और अगर कारपोरेशन किसी बात में यह कहेगी कि यह हमारे बस की बात नहीं है तो वैसी अवस्था में जो विकास अधिकरण है वह उस को करेगा। ये कुछ वास्तविकतायें हैं, कुछ तथ्य हैं, जो मैं आप के सामने रखना चाहता था।

मेरे भाई ने कहा कि साहब जो मल्टी कंस्टिट्युएंसीज़ रखी गई हैं वह बहुत विचित्र बात है। जब किसी पार्टी को यह दिखाई देता है कि निर्वाचन की एक ऐसी प्रणाली अपनाई जा रही है जिस में उस का कोई भी व्यक्ति चुन कर आने में असमर्थ है, तो उस को वह बहुत विचित्र बात लगती है। वह कहते हैं कि देहातों के अन्दर जो मल्टी कंस्टिट्युएंसीज़ रखी गई हैं वह बड़ी अजीब लगेंगी। आज भी मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जो देहातों में निर्वाचन होते हैं वे इसी आधार पर होते हैं। देहातों को चार हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है और उस के साथ ही जो रिज़र्वड कंस्टिट्युएंसीज़ होती हैं, इन से जो खड़ा होता है वह ही इन चार इलाकों के द्वारा, इन चार वार्डों के द्वारा चुना जाता है। ठीक इसी तरह के निर्वाचन क्षेत्र अब बनने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग मल्टी कंस्टिट्युएंसीज़ का विरोध करते हैं वे इस वास्ते करते हैं क्योंकि वे पूंजीवाद का समर्थन करना चाहते हैं, उन लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जो पैसा दे कर वोट खरीदना चाहते हैं, उन लोगों का समर्थन करते हैं जो यह समझते हैं कि जात पांत में आस्था रहनी चाहिये, जो बिरादरी के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं . . . . . .

चौ० प्र० सिं० दौलता : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रिज़र्वेशन चाहते हैं, जो अपने आप को पिछड़ा हुआ कहते हैं और उस बिना पर कांस्टिट्यूशन में जिन्हों ने अपने लिये सीट्स रिज़र्व करवाली हैं जो जन्म की बिना पर इन बिरादरियों को चाहते हैं कि रिप्रिज़ेंशन दी जाय . . .

श्री नवल प्रभाकर : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे वे बहुत लम्बे चौड़े होंगे और उन में मतदाता अधिक होंगे और वहां पर किसी एक जाति और बिरादरी का बोल बाला नहीं होगा और जो लोग जात पांत में विश्वास रखते हैं, जो लोग पैसा दे कर मतदाताओं को अपने हक़ में करना चाहते हैं, वे इन में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ऐसा देखा गया है कि जब म्यनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए थे और होते हैं उन में पैसा बहुत चलता है, रिश्वत चलती है

और बहुत सी अनियमिततायें होती हैं। कम्युनिस्टों की तरफ से तथा उन लोगों की तरफ से जो पैसे वाले हैं जो पूंजीवादी होते हैं उन की तरफ से इस का विरोध होता है और मेरे खयाल से जो कम्युनिस्ट हैं और जो पूंजीवाद में विश्वास नहीं करत, वे इस का कैसे समर्थन कर सकते हैं। जब इन की तरफ से ऐसी चीज़ों का समर्थन होता है, तो इस से मुझे अफसोस ही होता है .

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वह जाट हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले हैं और वह भी वहीं के रहने वाले हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : अब तो हम भी दिल्ली वाले हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं यह कह रहा था कि इस पद्धति से उन्हीं व्यक्तियों के चुने जाने की उम्मीद होगी जो लोगों की सेवा करेंगे, जिन में लोगों का विश्वास होगा और लोग समझेंगे कि वे वहां जा कर उन की सेवा कर सकते हैं। केवल इसी तरह के लोग चुन कर आ सकेंगे और जो पैसे वाले हैं और जो जांत और बिरादरी के नाम पर चुन कर आना चाहते हैं उन के लिये कोई खास गुंजाइश नहीं रहेगी ।

इस के अतिरिक्त और बहुत सारे प्रश्न यहां पर उठाये गये । मैं उन सब को न ले कर यह कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान विधेयक है वह पूर्ण है और वह जितना भी अच्छा से अच्छा हो सकता है और दिल्ली वालों के भले के वास्ते जितना कुछ हो सकता था और इस में रह सकता था वह इस में है ।

दिल्ली विधान सभा की बात यहां पर कही गई कि पहले यहां पर एक विधान सभा थी और यहनां पर पहले एक राज्य सरकार थी। यह बात ज़रूर है कि यहां पर पहले एक विधान सभा थी और एक राज्य सरकार थी लेकिन यह भी तो देखना चाहिये कि उस विधान सभा के अधिकार कितने थे और इस कारपोरेशन को इस विधेयक के द्वारा कितने अधिकार मिलने जा रहे हैं। यहां पर यह बात बड़े ज़ोर से कही गई कि यह वर्तमान विधेयक बिलकुल अधूरा है और इस के अन्दर जो हमें अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, वे बहुत कम हैं लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जब यहां दिल्ली में असेम्बली थी और दिल्ली का मंत्रिमंडल था तब कैसी हालत थी ? जब दिल्ली विधान सभा में ट्रान्सपोर्ट के विषय में पूछा जाता था तो दिल्ली के मंत्री महोदय खड़े हो कर ट्रान्सपोर्ट एथारिटी से जो जवाब बन कर आता था उस को केवल पढ़ देते थे। सभापति महोदय, तब दिल्ली के मंत्री महोदय को यह अधिकार नहीं था कि वह यातायात के सम्बन्ध में अपना कुछ विचार विमर्श कर सकें। वे केवल उन को अपनी सलाह दे सकते थे, यह उस एथारिटी का कर्तव्य था कि वह उसे मानती था न मानती ।

इसी तरीक़े से जहां तक वाटर एंड सीवेज बोर्ड और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सवाल है, वह पहले दिल्ली सरकार के पास नहीं थे लेकिन हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय ने कृपापूर्वक यह सब हमें दे दिया। मैं देखता हूं कि हमारे यहां पहले जो विधान सभा थी उस से इस निगम में हम को अधिक अधिकार मिल रहे हैं और हमें अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं और में इसलिये इस बिल का पूर्णतया स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं ।

श्री राधारमण (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, कल इस सदन में इस वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में जो विचार रक्खे गये, उन में यह एक फ़िज़ा, यह एक हवा सामने आई कि यह विधेयक

[श्री राधारमण]

जो गृह-मन्त्री द्वारा इस सदन के सामने रक्खा गया है वह बहुत ही अपूर्ण है और उस में अनेक त्रुटियां हैं और यह उन तमाम जम्हूरी उसूलों के खिलाफ है जिनकी कि बुनियाद पर हमारे देश में विभिन्न राज्यों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है। मैं इस ख़याल का जो कल रक्खा गया था उसका विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस सदन को पहले और उस के बाद ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की मार्फ़त काफ़ी इस बात का मौक़ा मिला है कि विधेयक के एक एक हिस्से पर गौर किया जाय और जो भी ज्यादा से ज्यादा मुनासिब एक शकल बन सकती है आज के हालात में, उस शकल को बना कर आप के सामने रक्खा जाय। मेरी यह एक पुख्ता राय है कि विधेयक को लाने से अब तक और जो प्रवर समिति से यानी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से इस की शकल आई है, उस में अनेक ऐसे सुधार हुए हैं जो मुनासिब हैं और जिन की कि बिना पर हमें इस बात की खुशी हो सकती है कि यह विधेयक बहुत सी उन त्रुटियों से रहित हो गया है जोकि जब यह शुरू में यहां पर पेश किया गया था उस में मौजूद थीं। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन हालात में से हमारी दिल्ली गुज़र रही है और हमारा मुल्क गुज़र रहा है उन हालात को लेते हुए जो विधेयक की इस वक्त की धारायें हैं उन धाराओं में जितना अधिक से अधिक संशोधन किया जा सकता था, प्रवर समिति में उन को संशोधित कर दिया गया है। सिवाय दो बातों के जिन पर कि काफ़ी एख्तलाफ़ राय है बाक़ी सब बातें ऐसी मंजूर हो गई हैं कि जो क़रीब क़रीब हम लोग चाहते थे। हमें खुशी होनी चाहिये कि गृह मंत्री महोदय ने इस विधेयक से सम्बन्धित जितने भी संशोधन थे, उन पर खूब ग़ौर कर के और विचार कर के उन सब को क़बूल कर लिया। कुछ बातों में विरोध है और यह हमारी बदक़िस्मती है दुर्भाग्य है, कि हम उन को अपने खयाल की नहीं बना सके और न मैं यह कहने को तैयार हूं कि जो बातें उन्हों ने हमारे सामने रक्खी हैं वे पूरी तौर पर उस पसमंज़र को देखते हुए उस पृष्ठभूमि को देखते हुए जो दिल्ली के अन्दर मौजूद है, हमें वे सब सहर्ष स्वीकार हैं।

नई दिल्ली का मसला आया। हमारी बहिन श्रीमती सुचेता कृपालानी ने बड़ी तफ़सील के साथ यह बताया कि उन की इस वक्त क्या अहमियत है और किन हालात में हम यह चाहते हैं या चाहते थे कि सारी नई दिल्ली को इस कारपोरेशन की ज़द में रक्खा जाय। उन्हों ने इस बात का भी चर्चा किया कि इस बात का खयाल रखते हुए कि जब स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस पर भी यहां इस सदन में बहस हुई थी तब यह मंजूर किया गया था कि यह ज़रा मुश्किल सवाल है कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के एरियाज़को बहुत अच्छे तरीके से डिमार्केट किया जाय और उनको अलग अलग रक्खा जा सके या उन में दो किस्म के म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन हों या दो तरीक़ से वहां पर हम नागरिकता के उसूल चला सकें। और उस के बाद जब इस सदन के अन्दर हमारे माननीय गृह मंत्री ने भाषण दिया था उस समय भी उन्हों ने यह खयाल ज़ाहिर किया था कि मेरी अपनी राय है कि नई दिल्ली को जहां तक भी हो सके अलग न रक्खा जाय और अगर अलग रक्खा भी जाय तो उस के केवल उतने हिस्से को ही अलग रक्खा जाय जितना कि अलग रक्खा जाना ज़रूरी हो। आज जो हिस्सा अलग रक्खा गया है, उस के सम्बन्ध में हमारी और उन की राय में थोड़ा सा भेद है और वह भेद यही है कि हम यह समझते हैं कि वह नई दिल्ली इस कारपोरेशन का हिस्सा होना चाहिये और अगर वह हिस्सा नहीं हो सकती थी तो इस के कम से कम हिस्से को जो उस वक्त का हिस्सा है उसे कर देना चाहिये था। जैसाकि अभी हमारी बहिन श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा हमारी सब की यह राय थी कि इस नई दिल्ली के हिस्से में से कुछ हिस्से को निकाल कर इस को और छोटा किया जाता लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे मंजूर नहीं कर सके और आज की परिस्थिति में गृह मंत्री महोदय ने इस बात को मुनासिब समझा कि नई दिल्ली को इस प्रस्तावित कारपोरेशन से अलहदा रक्खा जाय। हम यह मानने को तैयार हैं कि हमारा तजुर्बा, हमारी समझ

उन के मुक़ाबिले की नहीं है और जो फ़ैसला उन्हों ने किया है वह निहायत दानिशमंदी से किया है और इसलिये किया है कि वह हमारे फ़ायदे के लिये है और इसलिये हम आज उसे कबूल करते हैं और उस को इस ख़याल से क़बूल करते हैं कि अगर जो कारपोरेशन की शक्ल आज बनी है, उस के मुताबिक मुनासिब अमल हुआ, आम लोगों को उस में फ़ायदा हुआ और जनता ने यह महसूस किया कि जो शक्ल उस की बनी थी उस के मुताबिक वह राहत पाती है, आराम पाती है तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम नई दिल्ली के हिस्से को कारपोरेशन का हिस्सा बनवा सकें, हमारी ऐसी आशा है ।

इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां नई दिल्ली के एरिया को एक अलग म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन दिया जायगा वहां यह बात भी सामने आती है कि उस की शक्ल क्या होगी, वहां नामज़द मेम्बर्स होंगे या चुन कर सदस्य रक्खे जायेंगे । जहां तक मैं अपना ख़याल ज़ाहिर कर सकता हूं मैं यह कहता हूं कि मैं ख़ुद नामज़दगी के हक़ में नहीं हूं हालांकि नामज़दगी से कुछ मुझे ऐसा परहेज़ है जैसाकि कई भाइयों ने कहा कि वह तो एक चोर दरवाज़ा है, पीछे से लाने का एक रास्ता है और उस को लाने से कोई बहुत जम्हूरियत का उसूल कट जाता है या बिगड़ जाता है, ऐसी बात मैं नहीं मानता । जम्हूरियत के उसूलों पर रहते हुए भी हम ने नामज़दगी को मंजूर किया और हमारी पार्लियामेंट के अन्दर भी नामज़द किये हुए कुछ मेम्बर्स हैं और नामज़दगी को हम अपने वहां रखते हैं, इसलिये यह कहना कि अगर हम ने ८० मेम्बर्स के इस कारपोरेशन में ६ आल्डरमेन रख लिये और जिस की कि तादाद बढ़ कर १०० तक हो सकती है, उन ६ आल्डरमेन के लिये यह कहना कि ऐसे अहम लोग आ कर उन ६ नामज़द जगहों पर रख दिये जायेंगे जोकि ८० या १०० मेम्बर्स का गला घोंट देंगे और उन की ज़बान बन्द कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि यह नामुनासिब बात है । इस तरह का एक अंदेशा और मन में डर रखना उचित नहीं होगा । अलबत्ता यह मुमकिन हो सकता है कि जो ६ आल्डरमेन उस में रक्खे जाने हैं, तो उन जगहों पर ऐसा एलिमेंट आ सकता है जिन की कि सलाह से या जिन के कि तजुर्बे से और जिन के कि साथ काम करने से हम अपने आप को एनरिच कर सकें और अपने ख़यालों में ज्यादा दौलतमंद बन सकते हैं और ज्यादा कामयाबी के साथ अपने फ़रायज़ को अंजाम दे सकें । इसलिये हम ने जम्हूरियत के उसूलों की ख़िलाफवरज़ी न करते हुए इस बात को मंजूर किया कि कारपोरेशन में ६ आल्डरमेन होने चाहियें और उन को भी हम ने एक तरीक़े से इंटरनेल एलेक्शन के द्वारा ही वहां पर लाने का इरादा किया । इसलिये मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यह हमारी राय है और मैं समझता हूं गृहमंत्री जी ने उस की कद्र की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस सिलसिले पर गौर किया जायेगा और वक्त आने पर देखेंगे कि नई दिल्ली में किस तरह का निजाम हो सकता है और आया उस में इलेक्टिव ऐलीमेंट भी डाला जा सकता है । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो विधेयक इस वक्त हमारे सामने हैं उस में बहुत सारी त्रुटियां हैं और जो त्रुटियां आज बतलाई जा रही हैं उस से ज्यादा त्रुटियां तब नजर आयेंगी जब हम इस को अमल में लायेंगे । लेकिन इस विधेयक में कोई दरवाजा बन्द नहीं किया गया है, दरवाजा खुला है । जैसे जैसे तजर्बा बढ़ता जायेगा, जैसे जैसे इन्तिजाम को सही तौर पर करते जायेंगे और उस का अच्छा असर दिल्ली वालों पर पड़ता जायेगा वैसे वैसे ही उस के अन्दर नई नई तरमीमें और तबदीलियां ला कर जितना परिपूर्ण हो सकेगा उसे बनाया जायेगा ।

चन्द दिन हुए जब हमारे माननीय श्री एस० के० पाटिल साहब ने बताया था कि जब बम्बई का कारपोरेशन विधेयक वहां पास हुआ और उसे लागू किया गया तो उस के अन्दर बहुत सारी खामियां थीं । उन को आहिस्ता आहिस्ता दूर किया गया और आज २५ बरस के तजर्बे के बाद जो शक्ल बम्बई के विधेयक की है उसी के मुताबिक कुछ इधर उधर तबदीलियां कर के यह विधेयक बनाया गया है । इस के यह मानी नहीं हैं कि यह मुकम्मिल है । और आगे चल कर इस में खामियां

[श्री राधारमण]

नज़र नहीं आयेंगी या उन को दूर करने के लिये इस में तबदीली की जरूरत नहीं होगी । मैं समझता हूं कि यह सब चीज़ होगी । लेकिन आज हमारे बुजुर्गों, हमारी सरकार और हमारे नेताओं का यह खयाल है कि जो विधेयक वह हमें दे रहे हैं वह जिम्मेदारियों से पुर है । इस को अमल में लाने के लिये मरकज़ी हुकूमत से रुपया मांगना होगा और वह देगी । जब दिल्ली में लोकप्रिय सरकार कायम थी उस वक्त भी मरकज़ी हुकूमत हम को रुपया देती थी और आयन्दा जो यह विधेयक लाया गया है उस के लिये मरकज़ी हुकूमत से रुपया मांगना पड़ेगा । लेकिन अगर यह कहा जाता है कि हम खुद-मुख्तार हों और अपने नगर का सारा इन्तिजाम अपने हाथों में रखें, तो शायद आप को यह बहुत ज्यादा शोभा नहीं देगा कि आप हर वक्त मरकजी सरकार के पास जायें और कहें कि हम को रुपये की जरूरत है, हम को रुपया दीजिये । और टैक्सों के जरिये वसूल न करें । उस हालत में आप को वह तमाम रुपया टैक्सों के ज़रिये वसूल करना होगा और जब आप ऐसा करेंगे और अपने निजाम और जिम्मेदारियों को बढ़ायेंगे तो लाजिमी तौर पर आप को तकलीफ ज्यादा होगी और आप देखेंगे कि शायद यह बात जो हमारे नेताओं ने सोची थी ज्यादा दानिशमन्दी की है कि आपके ऊपर कम से कम बोझा डालते हुए जितनी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है दी जाये । इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ लोगों का यह खयाल है कि यह विधेयक बिल्कुल एक शो पीस है, बिल्कुल नाकारा है या माथ ईटन है, एंटीडेटेड या एंटी डेल्यूवियन है, इस ख्याल में सचाई नहीं है बल्कि इसमें सियासत का रंग है । हालात को देखते हुए दिल्ली की एक अलग हैसियत है । उसको सारे हिन्दुस्तान से मिलाकर वैसी ही शकल लाने की कोशिश करना गलत है । हमारे नेता इस बात को जानते हैं । जो लोग दिल्ली में रहते हैं वे इस वजह से कुछ फायदे उठाते हैं तो उनको कुछ दिक्कत उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए । आज इस विधेयक के जरिये जो हुकूक दिये जा रहे हैं वे उनसे ज्यादा हैं जो कि मेरे ख्याल से लोकप्रिय सरकार को हासिल थे । इसके अन्दर खामियां होंगी इसका मुझे अन्दाजा है । इस बात से मैं ऐग्री करता हूं और यह हमारी और तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों की ख्वाहिश थी कि इस विधेयक में देहली कैंटोनमेंट और नई दिल्ली को भी शामिल कर लिया जाता और इससे अलग डी० डी० ए० न होती । लेकिन हमने सिर्फ इसी ख्याल से मंजूर किया कि इसके जरिये हमको एक आजमाइश में पड़ने का मौका मिल रहा है । अगर हम इसको अच्छी तरह काम में ला सकेंगे और लोगों को यह दिखला सकेंगे कि जो अख्तियारात हमको मिले हैं हमने उनका लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है तो कोई वजह नहीं है कि हमको और अख्तियारात न दिये जायें । मैं नहीं समझता कि सारे अख्तियारात न देकर हमारे नेताओं ने हमारी हकतल्फी की है या यह कि वे कुछ अख्तियारात से खुद चिपके रहना चाहते हैं । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक यह विधेयक निहायत अच्छा विधेयक है, हमको इसका स्वागत करना चाहिए और जनता को और सरकार को दोनों को यह बता देना चाहिए कि इस विधेयक के जरिये हमने जनता को जितना फायदा पहुंचाया है, और तब हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जो हुकूक इसमें रह गये हैं वे भी हमें दिये जायें ।

एक बात मैं इस सिलसिले में और अर्ज करना चाहता हूं । जब मैं इस विधेयक पर विचार करता हूं तो एक चीज मुझे साफ तौर पर नजर नहीं आती । और उसकी तरफ मैं गृह मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा । वह यह है कि हमने प्राइमरी एजूकेशन को कारपोरेशन के मातहत रखा है और उसको यह अख्तियार दिये हैं कि जितने एडेड स्कूल

हैं और अपने आप बनाये गये स्कूल हैं उनका इन्तिजाम वह खुद करेगा और उन स्कूलों के बारे में सारे अख्तियारात म्यूनिसिपल कारपोरेशन को होंगे । आज हालत यह है कि प्राइमरी एजूकेशन के मुताल्लिक करीकुलम मुकर्रर करने का और यह कि कौन किताब किस हद तक पढ़ायी जायेगी वगैरह वगैरह अख्तियारात डाइरेक्टोरेट के मातहत हैं और बाकी का हिस्सा म्युनिसिपल कमेटी के हाथ में है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी यह साफ करें कि आया इस विधेयक में सारे अख्तियारात म्युनिसिपल कारपोरेशन को होंगे या कि इसी तरह काम चलेगा जैसा कि इस वक्त चल रहा है यानी कुछ चीजें डाइरेक्टोरेट के अधीन रहेंगी और बाकी कारपोरेशन के हाथ में रहेंगी । मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब इस बात को साफ कर दें कि करीकुलम का बनाना, किताबों का फैसला करना, इन्तिजाम और कंट्रोल किस तरह का हो यह तै करना किसका काम होगा ।

इसके बाद देहात के बारे में भी मैं दो एक मिनट में कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने यह स्वीकार किया है कि देहात के बारे में स्टेट्यूटरी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है । लेकिन एक ख्याल बहुत सख्ती के साथ और बहुत सफाई के साथ रखा जाता है कि अगर कोई अलग स्टेट्यूटरी कमेटी नहीं होगी तो देहात का काफी नुकसान होगा और बहुत सारी दिक्कतें सामने आयेंगी । मैं समझता हूं कि आज जो यह विधेयक हमारे सामने है इसमें यह नक्शा रखा गया है कि देहात के लिए एक स्टेट्यूटरी कमेटी नहीं होगी बल्कि एक एडवाइजरी कमेटी होगी और कनवेंशन और प्रेक्टिस के जरिये हमें उसको ऐसा एस्टेबलिश करना पड़ेगा कि देहात के सिलसिले में जो भी काम हो, मसलन अगर कोई टैक्स लगाना हो गाय पर, भैंस पर या जानवर पर या इन्सान पर, या हाउस टैक्स हो, तो उसके मुताल्लिक एडवाइजरी कमेटी की राय काफी असर रखने वाली हो और हमको यह आश्वासन मिला है कि अगर किसी मामले में एडवाइजरी कमेटी की राय विपरीत होगी तो कोई वजह नहीं है कि उस कदम को उठाया जाये जिसको कमेटी पसन्द नहीं करती। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात है । इस एडवाइजरी कमेटी को जब इतने हक हासिल हैं तो कोई वजह नहीं है कि अपने लिए संकुचित दायरे में काम करने का मौका ले और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी मौका दे कि उसके साथ काम कर सकें । क्यों न हम सब मिल कर देहात और शहर के समस्याओं पर विचार करें जैसे कि हम यहां बैठ कर सारे देश के बारे में विचार करते हैं । इसलिए हमें यह चाहिए कि हम देहात में उतनी ही दिलचस्पी लें जितनी कि शहर में लेते हैं । अगर हम ऐसा न करें तो यह हमारी कमजोरी है । हम दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, हम देहात के नागरिक नहीं हैं, हम यहां के नागरिक नहीं हैं, वहां के नागरिक नहीं हैं, इस किस्म के अलग अलग टुकड़ों की बात कहना और इस ख्याल को सामने रखना मैं गैर मुनासिब समझता हूं ।

इन ख्यालात के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं और गृह मंत्री जी को इस के लिए बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को जिस का बहुत दिनों से इंतिजार था, हमारे सामने रक्खा । मुझे यह पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक को कार्यान्वित करने का वह हमें पूरा मौका देंगे । अन्त में मैं गृह मंत्री जी से यही कहूंगा कि जो खामियां इस के अन्दर रह गई हैं, जो ख्वाहिशात हमारी पूरी नहीं हुई ह, वह उन्हें पूरा करके हम सब को अनुग्रहीत करें ।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया। हमारे दिल्ली में जो निगम बनेगा वह बम्बई

[श्री अंसार हरवानी]

के निगम का सा ही होगा । दिल्ली के लिए एक निगम बनाया जाये यह लोगों की बहुत पुरानी मांग थी । दिल्ली विधान सभा तथा दिल्ली नगरपालिका ने संकल्प भी पारित किये कि दिल्ली का एक निगम बनाया जाये । मेरा विचार है कि नई दिल्ली को भी इस निगम में सम्मिलित करना अधिक अच्छा होगा । हो सकता है कुछ अनुभव के बाद माननीय मंत्री नई दिल्ली को भी निगम में सम्मिलित करने के लिए एक संशोधन पेश करेंगे । इस निगम विधेयक में कहा गया है कि निगम का एक मेयर होगा पर उसे अधिकार बहुत थोड़े दिये गये हैं मेरा कहना है कि मेयर को अधिक विस्तृत अधिकार दिये जाने चाहिएं ।

निगम में कमिशनर को बहुत अधिकार दिये गये हैं वह बहुत ज्यादा हैं हमें उन पर कुछ रोक लगानी चाहिए ।

मैं एक बार फिर माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पं० गो० ब० पन्त)** : इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था और उस पर कई भाषण भी हो चुके । कुछ बातों को सुन कर मैं कुछ उलझन में पड़ गया हूं । कल जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिये थे उनमें से कुछ माननीय सदस्य इस विधेयक की व्याप्ति तथा अपने सुझावों के बारे में अच्छी तरह स्वयं नहीं समझते ।

हमने इस विधेयक को काफी उदार बनाने की कोशिश की है । हमने तो जनता के कल्याण की बात को सब से अधिक महत्व दिया है । निगम को कम अधिकार देने का कोई इरादा नहीं है पर यह भी इरादा नहीं है कि निगम को इतने अधिक अधिकार दे दिये जायें जो उससे संभाले भी न जायें ।

दिल्ली, यदि इससे नई दिल्ली का १५ वर्ग मील का क्षेत्र निकाल भी दिया जाये तो भी, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है । दिल्ली के लोगों का सौभाग्य है कि दिल्ली भारत की राजधानी है । इससे जनता को कई लाभ हैं । जब से दिल्ली राजधानी बनी है तब से इसकी आबादी १० गुनी बढ़ गई है और देश के शासन संबंधी राष्ट्रीय, आर्थिक और अन्य मामलों में दिल्ली को प्रमुख स्थान प्राप्त है । बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता अन्य बातों में चाहे दिल्ली से क्यों ही बड़े न हों पर दिल्ली को जो विशेष सम्मान प्राप्त है वह उन नगरों को नहीं प्राप्त है । अतः हमें यह न भूलना चाहिए कि दिल्ली का अपना विशेष स्थान है ।

दिल्ली विधान सभा के भंग होने से कुछ लोगों को बड़ी निराशा हुई । पर हम क्या करें राज्य पुनर्गठन आयोग तथा संसद् ने यही निर्णय किया कि दिल्ली विधान सभा रद्द कर दी जाये । इस निगम का आय-व्ययक दिल्ली राज्य के आय-व्ययक से बड़ा होगा । निगम का आय-व्ययक १० करोड़ रुपये का होगा जब कि दिल्ली राज्य का आय-व्ययक, केन्द्र का आर्थिक अनुदान आदि को मिलाकर, ९ करोड़ रुपये से ऊपर नहीं होता था । अतः इस निगम का सम्मान अधिक होना चाहिए ।

यहां जो भाषण हुये उनमें यह भी कहा गया कि दिल्ली में पुनः एक विधान मंडल बनाने का प्रश्न अब नहीं उठाया जाना चाहिए । इस संबंध में मुझे पहले कई प्रस्ताव भी मिले थे । अतः अब हमें इन बातों पर समय नहीं बरबाद करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कई बार हम से कहा गया कि कुछ लोगों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है और दिल्ली एक नौकरशाही व्यवस्था में आ जायेगा । यह बात बिल्कुल गलत है । दिल्ली निगम में दिल्ली राज्य से अधिक सदस्य होंगे, यह संख्या ८७ तक होगी और १०० तक भी होने की आशा है । इसके अलावा ६ नगर वृद्ध भी होंगे ।

दिल्ली का सौभाग्य है कि वह संसद् के शासन के अधीन है । दिल्ली तानाशाही शासन के अधीन नहीं है बल्कि लोकतंत्रात्मक शासन के अधीन है । हो सकता है दिल्ली के लोगों को इससे संतोष न हो क्योंकि उन्हें अपनी विधान सभा के लिए सदस्य चुनने का अवसर नहीं है । पर यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि दिल्ली की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह संसद के शासन के अधीन है । कम से कम दिल्ली को यह विशेषाधिकार तो प्राप्त है ही ।

केन्द्र से दिल्ली को जितनी वित्तीय सहायता मिलती है उतनी अन्य किसी भी ऐसे स्थान को नहीं मिलती और आगे मिलेगी भी नहीं । जब सारा देश संसद् के अधीन है तो दिल्ली, जो संसद् के इतने निकट है, अधिक से अधिक उन्नति की आशा कर सकता है । दिल्ली के लोगों को संसद् के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार है । संसार के किसी भी देश की राजधानी की जनता को यह अधिकार प्राप्त नहीं है । वाशिंगटन के निवासियों को वहां के हाउस आफ रिप्रिजेन्टेटिव या सीनेट या अन्य किसी निर्वाचित संस्था में किसी के चुनने का अधिकार नहीं है । वाशिंगटन का शासन वहां के प्रशासन के हाथों में है । वहां के प्रेसीडेंट के ३ सलाहकारों में से एक सैनिक पदाधिकारी होता है वही वाशिंगटन नगर का शासन चलाता है ।

मैं किसी देश की शासन व्यवस्था की आलोचना नहीं कर रहा हूं । मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं । वहां की जनता का कोई भी प्रतिनिधि वहां के हाउस आफ रिप्रिजेन्टेटिव या सीनेट में नहीं है । पर दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि तो लोक सभा में हैं ही और वे दिल्ली मंत्रण दाता समिति के सदस्य भी हैं और दिल्ली की जनता की आवश्यकताओं पर हमारी सरकार जितना ध्यान देती है उतना ध्यान कोई भी राज्य सरकार अपनी राज्य की जनता की आवश्यकताओं पर नहीं देती । अतः यद्यपि स्वरूप में परिवर्तन हो गया है फिर भी शक्ति में कोई कमी नहीं हुई है बल्कि शक्ति में वृद्धि ही हुई है । अतः निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

यहां कुछ आपत्तियां की गयीं जिनसे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर भी आपत्ति की है कि ग्रामीण क्षेत्र इसमें क्यों सम्मिलित किये गये हैं । ये क्षेत्र इस समय दिल्ली जिला बोर्ड के आधीन हैं । जिला बोर्ड को ८ या ९ लाख रुपये से अधिक आय नहीं है । जब बोर्ड की कुल आय इतनी है तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम संसाधनों से यह बोर्ड उस क्षेत्र का कहां तक फायदा कर सकता है । हमारे निगम की आय ९ या १० करोड़ की होगी जो जिला बोर्ड की आय से लगभग १०० गुनी है । निगम के क्षेत्र में अनुपाततः अधिक ग्रामीण होंगे । उनकी पर्याप्त संख्या है इसलिये उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती । किन्तु उनके हितों की रक्षा करने के लिये दूसरे उपबन्ध बना दिये गये हैं ।

दिल्ली सलाहकार समिति अथवा संयुक्त समिति में कहीं पर भी इस बात के विरुद्ध किसी ने एक शब्द नहीं कहा । यह विरोध पहली बार यहां ही देखा है । प्रतिवेदन भी एक राय का था और सभी

[पंडित गो० ब० पन्त]

सभासद इससे सहमत थे और समिति का प्रत्येक सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों के इसमें सम्मिलित किये जाने पर सहमत था। पता नहीं क्यों लोग एक ही दिन में बदल जाते हैं। हमारे दृष्टिकोण बड़े शीघ्र बदलते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि यह आपत्ति किस आधार पर की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों को इस निगम में रखने का उद्देश्य ग्रामीण जनता की भलाई है और इससे उन्हें निस्सन्देह फायदा पहुंचेगा। दिल्ली के ग्रामीण लोगों तथा नगर निवासियों के पारस्परिक संबंध हैं। इसलिये यह बड़ी भलाई की बात है कि दोनों इकट्ठे रहें और दोनों क्षेत्रों के विकास की बातें करें। मुझे तो अब भी कोई आपत्ति नहीं—यदि यह मांग अधिक लोग करें कि जिला बोर्ड रखा जाय और निगम का इस क्षेत्र पर कोई अधिकार न हो। परन्तु मैं इसका विरोध इस आधार पर करूंगा कि ऐसी कार्यवाही से उन लोगों के हितों को हानि होगी। किन्तु हमें उन लोगों का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये जिन्होंने पहले हमारी सेवा की है और जिसके आधार पर हम प्रफुल्लित हुये हैं। हमारा भी यह कर्त्तव्य है कि अब हम न केवल ईमानदारी से उनकी सेवा करें बल्कि बड़े उत्साह और जोश से उनकी सेवा करें। मैं नहीं जानता हूं कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बाद यह बात कैसे पैदा हो गई।

जिन नगर वृद्धों का चुनाव समिति ने करना है उसके बारे में भी आपत्ति हुई है। कई मित्रों ने कहा है कि वे नाम निर्देशन के विरूद्ध हैं। मेरे विचार में कलकत्ता के निगम में भी नगरवृद्ध हैं। बम्बई के बारे में मुझे पक्का पता नहीं है। लंदन काउंटी कौंसिल में भी नगरवृद्ध चुने जाते हैं। इसलिये यह बात यहां पहली बार ही नहीं की जा रही है।

आरम्भिक विधेयक के अनुसार नगरवृद्धों की कोई व्यवस्था हमने नहीं की थी। लोगों की मांग पूरा करने के लिये ही हमने इस संख्या को बढ़ाया। इस प्रकार ६ सदस्यों की संख्या बढ़ी। इसके अतिरिक्त मैं इसे भी वांछनीय समझता हूं कि कुछ अनुभवी लोगों को, जिनको स्थानीय निकायों के प्रशासन का पता हो, भी निगम में चुना जाना चाहिये। हो सकता है वह चुनाव न लड़ना चाहें या वैसे उन्हें समय न हो। निगम को सभी वर्गों का सहयोग मिलना चाहिये और विशेष रूप में दिल्ली के विद्वानों का तो अवश्य ही मिलना चाहिये।

नगर वृद्धों से अनुभवी लोग इस निगम में सम्मिलित हो जायेंगे। जहां तक प्रतिनिधित्व के पहलू का संबंध है अब हमारी राज्य-सभा के सदस्य भी तो विधान-सभाओं द्वारा ही चुने जाते हैं इसलिये नामनिर्देशन की कौन सी बात आती है। निगम ही कुछ व्यक्तियों का चुनाव करेगा। यह कार्यवाही सदस्यों की इच्छानुसार ही की गयी है।

बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में भी उल्लेख किया गया था। हम स्वतः एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों की बात सोच रहे थे किन्तु दूसरों की मांग पर ही हमने ऐसी कार्यवाही की। यह कहा गया था कि एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में लोग धोखा खा सकते हैं इस कारण बड़े निर्वाचन क्षेत्र अधिक उपयोगी रहेंगे ताकि ऐसी वैसी बातें न हो सकें।

इसी कारण हमने बहु-सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र रखे किन्तु यदि आप इन दोनों बातों अर्थात् सामूहिक मतदान आदि को आपस में मिलायेंगे तो विखंडन की क्रिया आरम्भ हो जायेगी। कल्पना कीजिये कि एक क्षेत्र में एक ही जाति के सदस्यों की संख्या अधिक है और तब क्या होगा। यही प्रचार किया जायगा कि अपनी जात के सदस्य के पक्ष में मत दें। हम इस बात को बन्द करना चाहते हैं। इसी प्रकार दूसरे नारे लगाये जायेंगे। यदि आप किसी के लिये संरक्षण रखना चाहते हैं तो सीधे करें किन्तु जातीयता के विष का प्रचार न करने दिया जाये। हम इन बातों के बड़े परिणाम भुगत चुके हैं।

इसलिये कुछ माननीय सदस्यों के कहने पर हमने यह बात मानी है किन्तु वितरित न होंगे। इसी बात को सिद्धांततः संसद् में भी स्वीकार किया गया है। अन्यथा इससे अनियमितता होगी और जो हानियां हैं वे अधिक होती जायेंगी।

यह बात कि मेयर निगम का प्रशासकीय प्रमुख हो यह तो बम्बई निगम के सिद्धांतों के भी बिल्कुल विपरीत है। बम्बई निगम की सफलता का कारण ही यह है कि वहां कार्यपालिका तथा मंत्रणा के काम पृथक पृथक ढंग से होते हैं। कार्यपालिका के लोग सदस्यों द्वारा बनाई गई नीति को क्रियान्वित करेंगे। वास्तव में दिल्ली नगरपालिका के प्रधान ने इस बारे में बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा था। उससे प्रश्न पूछा गया था, "कि आपको नगरपालिका का प्रशासन का अधिक अनुभव है और आपने कई कठिनाइयों का भी सामना किया होगा इस कारण क्या आप यह ठीक समझते हैं कि निगम नीतिनिर्धारण करें और आयुक्त कार्यपालिका के मामलों का अध्यक्ष रहे ?" जिसका उत्तर यह था :—

"मैं इस बात का स्वागत करता हूं क्योंकि इस प्रकार कार्यपालिकात्मक तथा मंत्रणात्मक पहलू अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा काम करने के लिये यह परमावश्यक है। मेरा १३ वर्ष का अनुभव है और तीन वर्ष की प्रधानता का अनुभव है। मैंने देखा है कि सदस्य कर्मचारियों की उन्नति, स्थानान्तरण आदि के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और उसमें व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेते हैं जिससे बड़ी कठिनाई होती है। यह सत्य है।"

इस ठोस प्रणाली को सभी जगह स्वीकार किया गया है। प्रशासन का यह सर्वमान्य तरीका है। यहां पर उपर्युक्त बात मैंने इस कारण कही कि इसका दिल्ली के मामलों से सीधा संबंध था।

यह सुझाव भी दिये गये कि स्टाम्प राजस्व, पंजीयन राजस्व तथा विक्रय की आय निगम को हस्तातंरित कर दी जाये। हमें यह ध्यान रखना पड़ता है हम एक तरीके को अपना कर कहीं दूसरे राज्यों के लिये किसी प्रकार का कष्ट खड़ा न कर दें। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली निगम को आय हो ही न। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस निगम को पूरी पूरी सहायता दे ताकि यह निगम अपने कामकाज को अच्छी तरह से कर सके। किन्तु स्थानीय निकाय कराधान जांच समिति आदि ने इस प्रकार केन्द्र को इन मामलों के हस्तांतरित किये जाने पर आपत्ति की है। मैं इन संसाधनों द्वारा एकत्रित धन के बारे में ही नहीं कहता क्योंकि मैंने यह बात कह दी है कि मैं नहीं चाहता कि निगम को काम करने में किसी भी प्रकार की रुकावट आये। इसे अपने संसाधनों का भी पूरा पूरा लाभ उठाना होगा। किन्तु हम किसी नये तरीके को नहीं अपना सकते जिससे कि अन्य राज्यों के सामने भी भीषण समस्यायें उपस्थित हो जायें।

स्वास्थ्य तथा माध्यमिक शिक्षा के कृत्यों के हस्तांतरण का भी सुझाव दिया गया था। निगम स्वास्थ्य के कृत्यों का वहन करेगी। शिक्षा पर इसका पर्याप्त नियंत्रण होगा। जिन पाठशालाओं को अब नगरपालिका चलाती है उन्हें बाद में निगम चलायेगा और एक विशेषज्ञ समिति हमने शिक्षा के लिये बनाई है जिसके तीन सदस्य होंगे। इसलिये उस बात की पर्याप्त व्यवस्था है।

यह भी कहा गया कि बम्बई में स्वास्थ्य संबंधी एक विशेष समिति है जो संविहित समिति के समान है। जहां तक मुझे पता है वहां पर ऐसा नहीं है। हम जो कुछ कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया है। शायद अभी तक माननीय सदस्य यह जानते न हों कि अभी तक सारे अस्पताल दिल्ली राज्य के अन्तर्गत नहीं थे। किन्तु अब अधिकतर अस्पताल दिल्ली राज्य के अधीन कर दिये जायेंगे केवल उन्हीं को छोड़ा जायेगा जिनका वित्त पोषण निगम नहीं कर सकता तथा जो कालेजों आदि से संबंधित हैं। यदि ऐसे एक भी हस्पताल को सरकार चलाती है तो निगम के पास इतनी बचत हो जायेगी जिससे वह १० अस्पताल भी ऐसे क्षेत्रों में खोल सके जिनमें अब हस्पताल नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में अब हस्पताल नहीं हैं तो ऐसे इलाके में अब नये हस्पताल क्यों न खोले जायें। वैसे नगर के अधिकतर हस्पताल निगम के नियंत्रण के अन्तर्गत रहेंगे।

[पंडित गो० द० पन्त]

वार्ड समितियों में निगम के निर्वाचित सदस्य होंगे और उन्हें उस स्थान से तीन और सदस्य ले लेने का अधिकार रहेगा। इस कारण यह भी निर्वाचित निकाय होगा। इसलिये किसी को इसके संबंध में भी शिकायत नहीं होनी चाहिये।

एक सुझाव यह भी था कि माध्यमिक शिक्षा निगम को सौंप दी जाये। मैंने भी किसी समय इस बात पर विचार किया था। किन्तु जब इस वर्ष दाखिले शुरू हुये तो मैंने पाया कि दिल्ली में आरम्भिक शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय तथा खराब है। मुझे उस संबंध में जानकारी प्राप्त करके बड़ा धक्का लगा। न स्कूलों में कमरे थे न बैठने का स्थान। स्थिति बड़ी विचित्र थी। मैंने शिक्षा विभाग से प्रार्थना की और २६ लाख रुपये इस सहायता के लिये लिये। इस लिये मैं समझता हूं कि दिल्ली में आरम्भिक शिक्षा के मामले पर भी बहुत सा काम किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि आरम्भिक शिक्षा अनिवार्य तथा अच्छी होनी चाहिये। इसका क्षेत्र व्यापक है। इन हालात में यह ठीक नहीं कि माध्यमिक शिक्षा का भार भी उन पर ही डाला जाये।

इस बात को सभापति ने भी स्वीकार किया है कि माध्यमिक शिक्षा के काम को चलाने के लिये उनके पास संसाधन नहीं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने भी माध्यमिक शिक्षा को निगम को सौंपने का विरोध किया है। शिक्षा मंत्रालय आदि ने भी यही बताया है कि यह कार्य-वाही गलत होगी। आप जानते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षा पर पर्याप्त व्यय होता है। ऐसे विद्यालयों को केवल राज्य ही चला सकते हैं क्योंकि वे राज्य धन आदि भी दे सकते हैं और ठीक प्रकार के आदमी भी दे सकते हैं। इस कारण इस बोझ के डालने का कोई लाभ नहीं है।

मैंने मुख्य मुख्य बातों का उत्तर दे ही दिया है। नई दिल्ली के बारे में दोबारा कहा गया। मेरे विचार में कई माननीय सदस्यों को इसका बहुत ही ज्यादा विचार सा रहता है। जैसा कि मैं ने बताया जो क्षेत्र नई दिल्ली का छोड़ा गया है वह निगम के क्षेत्र से ३ प्रतिशत से अधिक नहीं है पर्याप्त कार्य हमने उसमें करना है। उस क्षेत्र में सफाई, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि यह १५ वर्गमील का क्षेत्र जो बाहर रखा गया है उसे निगम के क्षेत्राधिकार में रख दिया जाये तो निगम के राजस्व का अधिकतर भाग इसी पर व्यय हो जायगा। यदि उन्हें धन न मिला तो संसद सदस्य इस प्रति उनकी आलोचना करेंगे। तब वे ऐसे अनुदान भी नहीं ले सकेंगे जिन्हें वे अन्यथा ले सकते हैं। दूसरे इस क्षेत्र में से निगम को आय भी नहीं हो सकती क्योंकि सरकारी मकानात हैं जिन पर कर नहीं लग सकता। जहां तक यहां के लोगों का सवाल है अधिकतर सरकारी नौकर यहां रहते हैं उन्हें सदस्यों के रूप में निर्वाचित भी नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र का यह अर्थ है कि जब कि एक वर्ग अलग रहना चाहता है तो क्या उन्हें निश्चय ही दूसरों के अधीन रखा जाये? दिल्ली के लोगों को नई दिल्ली के लोगों के अधीन नहीं किया जा रहा। वह स्वतः अपना प्रबन्ध करेंगे। यहां पर इस प्रकार के लोग हैं जिन्हें विधान-सभा का सदस्य नहीं चुना जा सकता। वे इस समय नहीं चाहते कि उन्हें निगम में सम्मिलित किया जाये। मुझे पता है कि इस समय नई दिल्ली के अधिकतर लोग निगम में सम्मिलित होना नहीं चाहते। सरकारी कर्मचारियों के बारे में तो स्थिति स्पष्ट है किन्तु व्यापारियों का भी यह मत है और इन व्यापारियों की निकायों ने इस संबंध में हमारे पास अभ्यावेदन भेजे हैं जिनके नाम हैं:—नई दिल्ली व्यापारी संघ—इसमें १०० फर्मों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं, राजेन्द्रनगर संस्था, सुन्दरनगर संस्था, जोड़ बाग संस्था, निजामुद्दीन संस्था, दिल्ली प्रापर ओनर्स संस्था, लाजपतनगर रेजिडेंट्स वैलफेयर संस्था, गालफलिक कालोनी संस्था तथा दिल्ली केटरर्स संस्था इत्यादि।

उनका कहना है कि निगम का अभी निर्माण मात्र ही होगा। इस समय उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधायें हैं। इस कारण उनका कहना है कि उन्हें अलग ही रखा जाये। उनकी दलील कोई बुरी नहीं है।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : पानी और बिजली जो नई दिल्ली में खपेगा क्या उस पर शुल्क लगेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह दिल्ली निगम के अधीन होगा। इसलिये नई दिल्ली क्षेत्र के लोग दिल्ली क्षेत्र के लोगों की दया पर रहेंगे। वे अब भी स्वयं को उनकी दया पर छोड़ रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इस क्षेत्र को और कम कर दिया जाये और इसके कतिपय भाग निगम में लगा दिये जायें। फिर तो कोई बात न बनेगी। हमें ऐसे क्षेत्र रखना चाहिये जिसका प्रशासन हम अच्छे ढंग से कर सकें। अब जो क्षेत्र हमने रखा है यह युक्तियुक्त है। यह संभव है कि हम कोई ऐसी व्यवस्था करें जिस के फलस्वरूप इन लोगों को नई दिल्ली के मामलों में कुछ कहने का अवसर मिल जाये। जब यह प्रश्न नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा गया था तब उसने यह उत्तर दिया था कि "नहीं मैं नहीं चाहता——इसे विभक्त मत करें——थोड़े से अन्य क्षेत्र के मिलाये जाने से ज्यादा लाभ हमें न होगा।" यह विचार उस का था। मैं उस का सारांश दे रहा था।

विकास प्राधिकारी का भी थोड़ा उल्लेख किया गया था। मैं ने पहले इस का उत्तर दे दिया था अब मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं सभा को साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली के इस निगम को अब अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। दिल्ली विधान सभा का नियंत्रण पानी, परिवहन तथा बिजली पर नहीं था। ये सब बातें केन्द्र के आधीन थीं।

मेरा विचार है कि निगम को जो कार्य सौंपा जा रहा है वह उस के अनुसार ही काम करेगा। मुझे आशा है कि निगम हमारी इच्छाओं के अनुसार सफल रहेगा।

†**श्री राधा रमण**: इस समय आरंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षा निदेशालय निर्धारित करता है और शेष चीजें नगरपालिका के अधीन हैं। क्या निगम का पूरा नियंत्रण रहेगा या स्थिति वैसी ही रहेगी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह विधानार्थ मामला नहीं है किन्तु मैं इस पर सदस्यों से बातचीत करने को तैयार हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के नगरपालिका शासन संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २——परिभाषा

†**श्री तंगामणि** : (मदुरै) मैं अपना संशोधन संख्या १०० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) मैं अपना संशोधन संख्या १२७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या ३ तथा ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड २ पर ये संशोधन सभा के सामने हैं।

†**श्री वाजपेयी** : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं, उनमें पहले का उद्देश्य नई दिल्ली को प्रस्तावित कारपोरेशन में शामिल करने के सम्बन्ध में है। प्रथम वाचन में जो भी विवाद हुआ है और भिन्न भिन्न दलों के सदस्यों ने उस पर जो भी भाषण किये हैं, उस से यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

स्पष्ट है कि केवल विरोधी दल ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल में भी नई दिल्ली को प्रस्तावित कारपोरेशन में शामिल करने के बारे में बड़ी प्रबल भावना है। माननीय गृह-कार्य मंत्री महोदय ने जो भी तर्क दिये हैं, वे तो दिल्ली की जनता को भी इस बात के लिये तैयार नहीं कर सके कि वह नई दिल्ली को अलग रखना स्वीकार कर लें। मैं एक बार पुनः इस बात की अपील करता हूं कि अभी भी सुधार के लिये समय है। नई दिल्ली को प्रस्तावित कारपोरेशन में शामिल कर के, इस कारपोरेशन को ऐसा रूप दिया जा सकता है कि जो सभी वर्गों के लोगों के लिये वह स्वीकार्य हो।

मेरा दूसरा संशोधन बाइसिकलों और ट्राइसिकलों के ऊपर टैक्स लगाने के विरोध में है। बाईसिकल आम आदमी की सवारी है——उस आदमी की जो आज महंगाई और टैक्सों के पाटों में पिस रहा है। मैं नहीं समझता कि साइकलों पर टैक्स लगा कर उस पर और अधिक बोझ डाला जाना चाहिये। यही बात ट्राइसिकलों के सम्बन्ध में है। अगर आप सचमुच में आम आदमियों को, विशेष कर मध्यम वर्ग के लोगों को कोई राहत पहुंचाना चाहते हैं और अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग ही सरकारी कर्मचारी, बाबू लोग हैं, और वे ही साइकलों का उपयोग करते हैं, तो इन साइकलों और ट्राइसिकलों पर आप टैक्स न लगायें। इस बात का मैं आग्रह करना चाहता था और इसी के सम्बन्ध में मेरा यह संशोधन है।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : नई दिल्ली को अलग रखने के जो कारण माननीय गृह मंत्री ने बताये हैं उन से मुझे संतोष नहीं हुआ। छावनी का क्षेत्र तो भला ठीक से अलग रखा जाता है क्योंकि वहां प्रतिरक्षा के संस्थापन होते हैं।

जहां तक नई दिल्ली का सम्बन्ध है उन्हें तो किसी भी कारण लोकतंत्रात्मक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। पुरानी तथा नई दिल्ली में क्या अन्तर है ?

जहां तक व्यापारियों के ज्ञापन का प्रश्न है उस के बारे में यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली का यह अर्थ कदापि नहीं है कि जैसे बड़े बड़े व्यापारी चाहें उसी के अनुसार हम करते जायें। इसी कारण हम चाहते हैं कि नई दिल्ली भी इस निगम के अन्तर्गत सम्मिलित की जाये।

यह ठीक है कि सरकारी मकानों पर कर नहीं लगता किन्तु उस की पूर्ति सरकार अनुदान दे कर कर सकती है।

यह भी कहा गया है कि नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारी रहते हैं किन्तु वे सदस्यता के लिये चुनाव नहीं लड़ सकते। जब वह विधान-सभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं अर्थात् मत डाल सकते हैं तो किसी एक व्यक्ति को नगरपालिका में भी अपने मत दे कर भेज सकते हैं। उन्हें मतदान का अधिकार तो देना चाहिये। इस कारण मेरा संशोधन स्वीकार होना चाहिये।

†**श्री तंगामणि** : श्रीमान्, मैं ने संशोधन संख्या १०० रखा है।

नई दिल्ली के अलग रखे जाने के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में यह भावना बड़े उग्र रूप में फैल रही है कि यदि ऐसे क्षेत्रों को अलग रखा जाता है जिन्हें मिलाया जा सकता हो तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा।

पुरानी दिल्ली के ६७१८ लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन इस सभा को भेजा गया था जिस में उन्हों ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि नई दिल्ली के पृथक्करण से उन्हें बड़ी निराशा हुई है।

पहले यह राज्य स्वायत्त था किन्तु वह भी पुनर्गठन के बाद इस से छिन गई। अब निगम बनने के बाद नई दिल्ली के लोग तो इस से बिल्कुल ही वंचित हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९४९ में मद्रास में नगरपालिकाओं के पुनर्गठन का प्रश्न उठा था। वहां पर इस प्रश्न की जांच करने के लिये पुन्नुस्वामी मुदलियार समिति का नियुक्ति हुई थी जिस ने कहा था कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण ले कर भी सभी प्रकार के क्षेत्र इस में सम्मिलित किये जाने चाहियें अन्यथा उन के विकास में बाधा पड़ेगी।

इन दोनों क्षेत्रों अर्थात् नई दिल्ली तथा छावनी क्षेत्र के बाहर रखे जाने से भी अधिक लाभ न होगा। इस सारे क्षेत्र को एक ही समझा जाना चाहिये। नगर पालिकाओं सम्बन्धी कई आयोगों ने कहा है कि समस्त एकक हों उसे छेड़ा न जाये किन्तु यदि आवश्यक हो तो आप इस में अन्य क्षेत्र मिला सकते हैं।

इन परिस्थितियों में, मेरी राय है कि यह संशोधन केवल नई दिल्ली के निवासियों की मांग पूरी नहीं करता है अपितु समस्त देशवासियों की मांग पूरी करता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं यह कहना चाहता हूं कि नई दिल्ली को निगम से बाहर रखने के जो तर्क दिये गये हैं उन से मुझे संतोष नहीं हुआ है। यहां, एक बार प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया था कि छावनी बोर्ड का प्रशासन इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है जिस से उस का प्रशासन भी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को भविष्य में दिया जा सके। पर तु इस विधेयक में छावनी बोर्ड को निकाल कर हमें उस अधिकार से वंचित ही कर दिया गया है।

हमें बताया जाता है कि नई दिल्ली में अधिकांशत: सरकारी नौकर रहते हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि सरकारी नौकरों को जब अपना प्रतिनिधि संसद् में भेजने का अधिकार है तब उन्हें निगम में अपना प्रतिनिधि भेजने के अधिकार से वंचित क्यों किया जाता है। मेरे विचार से हमें इन कर्मचारियों तथा उन के परिवार अर्थात् पत्नी, बच्चों आदि के मत देने के अधिकार को नहीं छीनना चाहिये।

हमें बताया गया कि वाशिंगटन में भी ऐसी व्यवस्था है। हमें दूसरे देश के उदाहरण देने नहीं चाहियें क्योंकि यदि उन्हों ने तीन साल पहले कोई गलती की है तो इस का मतलब यह नहीं हम १९५७ में भी वही गलती करें। सभी स्थानों पर परिवर्तन होते हैं और स्थिति बदलती रहती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह-मंत्री नई दिल्ली को निगम में मिलाने के मामले पर पुन: विचार करेंगे।

हमें बताया गया है कि नई-दिल्ली के व्यापारी निगम में मिलना नहीं चाहते हैं परन्तु लोक सभा के आज के पत्रों में हमें एक याचिका की प्रति मिली है जिसमें लिखा है कि व्यापारी निगम में मिलना चाहते हैं। यह बड़ी संदेहात्मक स्थिति है और कम से कम संदेह का लाभ देकर ही नई दिल्ली के निगम में मिलाने का निर्णय किया जाना चाहिए।

किसी ने कहा है कि नई दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक बम्बई के नमने पर ही बताया गया है। हमें कलकत्ता कानपुर अमृतसर आदि के लिए दिल्ली निगम विधेयक को आदर्श बनाना चाहिए न कि किसी अन्य नगर का आदर्श सामने रखकर, तब दिल्ली निगम विधेयक को हम बनायें। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि नई-दिल्ली, दिल्ली कैन्टोन्मट को दिल्ली निगम में शामिल कर लेना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : इस प्रश्न को संयुक्त समिति में भेजते समय भी विचार किया गया था। और जिन कारणों से इसको अलग रखने का निर्णय किया गया था उनको माननीय गृह-मंत्री पहले ही बता चुके हैं। मेरी राय में इसलिए उन्हीं बातों की पुनरुक्ति ठीक न होगी।

एक बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक छावनी बोर्ड का सम्बन्ध है, यहां पर विरोधी विचारधारा वाले सदस्यों ने नई-दिल्ली को बाहर रखने पर ही अधिक आपत्ति उठाई है। इसलिए मैं समझता हूं कि छावनी बोर्ड को निगम से बाहर रखने के सम्बन्ध में पर्याप्त विरोध नहीं हुआ है।

नई-दिल्ली के बारे में इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि नगर पालिका के कार्यों में भी लोगों से पूर्ण मताधिकार छीना जा रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में से कुछ उद्धरण भी दिए गए। इसकी कण्डिका ५९३ में उन्होंने बताया कि लोकतंत्रात्मक सरकार के क्या लाभ हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए कि भारत संघ की राजधानी होने से दिल्ली एक महान नगर है। और इसमें रहने वाले लोगों को थोड़ा बलिदान करना ही पड़ता है।

अमेरिका के कोलम्बिया का एक उदाहरण दिया गया कि वहां के लोगों को राज्य अथवा नगर पालिका के किसी भी चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मेरे मित्र श्री दी० चं० शर्मा को यह बात जाननी चाहिए राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप में दिया हुया है कि दिल्ली अथवा किसी भी केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र में मतदान के अधिकार छीनने के बारे में उनके प्रस्तावों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी सिफारिशों में यह नहीं कहा है कि दिल्ली, नई-दिल्ली, तथा सब गावों को मिलाकर दिल्ली निगम बनाया जाना चाहिए। सच बात यह है कि अगले पैराग्राफ में उन्होंने उस से अधिक निगम बनाने का सुझाव दिया है। इन परिस्थितियों में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को उद्धृत नहीं करना चाहिए की उसमें दिल्ली राज्य के सभी क्षेत्रों को एक साथ मिला दिया जाये।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : क्या नई-दिल्ली को सरकारी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन भेजने पर इसमे से निकाला गया है अथवा यह निर्णय स्वयं सरकार का है ?

†**श्री दातार** : सरकार ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया और सरकार को यही बात सबसे महत्वपूर्ण लगी कि ऐसा करने में बड़ी कठिनाइयां सामने आयेंगी जैसे कि दिल्ली निगम प्रांत में ही नई-दिल्ली की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १००, १२७, ३ तथा ४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३—निगम की स्थापना

†**श्री वाजपेयी :** मैं अपने संशोधन संख्या ५, ६ तथा ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हेम बरूआ :** मैं अपना संशोधन संख्या १३० प्रस्तुत करता हूं।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों का सम्बंध, जो कारपोरेशन में कारपोरेशन के संदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से ऐल्डरमैन (नगर वृद्ध) चुने जाने वाले हैं उनके बारे में है।

जो व्यवस्था की गयी है उसका सदन के सभी क्षेत्रों ने विरोध किया है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं किया है।

श्री वाजपेयी : प्राय:। और जो भी कारण दिये गये हैं कुछ लोगों को चोर दरवाजे से लाने के लिए वे कारण तर्कशुद्ध नहीं है। अगर कारपोरेशन का रूप सचमुच में लोकतंत्रात्मक रखना है तो ऐल्डरमैन के चुनाव की बात उसमें से निकाल दी जानी चाहिए। कल जो मैं ने कहा था उसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली की जनता पर इस बात के लिए विश्वास किया जाना चाहिए कि वह अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन अच्छे ढंग से करेगी, और अगर वह कारपोरेटर्स ठीक ढंग से चुन सकती है और उन में सभी तरह की योग्यता वाले व्यक्तियों का समावेश हो सकता है तो यह ऐल्डरमैन की व्यवस्था के लिए कोई कारण नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय ने नई दिल्ली के सम्बन्ध में संशोधन स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह संशोधन मेरी समझ में इतना विवादस्पद नहीं है और यदि कुछ गिव एंड टेक की भावना से काम करना है तो मैं उन से अपील करूंगा कि कम से कम यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

†**श्री हेम बरूआ :** मैंने अपने संशोधन में यह व्यवस्था रखी है कि नगर वृद्ध का चुनाव परिषद्ध, ऐसे व्यक्तियों में से करेंगे जो परिषद्ध नहीं होंगे। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था रखी गई है जो लोक तंत्र के मूलभूत अधिकारों के विपरीत है।

हमें बताया गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था इसलिए रखी गई है क्यों कि हम निगम में विद्वान व्यक्तियों को लाना चाहते हैं। मेरे विचार से यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि जार्ज बर्नारडशा ने कहा कि लोकतंत्रात्मक पद्धति में जिसको सबसे अधिक मत मिलें उसको ही उस पद पर आसीन किया जाता है। श्री जवाहरलाल नेहरू और पंडित पन्त इसीलिए यहां बैठे हैं। इसलिए हमें सीधे चुनाव की ही व्यवस्था रखनी चाहिए क्योंकि हम ऐसे व्यक्तियों को लोगों का प्रतिनिधि नहीं कह सकते जिनका चुनाव नहीं हुआ हो।

अंग्रेजी पद्धति, प्राचीन पद्धति है और वह प्रथाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमें नया लोक-तंत्र बनाते समय प्रथाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए और इसलिए सीधा चुनाव का तरीका रखना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से जब से इस विधेयक पर विचार शुरू हुआ तब से लोकतंत्र की बहुत चर्चा हुई है। इस क्लास के सम्बंध में भी हमारे चन्द माननीय सदस्यों ने यह भावना प्रकट की है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह ठीक है कि लोकतंत्र का तरीका है कि बहुमत से जो चुना जाय वही निर्वाचित समझा जाता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सोचना चाहिए, कि क्या लोकतंत्र यही है कि १०० मतदाताओं में से ५१ ने जिस को चाह लिया वही जनता का प्रतिनिधि हो गया और उसी का समावेश सब जगह होना चाहिए ? क्या जनतंत्र का यह तकाजा नहीं है कि १०० में से ५१ के अतिरिक्त ४९ लोगों के मत का कोई खयाल किया जाए।

श्री वाजपेयी : अगर ४९ की बात सुनी जाती तो आप यहां नहीं होते।

श्री श्रीनारायण दास : जो बहुमत की वेगरीज होती है हमें उस का भी ध्यान रखने की जरूरत है। समाज की रक्षा के लिए लोकतंत्र ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन लोकतंत्र में जो अल्पमत वाले लोग हैं उन का कोई भी खयाल न रक्खा जाए ? क्या लोकतंत्र द्वारा चुनाव का तरीका ही आदर्श तरीका है। क्या उसे हमेशा सही कहा जा सकता है ? क्या उस में सच्चा प्रतिनिधि ही चुना जाता है ? इसलिए इस क्लाज के अन्दर जो आल्डरमैन का समावेश किया जा रहा है वह लोकतंत्र के मत को और बढ़ाने के लिए ही है। अगर लोकतंत्र का खयाल न किया जाए, सिर्फ यही खयाल किया जाए कि स्पष्ट बहुमत से जो लोग चुने जाएं वही लोकतंत्र को चला सकेंगे, तो १०० में से ४९ आदमियों की कोई रक्षा करने वाला नहीं है।

हमारे माननीय सदस्य ने यह सवाल भी उठाया कि यह बड़ा कंजर्वेटिव है। क्या माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम है चुनाव के अन्दर कोई जरूरी नहीं है कि जो समाज की जनता होती है उस का अच्छे से अच्छा आदमी ही एलेक्शन में कामयाब हो। एलेक्शन में जो खर्च होता है, उन में कैन्डिडेट को जो तबाहियां उठानी पड़ती हैं उन के होते हुए समाज का अच्छे से अच्छा आदमी चुनाव में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि आजकल के जमाने में डिमाक्रेसी ही सब से अच्छा तरीका है, लेकिन डिमाक्रेसी में भी बहुत सी बुराइयां हैं। इसलिए समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, हमारा कर्तव्य है कि उन के लिए हम समाज की वेगरीज के विरुद्ध सेफगार्ड रक्खें। चुनाव का जो तरीका है, जिस को हम अब तक आदर्श नहीं बना सके हैं, उस में रुपए का प्रभाव चलता है, जाति पांत का प्रभाव चलता है, उस में कितनी ही और छोटी छोटी नैरोनेस की बातें भी आती हैं। इस लिए प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग चुनाव सेचुन कर जाएं वहां कुछ ऐसे लोग, जो संस्था के काम को आगे बढ़ा सकते हैं, संस्था के काम में मदद कर सकते हैं और चुनाव में खड़े होने वाले नहीं हैं, भी लिए जाएं। इस कारपोरेशन में ६ आल्डरमैन लिए जा रहे। मैं नहीं समझता कि इस में कोई प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। कारपोरेशन के अन्दर जहां ८० सदस्य चुनाव में चुने हुए होंगे अगर वहां ६ और सदस्य होंगे, सो भी सरकार द्वारा मनोनीत नहीं, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आएंग, वह ८० सदस्य मिल कर, जिस को दिल्ली के अन्दर अच्छा से अच्छा समझेंगे, अपने बहुमत से चुनेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस में कहां प्रजातंत्र की हत्या हो रहीं है। यह चाहे और किसी देश में हो या न हो, ब्रिटेन में हो, अमरीका में न हो, कुछ भी हो, लेकिन देश के प्रजातंत्र के लिए मैं इसे जरूरी समझता हूं कि जहां बहुत बड़ी तादाद में चुनाव में जीते हुए व्यक्ति आएं वहां इस बात की भी गुंजाइश हो कि कारपोरेशन जैसी संस्था में वे लोग भी आएं भले ही वे परोक्ष प्रणाली से चुने जाएं। अगर हमारे कारपोरेशन में ऐसे सदस्य चुने जाएं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही स्वास्थ्य-प्रद प्रणाली होगी और इस से कारपोरेशन का काम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकेगा। इस

में कहां लोकतंत्र या जनतंत्र की हत्या है ? माननीय सदस्य ने कहा कि लोकतंत्र से ८० फी सदी सदस्य चुन कर आएंगे जनता के। इस में भी मैं कुछ संदेह करता हूं। लोकतंत्र किन लोगों का बना है इस का हिसाब कर लिया जाए। लेकिन खैर, मैं इस सवाल को छोड़ता हूं। ८० चुने हुए आदमियों के साथ अगर ६ आदमी जो कि शहर के अन्दर प्रतिष्ठित होंगे, जो गुण वाले होंगे, कारपोरेशन के काम में मदद करने वाले होंगे, अगर उन को स्वयम् चुने हुए प्रतिनिधि चुन लेंगे तो इस में लोकतंत्र की हत्या कहां होती है ?

इसलिए जो संशोधन पेश किया गया है, उसे मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर कारपोरेशन की योग्यता बढ़ेगी, और उस का काम अच्छा होगा तो ८० चुने हुए सदस्यों के साथ ६ सदस्यों का आल्डरमैन के रूप में रहना अच्छा ही होगा।

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, इन वरिष्ट सदस्यों का भी एक इतिहास है। जब दिल्ली निगम विधेयक आने वाला था तो दिल्ली के बहुत से वर्गों के लोगों ने यह मांग की कि उस में उन के भी प्रतिनिधि होने चाहियें। हम यह सोचते थे कि नामिनेशनस से कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आना चाहिये। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जैसे कि मजदूरों का वर्ग, व्यापारियों का वर्ग। उन्होंने यह मांग की कि उनके भी प्रतिनिधि होने चाहियें। यह सोचा गया कि यदि इन लोगों को नामिनेट किया जाय तो फिर यह कहा जायेगा कि लोकतन्त्र की हत्या हो रही है, जनतन्त्र की हत्या हो रही है। इसलिये उचित यह समझा गया कि जो भी इस तरह के लोग चुनाव में नहीं आ सकते हैं वे इस प्रकार के वरिष्ठ सदस्य बन कर सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट से आयें। ये ऐसे आदमी हैं जो कि चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। अध्यापकों को यह भी हक नहीं है कि वे अध्यापकों के वोट ले सकें क्योंकि वे स्कूल में पढ़ाते हैं। इसी तरह से मजदूर वर्ग में काम करने वाले लोग हैं। मजदूरों के क्षेत्र अलग अलग बने हुये हैं। मान लीजिये दिल्ली के अन्दर राजधानी के बाहर नजफगढ़ की एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक ओखला की तरफ है, एक शहादरा की तरफ है। अगर वहां से कोई मजदूर खड़ा होना चाहे तो वह खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उस को मजदूरों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। मजदूर दिल्ली में बहुत थोड़ी थोड़ी तादाद में हैं। वह लोग जो उधर से मजदूरों का दम भरते हैं, वह कभी यह भी तो खयाल करे कि मजदूरों के लिए यहां दिल्ली में कोई चांस नहीं है।

इस तरह से उनकी जो पार्टी है, साम्यवादी या समाजवादी पार्टी है, उसके यदि ११ या १२ सदस्य आ जाते हैं तो आपको पूरा अखत्यार होगा कि आपका एक सदस्य और बढ़ जाये और आप उसको बढ़ा दें। इसमें जो वरिष्ट सदस्य को लिया गया है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और जो संशोधन उपस्थित किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं इस नये प्रयोग का स्वागत करता हूं। संसद् के दोनों सदनों, लोक-सभा तथा राज्य सभा में, अलग अलग प्रकार की चुनाव प्रणाली है। लोक-सभा में प्रत्यक्ष प्रणाली तथा राज्य सभा में अप्रत्यक्ष प्रणाली। परन्तु इस दिल्ली निगम में हम दोनों प्रकार की प्रणाली के चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि रख कर एक नया प्रयोग कर दें। मैं इसका स्वागत करता हूं। और हमें प्रयत्न करना चाहिये कि सभी विधान सभाओं तथा नगरपालिकाओं में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाये जिससे विद्वान पुरुष इन में आ सकें। मैं लोकतंत्र के उचित संचालन के लिये इसका समर्थन करता हूं।

श्री रा० क० वर्मा (निमाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है, उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और जो मूल विधेयक में व्यवस्था है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० क० वर्मा]

इस सम्बन्ध में मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह कोई दिमागी बात नहीं है या पार्टी के आधार पर मैं उसे नहीं कहने जा रहा हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार रखना चाहता हूं। अक्सर यह देखा गया है कि जो एलडरमैन रखने की व्यवस्था विधान में की जाती है वह इसलिये की जाती है कि जो लोग सीधे चुन कर जाते हैं उनकी वे सहायता करें, उनको गाइडेंस दें और इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये कौंसिलरों द्वारा एलडरमैन चुनने का विधान किया जाता है। लेकिन जो पार्टी चुन कर जाती हैं उसमें तथा दूसरी पार्टियों में पहले से ही आपस में सौदा हो जाता है। कि आप अगर हमारे लिये ऐसा करोगे तो एलडरमैन के तौर पर हम फलां आदमी को ले आयेंगे। यह अनुभव आज का नहीं बल्कि वर्षों से मेरा चला आ रहा है कमजोर पार्टियां आपस में इस तरह के गठबन्धन कर लेती हैं कि दैवयोग से अगर उनके लोग चुन कर आ गये तो वे इस तरह के आदमी को लाकर बैठा देती हैं जो कि चुनाव से जीत कर आये हुये आदमियों से भी गया बीता होता है। जो मूल विधान के अन्दर चीज़ रखी गई है उसका खास उपयोग यह होना चाहिये कि बहुत से जो रिटायर्ड आदमी होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डाक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और जो किसी पार्टी के द्वारा चुन कर नहीं आना चाहते और घर बैठे ही सेवा करना चाहते हैं, उनको वहां पर लाया जा सकता है और यदि वे वहां जायेंगे होशियारी से काम करेंगे, सावधानी से काम करेंगे, और काम अच्छा होगा। लेकिन जो संशोधन मेरे साथी ने रखा है और जिस प्रदेश के वह हैं, और वहां जो कारपोरेशन बनी है, उसमें भी सीधे चुनाव की उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री वाजपेयी : मेरे प्रदेश में अभी कोई कारपोरेशन नहीं बनी है।

श्री रा० क० वर्मा : आपका शिक्षण सारे का सारा मध्य भारत में हुआ और वहां आप काफी अर्से तक रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका ज़िक्र करने की अब आवश्यकता नहीं है।

श्री रा० क० वर्मा : वहां कारपोरेशन बनी है और उनका जो सुझाव है उसको भी वहां नहीं माना गया है।

मेरे एक साथी ने कहा है कि मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं आयेंगे। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ग के आधार पर भी इस चीज़ को नहीं लेना चाहिये क्योंकि वर्ग के आधार पर लेने से वही की वही बात होती है। अगर हमें कारपोरेशन को चलाना है और जनता की सेवा करनी है तो एलडरमैन के तौर पर ऐसे आदमी आने चाहियें जो टेक्निकल दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से अच्छे हों और निष्पक्ष रह कर—पार्टी की दृष्टि से नहीं—अच्छी से अच्छी तरह सेवा कर सकें। इस काम को शासन की नोमिनेट या विधेयक में रखी प्रथा के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फूड सिचुएशन के बारे में गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी और उसका चेयरमैन उसने ऐसे आदमी को नियुक्त किया जो उस काम के लिये अच्छे से अच्छा था, अनुभवी था और सब दृष्टियों से ठीक था किन्तु वह कांग्रेस पार्टी का नहीं था। आज हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस के सिवाय ऐसी कौनसी पार्टी है जो नामिनेट करने में ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सकती है और कौन सी पार्टी ऐसे व्यक्तियों को चुन कर भेज सकती है जो देश की जनता की सेवा कर सकें।

सलिये जो चीज़ मूल विधेयक में रखी गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो संशोधन पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

†**श्री दातार** : कुछ सदस्यों ने जो यह कहा है कि नगरवृद्धों का केवल नामनिर्देशन किया जायेगा और वही लोग इसमें आयेंगे जिनको सरकार का आश्रय प्राप्त होगा ये बातें सुन कर मुझे बड़ा खेद हुआ । ये सरकार के आश्रय में रहने वाले अथवा नामनिर्देशित व्यक्ति नहीं होंगे ।

मैं श्री श्रीनारायण दास से पूर्णतया सहमत हूं कि लोकतंत्र में सभी मामलों में परोक्ष चुनाव नहीं होते हैं । कभी कभी परोक्ष चुनाव में गड़बड़ी हो जाती है और इस प्रकार के मामलों में गड़बड़ी न हो इस विचार से यह ठीक समझा गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाये । इसी सिद्धान्त के आधार पर हमने दूसरी सभा की रचना की जिसके परिणामस्वरूप संसद् में राज्य सभा है । इन परिस्थितियों में यह कहना बिल्कुल गलत है कि नगरवृद्धों को केवल इसलिये बनाया जा रहा है कि सरकार के अपने व्यक्तियों को इसमें रखा जा सके और लोकतंत्र का उल्लंघन किया जा सके । यह दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं ।

दूसरे, मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत में दो नगरपालिका निगम इस प्रकार के हैं जिनमें नगरवृद्ध हैं । वह निगम कलकत्ता तथा मद्रास के हैं । लन्दन काउन्टी कौंसिलों में भी नगरवृद्ध हैं और वहां उनकी संख्या २० है जब कि यहां हमने ८० में से केवल छः की व्यवस्था रखी है । इस प्रकार पता लगता है कि यह संख्या बहुत कम है और जैसा कि श्री नवल प्रभाकर ने बताया कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों, जिनका प्रतिनिधित्व करना नितान्त आवश्यक हो, उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल न हो । इस प्रकार की कमियों को दूर करने के लिये निगम के सदस्यों को यह अधिकार दिया गया है जिनका चुनाव परोक्ष पद्धति से होता है । यदि इन सदस्यों को छः एलडरमैन चुनने का अधिकार दे दिया जाता है तो इसमें लोकतंत्र के विरुद्ध कौनसी बात हो जाती है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि यह व्यवस्था बड़ी सुन्दर व्यवस्था है और हमें अनुभवी, ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्तियों को परोक्ष चुनाव से आये व्यक्तियों में शामिल करना चाहिये । जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया था कि कलकत्ते में नगरवृद्धों में से मेयर का चुनाव भी किया जाता है इसलिये हमें परिषदों के समान ही इनको समझना चाहिये । इसलिये मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५, ६, ७ तथा १३० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

†**श्री वाजपेयी** : मैं इस पर विभाजन चाहता हूं ।

सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में १०० तथा विपक्ष में १९ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५—(वार्डों की सीमायें)

†**श्री वाजपेयी** : मैं अपने संशोधन संख्या १२, १३ तथा १४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं अपना संशोधन संख्या १३८ प्रस्तुत करता हूं और मुझे इस पर आपत्ति है कि दिल्ली निगम के एक एक वार्ड से बहुत से सदस्य हों । मैं चाहता हूं कि एक वार्ड से एक ही सदस्य लिया जाये ।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की पांचवीं धारा में कारपोरेशन के सदस्यों का चुनाव जिस पद्धति से किया जायेगा उसका निरूपण किया गया है और यह व्यवस्था की गई है कि सदस्यों के निर्वाचन के लिये मल्टीमेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ अर्थात् बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाये जायें । पिछले अनेक वर्षों से जिस चुनाव पद्धति का देश ने अनुभव किया है उसका यह निष्कर्ष है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उपयुक्त नहीं हैं । अभी पिछले आम चुनावों में जो डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ थीं, उनके सम्बन्ध में भी कुछ इस तरह का अनुभव आया है । देखा यह जाता है कि अगर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है तो उसमें जो मतदाता हैं वे मजहब के आधार पर या जाति के आधार पर बंट जाते हैं और उसमें एक ग्रुप या गुट्ट अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो जाता है । देश में हम लोकतंत्र की जो स्वस्थ परम्परा का निर्माण करना चाहते हैं उसकी दृष्टि से यह मल्टीमेम्बर वार्ड्स की व्यवस्था करना उचित नहीं है और इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि मल्टीमेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ के स्थान पर सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ होनी चाहियें और उसमें जो परिगणित जाति के सदस्य आने हैं उनके लिये पृथक से व्यवस्था की जा सकती है । मेरी समझ में यह संशोधन काफी उपयुक्त है और इसको स्वीकार किया जायेगा ।

†**श्री दातार** : संयुक्त समिति ने इस प्रश्न पर बहुत विचार किया था । मूल प्रस्ताव यही था एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हों । परन्तु मामले के दोनों पहलुओं पर विचार करके यह ठीक समझा गया कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाये जायें । इसके कई लाभ हैं । इसलिये संयुक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना ठीक होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२, १३, १४ तथा १३८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ से ९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १०—(मताधिकार)

†**श्री हेम बरुआ** : मैं अपना संशोधन संख्या १४१ प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि मैं इस सिद्धान्त का विरोधी हूं कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई व्यक्ति चुने जायें और इसीलिये मैं चाहता हूं कि विभाजित मतों के स्थान पर एकत्रित मतों की पद्धति से चुनाव किये जाने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : खण्ड १० के उपखण्ड (२) में दिया है कि कोई भी मतदाता किसी भी चुनाव में एक से अधिक मत डालने का अधिकारी नहीं होगा। परन्तु अधिक मत डालने पर उसके लिये किसी दण्ड की व्यवस्था उसमें नहीं की गई है। मेरे विचार से यह ठीक होगा कि हम उसमें स्पष्ट लिख दें कि यदि कोई मतदाता एक से अधिक मत मतपेटिका में डाल देता है तो एक को छोड़ कर अन्य सभी मत रद्द कर दिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और उचित संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री दातार** : इस प्रकार के उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे यह एक दण्ड देने की व्यवस्था है जिस पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता है। आवश्यक होने पर नियमावलि में संशोधन कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ११ से १५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १६--किसी याची द्वारा अभ्यर्थित सहायता

†**श्री श्रीनारायण दास** : यहां 'चुने गये व्यक्ति' की परिभाषा की गई है इसलिये मैं चाहता हूं कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की भी परिभाषा की जानी चाहिये। जन प्रतिनिधान अधिनियम में तीन उपबन्ध उसके सम्बन्ध में हैं। एक अभ्यर्थियों की सूची होती है, निश्चित अवधि में अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकता है और एक निश्चित अवधि में अभ्यर्थी सेवानिवृत्ति ले सकता है। सेवानिवृत्त व्यक्ति यदि निश्चित अवधि से पहले चुने जाने वाला व्यक्ति माना जाये अथवा नहीं। इसलिये मेरे विचार से चुने जाने वाले व्यक्ति की परिभाषा की जानी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १७ से ३६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नये खण्ड ३६क का संशोधन संख्या ३४ प्रस्तुत नहीं हुआ है।

खंड ३७ और ३८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३९—(ग्रामीण क्षेत्र समिति और शिक्षा समिति)

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ २७ पंक्ति २९ में "the rural areas" (ग्रामीण क्षेत्र) शब्दों के स्थान में "Any of the matters specified in sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (a) of sub-section (३)" "[उपधारा ३ के खण्ड (क) के उपखण्ड १, २ और ३ में उल्लिखित कोई भी विषय] शब्द रख दिये जायें।'

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं संशोधन संख्या १४९, १५० और १५१ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मेरे संशोधन का आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र समिति और शिक्षा समिति की भांति एक वित्तीय समिति भी होनी चाहिये जिसके सभी सदस्य निर्वाचित हों। उस समिति में म्यूनीसिपलटी का मुख्य लेखापाल और मुख्य लेखापरीक्षक भी शामिल हों। यह व्यय के विभिन्न मदों का परीक्षण कर उसका प्रतिवेदन निगम को प्रस्तुत करे। इससे निगम के वित्त सम्बन्धी कार्यों में बड़ी सहायता होगी।

†**श्री दातार** : मैं अपने संशोधन को छोड़ कर अन्य सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४९, १५० और १५१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या १५३ को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

'पृष्ठ २७ पंक्ति २९ में "the rural areas" (ग्रामीण क्षेत्र) शब्दों के स्थान में "Any of the matters specified in sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (a) of sub-section (3)" [उपधारा ३ के खण्ड (क) के उपखंड १, २ और ३ में उल्लिखित कोई विषय] शब्द रख दिये जायें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३९ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४० और ४१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ४२—(निगम के अनिवार्य कार्य)

†**श्री वाजपेयी** : मैं संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत करता हूं।

इस संशोधन का सम्बन्ध कारपोरेशन को शिक्षा के सम्बन्ध में जो कार्यक्षेत्र दिया गया है उससे है। उपस्थित विधेयक में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार कारपोरेशन को केवल

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राथमिक शिक्षा के संचालन का अधिकार होगा । इस संशोधन के द्वारा मैंने यह मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा को, सेकेण्डरी एजुकेशन को भी कारपोरेशन के अन्तर्गत दे दिया जाये । अभी भी दिल्ली में जो माध्यमिक शिक्षा चल रही है उसके लिये धन राशि की व्यवस्था करना सरकार का काम है और अगर कारपोरेशन को माध्यमिक शिक्षा दे दी जायेगी और उसके साथ ही केन्द्रीय सरकार धन राशि देती रहेगी तो कारपोरेशन माध्यमिक शिक्षा का ठीक तरह से निर्वाह कर सकेगा । दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा के अनेक स्कूल हैं उनकी अपनी समस्यायें हैं । दिल्ली में असेम्बली नहीं है । क्या हम यह चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी जो छोटी छोटी समस्यायें हैं उनके स्कूलों की, उनके अध्यापकों की, वह पार्लियामेंट के सम्मुख रखी जायें ? पार्लियामेंट का सम्बन्ध अखिल भारतीय समस्याओं से है । अगर हम कारपोरेशन को वास्तविक रूप में अधिकार देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने में गृह मंत्री जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री वाजपेयी जी ने जो संशोधन रक्खा है मैं उसका विरोध करता हूं । इसका कारण यह है कि दिल्ली में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । प्राथमिक शिक्षा की बात मैं कहां तक बतलाऊं । जो वर्तमान म्यूनिसिपल कमेटी है या जो दूसरी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं उनके अन्तर्गत जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसमें कुछ अध्यापकों के नीचे ७०, ७० लड़के पढ़ाये जाते हैं । आप विचार कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था के अन्दर प्राथमिक शिक्षा पर ही ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है । दिल्ली नगर निगम का जो विधेयक है उसमें प्राथमिक शिक्षा को तो रखा गया है लेकिन जहां माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा को नहीं संभाल सका वह माध्यमिक शिक्षा को क्या संभाल सकेगा । इसलिये शिक्षा के प्रश्न को सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाये । केन्द्रीय सरकार का उस के ऊपर चैक रहेगा । जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में एक कंसल्टेटिव कमेटी है । उसको पूर्ण अधिकार है । वहां पर प्रश्न किया जा सकता है, वहां विवाद हो सकता है, वहां दिल्ली के हर मसले पर विचार किया जा सकता है, हर मामले को उठाया जा सकता है चाहे वह केन्द्र से सम्बन्धित हो चाहे दिल्ली प्रशासन से सम्बन्धित हो । मैं नहीं समझता कि वह प्राथमिक शिक्षा पर तो विचार करेगी लेकिन माध्यमिक शिक्षा पर क्यों नहीं करेगी । माध्यमिक शिक्षा की जो बुराइयां हैं उनको हम जानते हैं । आज भी माध्यमिक शिक्षा के लिये जो हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की कमी है, लेकिन इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही रहा है कि वे या तो बिल्कुल म्यूनिसिपल कमेटियों के पास रहे हैं या फिर दिल्ली प्रशासन के पास रहे हैं । अब वह केन्द्रीय सरकार की देखरेख में चल रहे हैं और उन में इस वर्ष काफी सन्तोषजनक काम हुआ है जहां तक माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों का सम्बन्ध है, उन के भवनों का सम्बन्ध है, वे सारे स्कूल टेंटों में चलाये जाते थे । यह बड़े हर्ष की बात है कि जब से केन्द्रीय सरकार ने इस काम को सम्भाला है, जगह जगह पर उनके भवन निर्मित हो रहे हैं ।

अतः श्री वाजपेयी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं ।

†**श्री दातार** : जैसा कि गृह मंत्री पहिले ही बता चुके हैं मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा का दायित्व बहुत बड़ा है । वे यह भी बता चुके हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

की इमारतों के लिये ही उन्हें कई लाख रुपये व्यय करने होंगे। म्यूनिसिपल कारपोरेशन यदि चाहती है तो वह माध्यमिक शिक्षा का संचालन कर सकती है तथापि इस प्रयोजन के लिये एक विभाग स्थापित करने का पूरा दायित्व कारपोरेशन पर नहीं है। मेरे विचार से प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में ही नगरपालिका निगम पर बहुत बड़ा दायित्व होगा। इसलिये इस स्थिति में निगम पर और अधिक बोझ डालना उचित नहीं होगा।

नगरपालिका निगम यदि उचित समझे तो इस प्रश्न को ले सकती है। क्योंकि इसका उल्लेख उसके इच्छित विषयों के अन्तर्गत किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या इसे अनिवार्य बनाया जाये। मेरे विचार से ये उपबन्ध बिल्कुल उचित हैं और इससे निगम को इस बात के लिये भी पर्याप्त समय मिल जायेगा कि वह पहिले प्रारम्भिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर सके और तब इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या माध्यमिक शिक्षा लेनी चाहिये अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४३ और ४४ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ४५--(स्थायी समिति का गठन)

†**श्री वाजपेयी** : मैं संशोधन संख्या ३९ प्रस्तुत करता हूं।

क्लाज़ ४५ का सम्बन्ध स्टेंडिंग कमेटियों (स्थायी समितियों) के निर्माण और उनकी चुनाव पद्धति से है। इसकी एक धारा में मैंने कुछ जोड़ने के लिये संशोधन रखा है। जो भी स्टेंडिंग कमेटियां बनेंगी, उनके सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होगा, इस का यहां स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बहुत आवश्यक है और इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि कारपोरेशन के जो भी सदस्य होंगे उन सभी को स्टेंडिंग कमेटियों में उनकी संख्या और शक्ति के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल सके। साथ ही साथ इस बात की आशंका है कि स्टेंडिंग कमेटियों में उसी पक्ष के सदस्य बहुत बड़ी संख्या में पहुंच जायेंगे जिनका बहुमत कारपोरेशन में है। यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इससे स्टेंडिंग कमेटियां कारपोरेशन के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगी। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि स्टेंडिंग कमेटियों के सदस्यों का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रिजेंटेशन की पद्धति से होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कम से कम यह इतना छोटा सा संशोधन तो मान ही लिया जायेगा।

†**श्री दातार** : मैं यह संशोधन इसलिये स्वीकार नहीं करता हूं कि स्थायी समिति का निर्माण सामान्य तरीके से होने पर सदस्यों तथा समिति का कार्य अधिक सुचारू रूप से चलेगा। यह बात समानुपातिक प्रतिनिधित्व से नहीं आ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३९ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४६ से ५३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ५४--(आयुक्त की नियुक्ति इत्यादि)

†**श्री वाजपेयी** : मैं संशोधन संख्या ४८ प्रस्तुत करता हूं ।

इस विधेयक की जब आलोचना की गई थी, उस समय इस बात पर भी आपत्ति हुई थी कि कारपोरेशन के साथ जो कमिश्नर का पद जोड़ा गया है, उस पद के साथ आवश्यकता से अधिक अधिकार जोड़ दिये गये हैं और कारपोरेशन के लोकतंत्रात्मक स्वरूप पर इस तरह से भी प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया गया है । कमिश्नर के पद के लिये जो भी सज्जन नियुक्त हुये हैं, उनकी योग्यता के सम्बन्ध में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता । सुना जाता है कि वे बड़े योग्य हैं । लेकिन उनके हाथ में इतने अधिकार दे दिये जायें यह ठीक नहीं होगा । दूसरी ओर चुने हुये जो सदस्य हैं और जो मेयर है उसके कार्य करने के क्षेत्र को भी सीमित करना होगा ।

कमिश्नर महोदय को हटाने के सम्बन्ध में भी जो व्यवस्था की गई है वह बड़ी कठोर है, उसे भी कुछ सरल किया जाना चाहिये । यदि कमिश्नर महोदय कारपोरेशन के बहुमत का विश्वास खो देते हैं और हम बहुमत का विश्वास खो देने मात्र पर उनको हटा देने की व्यवस्था नहीं करते तो इसका परिणाम यह होगा कि कारपोरेशन के कार्य में गतिरोध पैदा हो जायेगा । उनको सीधे सादे सरल बहुमत से हटा दिया जाये, इस मत का तो मैं भी नहीं हूं । लेकिन जो व्यवस्था की गई है, उसमें मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है कि सदस्यों के तीन बटा पांच के स्थान पर सदस्यों की कुल संख्या तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से शब्द रख दिये जायें और इस तरह से इस धारा का संशोधन कर दिया जाये ।

†**श्री दातार** : इस सम्बन्ध में सदस्य का दृष्टिकोण गलत है । म्यूनीसिपल आयुक्त की नियुक्ति उसके कार्य संचालन के लिये की जाती है । केवल अपवाद स्वरूप स्थितियां अत्यधिक अनियमितताओं के कारण ही उसे हटाया जा सकता है । ऐसी स्थिति में यदि उसे हटाना सरल होगा तो बहुत कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । यह व्यवस्था सयुक्त समिति ने पूर्ण विचार के पश्चात् ही की है । यदि तीन बटा पांच से कम बहुमत नहीं है तो यह पर्याप्त है इससे उसके चरित्र पर रोक लगेगी और एक स्वस्थ्य परम्परा कायम होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ५५—(आयुक्त का वेतन और भत्ते)

†**श्री वाजपेयी** : मैं अपना संशोधन संख्या ४९ प्रस्तुत करना चाहता हूं : क्लाज ५५ में जो म्युनिसिपल कर्मचारी होंगे, उनकी तनख्वाह और उनके भत्ते के बारे में निश्चय करने के अधिकार के सम्बन्ध में विवरण दिया गया है और जो भी व्यवस्था की गई है उसके अनुसार इस सम्बन्ध में कमिश्नर को सर्वाधिकार दे दिया गया और यह कहा गया है कि कमिश्नर और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित जो भी वेतन भत्ते होंगे, उनके अनुसार कर्मचारियों को अदायगी करेगा। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में यदि कारपोरेशन कोई सिफ़ारिश करे तो उसका भ विचार किया जाना चाहिये।

मेरे संशोधन का अर्थ यह नहीं है कि कारपोरेशन से पूछा ही जाय लेकिन यदि कारपोरेशन बहुमत से इस बात का निर्णय करे कि तनख्वाह और भत्ते के बारे में उसे भी कुछ सिफ़ारिशें करनी चाहियें तो इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था होनी आवश्यक है कि इस तरह का प्रबन्ध किया जाय। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बड़ा रीज़नेबुल (उचित) है और इसे स्वीकार किया जायेगा।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

†**श्री दातार** : यह उचित और व्यवहारिक नहीं है। आयुक्त एक उच्च अधिकारी हैं। सरकार एक उच्चाधिकारी नियुक्त करेगी और निगम को उसके वेतन और भत्ते देने होंगे। इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिये। उसके ऊंचे पद का विचार करना चाहिये न कि वेतन का। कम वेतन देने से सम्भव है अधिकारी उपयुक्त न हो तब कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी क्योंकि, उस पद के दायित्व बहुत अधिक हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४९ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड ५५ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५६ से ५८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा संबंधी उनके वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब दूसरा कार्य आरम्भ करेगी।

†**श्री मसानी** (रांची-पूर्व) : सभा यह जानना चाहेगी कि आज चर्चा समाप्त होने पर यह विषय कल कब लिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल प्रश्न काल के पश्चात् सर्वप्रथम यही विषय लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मसानी** : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि अमेरिका, कनाडा, इंगलैंड और पश्चिम जर्मनी की अपनी यात्रा के बारे में वित्त मंत्री के वक्तव्य पर जो १३ नवम्बर १९५७ को सभा पटल पर रखा गया था विचार किया जाये"।

उक्त प्रस्ताव स्वतंत्र संसदीय दल की ओर से मेरे द्वारा रखा गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि लोगों का ध्यान विदेशी मुद्रा की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया जाय और देश में ऐसी स्थिति पैदा की जाय कि विदेशी पूंजी आकर्षित की जा सके। हमें इस समय ७०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है वस्तुतः सत्य तो यह है कि हमें अगले ५० वर्षों में इससे कहीं अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक है और सम्पत्ति बहुत कम इसलिये यदि हम जनता की दशा को और अधिक बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो हमें अपने देश में बचत की वृद्धि करनी चाहिये और विदेशों से आर्थिक सहायता लेनी चाहिये।

चीन जैसा साम्यवादी देश भी अन्य देशों से बहुत बड़ी मात्रा में सहायता ले रहा है। प्रोफेसर काल्डर जो चीनी सरकार के निमंत्रण पर चीन गये थे उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है कि चीन में जर्मनी, हंगरी और चेकोस्लावाकिया और रूस के हजारों कारीगर हैं यदि भारत को इसका पांचवा हिस्सा भी सहायता मिलती तो भारत का अत्यंत हित होता। हमें विदेशी मुद्रा केवल उसी देश से प्राप्त हो सकती है जिन देशों का पर्याप्त औद्योगीकरण हो चुका है और जिनका जीवन स्तर ऊंचा है। युद्धोत्तर कालीन अवधि में अमेरिका से बहुत बड़ी राशि में पूंजी का निर्यात हुआ है लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिला है क्योंकि हमारे देश में पूंजी की आवश्यकता अभी हाल से अनुभव होने लगी है। अभी भी हमारी कई विधियां और प्रशासनिक प्रणाली इस प्रयोजन के निमित्त उपयोगी नहीं बनी हैं।

मैं वित्त मंत्री के अमेरिका जाने के कुछ समय उपरांत ही अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग विकास सम्मेलन के निमंत्रण पर अमेरिका गया था। वहां मैंने यह अनुभव किया कि वित्त मंत्री ने वहां भारत के मामले को बड़ी योग्यता और चतुरतापूर्वक उपस्थित किया है और सभी व्यक्ति इनके तर्कों से प्रभावित हुये हैं और भारत की आवश्यकता के सम्बन्ध में दिलचस्पी रखते हैं। उक्त सम्मेलन का सभापतित्व विश्व बैंक के सभापति यूजीन ब्लेक कर रहे थे। उसमें भारत के २० प्रतिनिधि उपस्थित थे। भारत का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में मैंने और भारत के रक्षित बैंक के गवर्नर श्री एच० वी० आर० आयंगर ने किया। हमने सम्मेलन में भारत में विदेशी पूंजी की आवश्यकता का कारण बताया और सरकार की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को उनके समक्ष रखा तथा उन्हें यह बताया कि हमारी अर्थ व्यवस्था लोकतन्त्रात्मक आधार पर निर्भर है और हम सर्वाधिकार वाद को भारत से दूर रखने के लिये कटिबद्ध हैं।

इसमें सन्देह नहीं अमेरिका में भारत के प्रति भ्रांति फैली हुई है और वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा से यह भ्रांति कई अंशों में दूर हो गई लेकिन भ्रांति के अलावा कुछ बाधायें भी हैं। सबसे मुख्य बाधा वहां की सरकार का स्वरूप है वहां की सरकार अध्यक्षीय प्रकार को सरकार है इस कारण यदि प्रेसीडेंट, उनके सलाहकार और वहां का प्रशासन भारत को सरकारी स्तर पर ऋण देने को सहमत भी हों तो भी उन्हें कांग्रेस की अनुमति लेनी होगी। क्योंकि धन सम्बन्धी शक्तियां कांग्रेस के पास हैं इसलिये प्रेसीडेंट इतनी बड़ी राशि की सहायता नहीं दे सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मसानी]

इस सम्बन्ध में कि यह प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मुख रखा जाये अमेरिका और भारत में पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोग इसे कांग्रेस के सम्मुख रखने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस के अस्वीकार करने पर अमरीका तथा भारत के सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का यह मत है कि यदि इस मामले को सुयोजित तरीके से रखा जायेगा तो कांग्रेस आधा अरब ही नहीं बल्कि एक अरब भी सहायता दे सकती है। इसके अलावा अन्य बाधायें भी हैं। पहिला वहां की जनता कृत्रिम उपग्रह तथा तत्सम्बन्धी सैनिक-अस्त्रों की प्रगति में रूस का मुकाबला करना चाहती है। दूसरा १९५८ में अमेरीका में चुनाव होंगे इसलिये वे कर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। तीसरा कारण पूर्व वर्तिताओं का है वे यह विचार कर रहे हैं कि किन देशों को सहायता दी जाय और किन देशों को न दी जाय।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी निष्पक्ष वैदेशिक नीति और समाजवादी ढांचे का समाज बनाने के निश्चय से हमारे ऋण प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं हुई है। हमारे योग्य राजदूत भी अमेरिका में ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं जिससे ऋण लेने में सुविधा हो लेकिन दुख की बात यह है कि वहां के सभी क्षेत्रों में हमारे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के वक्तव्यों से असंतोष हैं।

अब मैं समन्याय पूंजी को लेता हूं। मैं वित्त मंत्री की इस बात का समर्थन करता हूं कि इस सम्बन्ध में भविष्य में अच्छी प्रगति होने की आशा है क्योंकि भारतीय तथा अमरीकी उद्योग-पति दोनों एक दूसरे को अधिकाधिक समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण अमरीकी उद्योगपति भारत में पूंजी लगाने के पहिले अधिक विचार करता है उस सम्बन्ध में सरकार भी पर्याप्त सहायता कर सकती है। पहिला भारत में उचित लाभ और आय की जो दर है वह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है।

हम विदेशी निर्माताओं को जो स्वामिस्व देते हैं वह उत्पाद की बिक्री का अधिकतम ५ प्रतिशत है लेकिन हम अभारतीयों से इस स्वामिस्व पर जो कर लेते हैं वह ६२ प्रतिशत है जब कि संसार के अधिकांश देशों में कर की दर इससे पर्याप्त कम है। दूसरे विदेशी विनियोजकों को यह खतरा रहता है कि कभी भी भारत की सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। इसी कारण अमरीका की सरकार अपने नागरिकों के विनियोजन के एवज में कोई प्रत्याभूति न दे सकी।

देशी विनियोजकों के प्रति भी सरकार का रवैया पर्याप्त कठोर है। हम करों की राशि बढ़ाते जा रहे हैं। तथा हम केवल विदेशी टेक्नीकल कर्मचारियों को ही कर की छट देते हैं जब कि पर्यवेक्षक कार्यकर्त्ताओं को भी यह छूट मिलनी चाहिये।

हमारे देश में कारखानों की स्थापना करने के लिये विनियोजक को कई अधिकारियों के पास जाना होता है और यह प्रणाली बड़ी दुरूह और विलम्बकारी है। इस प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये। अन्य देशों, उदाहरणार्थ हालेंड में उद्योगीकरण का एक महानिदेशालय खोला गया है विदेशी विनियोजकों को केवल उसी विभाग के पास जाना होता है। इजरायल ने विदेशी विनियोजकों को आकर्षित करने के लिये कई करों तथा सम्पत्ति कर, आयकर इत्यादि से पहिले कुछ वर्षों तक मुक्ति दे दी है। इस प्रकार अन्य देश विदेशी पूंजी को आकर्षित कर रहे हैं। यदि भारत जनसंख्या और पूंजी की इस विषमता को दूर करना चाहता है तो उसे भी इस प्रणाली में कुछ ठोस सुधार करने चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में सरकार की जागरुकता की प्रसंशा करता हूं और वित्त मंत्री की विदेश-यात्रा का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जायेगी जो सरकार के इस कार्य के विरुद्ध प्रभाव डालेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस सम्बन्ध में संशोधनों के रूप में कई स्थानापन्न प्रस्ताव आये हुये हैं जो सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : मैं संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री त० द० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय): मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुये।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : सभा के इस पक्ष के सदस्य न तो माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य से प्रसन्न हैं और न ही उन्हें इनका विदेशों में योजना के लिये धन मांगना अच्छा लगा है। वे कहते तो हैं कि न तो वे कोई आशा ले कर गये थे और न ही उन्हें कोई निराशा हुई है। परन्तु यह केवल वाग्जाल है। उन के जाने की जितनी धूम थी उतनी ही निराशा का बातावरण उन के वापस आने पर दिखाई दिया है।

कल तक ही तो वित्त मंत्री कहते थे कि योजना में कोई काट छांट नहीं की जायेगी अतः आज काट छांट होती हुई देख कर देश को दुख होता है। यह ठीक है कि श्री मसानी ने उनकी पीठ ठोंकी है परन्तु यह तो देखिये कि उन्होंने देश के हितों को कितनी हानि पहुंचाई है।

माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि उनके विदेश जाने के दो प्रयोजन थे एक तो अमरीका इंगलैंड कनाडा और पश्चिमी जर्मनी से सहायता प्राप्त और दूसरे वहां भारत की योजनाओं के प्रति सद्भाव पैदा करवाना। दोनों ही प्रयोजनों में वे निष्फल हुये हैं। यह ठीक है कि व्यक्तिगत दृष्टि से उन का प्रखर व्यक्तित्व है परन्तु हम तो उन से यह आशा करते थे कि भारत के हितों के लिये कार्य करेंगे।

अब हम देखेंगे कि अमरीका से हमें कितना धन मिलता है। परन्तु उन्होंने यह दावा अवश्य किय है कि वे अमरीका में हमारी मूल नीतियों सम्बन्धी फैली हुई गलत धारणाओं को दूर करने में सफल हुये हैं। श्री मसानी के अनुसार प्रतिरक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा उत्पन्न की गई शंकाओं का निवारण किया गया। अच्छा होगा कि माननीय मंत्री श्री मसानी को बता दें कि प्रतिरक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री ने ऐसी कोई शंकायें पैदा नहीं की थीं।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री अपने उस विशेष भेंट के विषय में स्थिति को और स्पष्ट कर दें जिस के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा है कि वहां श्री डांगे का नामोल्लेख किया गया था और वित्त मंत्री कहते हैं कि उन्होंने यह कहा था कि बर्मा के सीमान्त प्रदेश में गड़बड़ से भारत में कुछ लोग लाभ उठाना चाहते हैं। वहां क्या कहा गया हम नहीं जानते परन्तु माननीय मंत्री को यह तो स्पष्ट करना चाहिये कि देश की मूल नीतियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ह० ना० मुकर्जी]

मुझे संदेह है कि वित्त मंत्री ने अमरीका और इंगलैंड के ऐसे शासकों को प्रसन्न करने के लिये जो आये दिन भारत के विरुद्ध पाकिस्तान और पुर्तगाल को उकसाते रहते हैं, चीन और रूस के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर कुठाराघात किया है। यह ऐसे समय किया गया है जब कि रूस ६० करोड़ रुपये का ऋण दे रहा है।

माननीय वित्त मंत्री को यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि भारत की वैदेशिक नीति स्वतन्त्र है और हम पूरब अथवा पश्चिम कहीं से भी मिलने वाली सहायता के बदले में इसे नहीं छोड़ सकते। हम अपनी आर्थिक नीति में किसी का हस्तक्षेप नहीं सहन कर सकते।

देश यहां समाजवादी व्यवस्था पैदा करने के लिये वचनबद्ध है परन्तु बिड़ला का औद्योगिक मंडल वित्त मंत्री के साथ जाने से कुछ शंका हुई और वित्त मंत्री द्वारा विदेशी पूंजीपतियों को दिये गये आश्वासनों के कारण यह बात यहां फैल गई कि देश में और राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करें।

२८ अक्तूबर १९५७ की 'टाइम्स' पत्रिका में रक्षित बैंक के गवर्नर का वक्तव्य आया है जिस में उस ने कहा है कि भारत का लक्ष्य समाजवादी समाज नहीं वरन् एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था करना है ऐसे उच्च पदाधिकारी के शब्दों पर विश्वास किया जा सकता है। अतः माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना चाहिये।

वित्त मन्त्री ने हमारी कठिनाइयों के प्रति इंगलैण्ड के दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। उनकी अर्थ-व्यवस्था भी डांवाडोल है। परन्तु आवश्यकता में हम एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। इसकी बजाए इंगलैण्ड की बैंक दर बढ़ाई जा रही है जिस का अभिप्राय यह है कि हमें पौंड पावना में लगभग २५ करोड़ रुपये की हानि होगी। हमारे निर्यातकर्ताओं को भी बहुत हानि होगी। परन्तु इंगलैण्ड अपने से दरिद्र समाजवादी देशों की तरफ हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। इंगलैण्ड के एक बहुत उदार नीति वाले पत्र ने कहा है कि भारत ने योजना में एक जुआ खेला है जिसमें वह सर्वथा असफल हुआ है परन्तु इंगलैण्ड इस संकट में कोई सहायता नहीं कर सकता।

पश्चिमी जर्मनी और अमरीका हमें इस शर्त पर कुछ सहायता देने के लिए तैयार हैं कि हम समाजवादी व्यवस्था की घोषणा पर भी अपने गैर सरकारी उद्योग की श्री वृद्धि करें। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को यह स्वीकार नहीं करना चाहिये। सम्भवतः वित्त मंत्री पूंजीपतियों के पास इस भय के कारण गये कि कहीं वे हमारी समाजवादी महत्वाकांक्षाओं को नष्ट न कर दें। यदि सरकार ने इस विचार से उन्हें भेजा था वह इस के लिए स्पष्टीकरण दे।

अमरीका के साथ हमारे व्यापार की स्थिति घाटे की स्थिति है। परन्तु आयात निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन के १९५६ के प्रशासनिक प्रतिवेदन से पता लगता है कि निर्यात की अपेक्षा हमारा आयात ही बढ़ रहा है। १९५५ में हमने ५६७ लाख रुपये और १९५६ में ८३० लाख रुपये व्यय किये हैं। इस विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में वित्त मंत्री और सरकार से चर्चा करने के लिये तैयार हैं परन्तु हम यह ऊंची ऊंची बातें नहीं सुनना चाहते कि हमें आयात के बारे में ध्यान रखना चाहिये क्योंकि सरकार की अवांछनीय नीति के कारण ही देश को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

व्यक्तिगत रूप में वित्त मन्त्री के लिए मेरे मन में बहुत आदर है परन्तु वित्त व्यवस्था का कार्य उस के हाथ में रहे यह मैं नहीं चाहता। धन की अपेक्षा लोगों के उत्साह, आत्मसम्मान और स्वतन्त्रता

की आवश्यकता है । परन्तु वि त मन्त्री ने विदेश में जो कुछ कहा है वह देश के लिए अपमानजनक है । अतः वित्त व्यवस्था का उत्तरदायित्व उस के हाथ में रहने देना उचित नहीं ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मैं आरम्भ से ही यह विचार करता था कि वित्त मंत्री को पैसा मांगने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिये । परन्तु वे गये और उन के वहां दिये गये भाषणों के कारण भारत का सिर नीचा हो गया है ।

लेकिन, हमारे वित्त मंत्री ने विदेशों में जाकर इस प्रकार कार्य किया है जैसे कि हम विदेशी सहायता के बिना इस पंचवर्षीय योजना को पूरा ही नहीं कर सकेंगे । यह हमारे देश की प्रतिष्ठा के लिये शोभन नहीं है ।

हमें यह कार्य अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा कराना चाहिये था जो व्यापार सम्बन्धी वार्तायें करते ही रहते हैं । वे ही यह पता लगा सकते थे कि विदेशों में हमारे देश को ऋण देने के लिये अनुकूल वातावरण है या नहीं । हमें वित्त मंत्री को इस कार्य के लिये नहीं भेजना चाहिये था ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी सरकार यही करती है । हम यहां से एक बड़े कूटनीतिज्ञ को भेजते हैं और वह अन्य कूटनीतिज्ञों से परामर्श किये बिना ही चीजें तय करने लगता है ।

आर्थिक क्षेत्र में भी हमने वही किया है । सरकार ने अपने देश के अमरीका-स्थित प्रतिनिधि से कोई परामर्श किये बिना ही, या उन पर ऋण सम्बन्धी वार्ता करने का कोई दायित्व रखे बिना ही, वित्त मन्त्री को उसके लिये अमरीका, इंगलैण्ड और जर्मनी में भेज दिया था । इस प्रकार, भीख मांगने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती ।

और, ऋण भी मांगा गया तो अमरीका से, जो काश्मीर और गोवा के मामले में सिद्ध कर चुका है कि भारत का मित्र नहीं है । और, इंगलैण्ड ने तो काश्मीर की समस्या के सम्बन्ध में आरम्भ से ही ग़लत रवैया रखा है ।

क्या वित्त मंत्री को इतना आरम्भिक ज्ञान भी सिखाना पड़ेगा कि राष्ट्रों की राजनीति ही उनके वित्तीय दृष्टिकोण को निश्चित करती है ?

श्री मसानी ने कहा था कि हमारी अर्थ-व्यवस्था सुस्थित है । वित्त मन्त्री को विदेश-यात्रा से सम्बन्धित उनके भाषणों से स्पष्ट है हमारी अर्थ-व्यवस्था वर्तमान योजना की असफलता से असफल भी हो सकती है । उन्होंने यही कहा था ।

हमारी नीति तो तटस्थता की है, लेकिन हमारे यहां अधिक बोलने का मर्ज सा है । इसी से हमें हानि होती है ।

यह इसीलिये कि कम बोलने वाले कम ही गलतियां करेंगे ।

माननीय वित्त मंत्री को इसका आश्चर्य है कि मेरी उनकी पटरी नहीं बैठती । मेरी किसी भी उस व्यक्ति से पटरी नहीं बैठती जो अपने बूते से अधिक करने का दावा करता हो ।

माननीय वित्त मंत्री जब वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री थे, तब उन्होंने बड़े खुले हाथ से आयात के लिये अनुज्ञप्तियां बांटी थीं । उस समय उन्होंने मुझ से कहा था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जिस देश से भी चाहे अपनी चीजें आयात करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

यह नीति कांग्रेस की अब तक की नीति के विपरीत है। इस देश का आर्थिक विनाश इसीलिये हुआ है कि हमने स्वदेशी के सिद्धान्त को त्याग दिया है। आज भी यदि हम अपने देश के व्यक्तियों को ही देश की वास्तविक पूंजी समझें तो हमें किसी अन्य देश की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

आज हमारे देश के कई उद्योग विदेशियों के हाथों में हैं। हम उन पर से विदेशी पूंजी की जकड़ ढीली करने का साहस क्यों नहीं करते? उल्टे, हम भीख मांगते फिरते हैं। यदि हम अपनी सम्पदा का इस प्रकार अपव्यय न करें, तो हमारा देश समृद्ध हो सकता है।

हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही योजना बनानी चाहिये। हमें अपने ही बल पर, अपने वित्त के अनुसार ही योजना बना कर कार्य करना चाहिये। हम इसे भूल गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, २८ नवम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१२२१–४७
तारांकित प्रश्न संख्या		
५२८–क	म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर	१२२१–२२
५२९	बेरोजगारी का सर्वेक्षण	१२२२–२४
५३०	गांधी समाधि का डिज़ाइन	१२२५
५३१	काम दिलाऊ दफ्तर	१२२५–२६
५३२	वित्त मंत्री की 'न्यूयार्क टाइम्स' के सम्वाददाता से भेंट	१२२६–३२
५३३	भूमि सुधार	१२३२–३३
५३४	फोम शीशा	१२३३
५३५	सड़क कूटने के इंजन	१२३४
५३६	उर्वरक	१२३४
५३७	कागज तथा कागज के गूदे के उद्योग के लिये नामों की तालिका	१२३५–३६
५३८	एकीकृत आवास योजना	१२३६–३७
५३९	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	१२३७–३८
५४१	द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष	१२३९
५४२	पुर्तगाली पत्तन पर भारतीय चालकवृन्द	१२३९–४०
५५०	विदेशी विनिमय की मांग	१२४०–४२
५५२	कपड़ा मिलें	१२४२–४३
५५५	छोटे पैमाने के उद्योग	१२४३–४४
५५८	नेशनल इंस्ट्रमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१२४४–४५
५५९	बर्मा में भारतीय	१२४५–४६
५६०	सिंचाई की छोटी योजनायें	१२४६–४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१२४७–८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४०	खाल और कच्चे चमड़े का उद्योग	१२४७
५४३	औद्योगिक श्रमिक	१२४८
५४४	निष्क्रान्त सम्पत्तियों का विनिमय	१२४८
५४५	प्रव्रजन	१२४८–४९
५४६	बाल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग का उत्पादन	१२४९
५४८	आसाम में उद्योग	१२४९
५४९	नारियल जटा उत्पाद	१२५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५५१	हस्त-शिल्प	१२५०
५५३	राष्ट्र संघ सचिवालय	१२५०–५१
५५४	मैसूर की दूसरी पंचवर्षीय योजना	१२५१
५५६	पोलिश वैज्ञानिक	१२५१
५५७	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	१२५१–५२
५६१	नई कपड़ा मिलें	१२५२
५६२	पाकिस्तानियों द्वारा चर्लोण्ड (कछार भूमि) पर कब्जा	१२५२–५३
५६३	पाकिस्तान से जूट की कतरन का आयात	१२५३
५६५	सुपरफासफेट कारखाना	१२५३–५४
५६६	गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में विनियोजन	१२५४
५६७	भारतीय आर्थिक मिशन	१२५४
५६८	वृत्त-चित्र	१२५४–५५
५६९	चावल की मिलें	१२५५
५७०	चाय बागान	१२५५
५७१	बिजली के मीटर	१२५५–५६
५७२	उपभोज्य वस्तुयें	१२५६
५७३	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	१२५६
५७४	नारियल जटा की चटाइयां और पट्टियां	१२५७
५७५	ढलाई तापकुट्टन परियोजना	१२५७
५७६	लागत लेखापाल का 'टेल्को' पर प्रतिवेदन	१२५७
५७७	किशनगढ़ (राजस्थान) की कपड़ा मिल का बन्द होना	१२५७–५८
५७८	पटसन उत्पाद	१२५८
५७९	त्रिभुवन राज-पथ पर ट्रक दुर्घटना	१२५८
५८१	आयात तथा निर्यात व्यापार	१२५९
५८२	इंजीनियरिंग उद्योग	१२५९
५८३	जापान को लौह अयस्क का संभरण	१२५९–६०
५८४	सीमेंट के कारखाने	१२६०
५८५	प्रति-जारण पदार्थ	१२६०

अतारांकित प्रश्न संख्या		
७१८	अशोक होटल	१२६१
७१९	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	१२६१
७२०	विस्थापित व्यक्तियों को लाहें की नालोदार चादरों का वितरण	१२६१–६२
७२१	इम्फाल का काम दिलाऊ दफ्तर	१२६२
७२२	आकाशवाणी	१२६२-६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७२३	आंध्र में हथकरघा उद्योग	१२६३
७२४	कारीगरों का प्रशिक्षण	१२६३–६४
७२५	बच्चा गाड़ियों का निर्यात	१२६४
७२६	पटसन की खपत	१२६४
७२७	नेपा कागज़ मिल	१२६५
७२८	नाप तथा तोल की मीट्रिक प्रणाली	१२६५
७२९	नेपा कागज़ मिल	१२६४
७३०	गन्ने की खोई से समाचार पत्र का कागज	१२६५
७३१	हिमाचल प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	१२६६
७३२	बेतिया के विस्थापित व्यक्ति	१२६६
७३३	राष्ट्रीय योजना दिवस	१२६६–६७
७३४	'न्यू लाजपत राय मार्केट'	१२६७
७३५	विक्रय-पत्र	१२६७
७३७	सीमेंट की वितरण एजेंसियां	१२६८
७३८	बिंदवासिनी समिति प्रतिवेदन	१२६८
७३९	युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मन मशीनें	१२६८
७४०	पर्वतारोही दल	१२६९–७०
७४१	क्वार्टरों में बिजली लगाना	१२७०
७४२	काफी और चाय बागान के लिये उर्वरक	१२७०–७१
७४३	गोआ में भारतीय श्रमिक	१२७१
७४४	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	१२७१
७४५	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण द्वारा प्रेषण	१२७२
७४६	चाय बागानों में गृह बस्तियां	१२७२
७४७	अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना	१२७२
७४८	व्यापार संतुलन	१२७३
७४९	सूडान के लिये भारतीय अधिकारी	१२७३
७५०	हेग न्यायालय	१२७४
७५१	विद्युदंशिक तांबा	१२७४
७५२	मोटर साइकिल और साइकल-रिक्शों के पुर्जे	१२७४
७५३	इंजीनियरों की भरती	१२७४–७५
७५४	'इण्डिया एण्ड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर सोसाइटी'	१२७५
७५५	हिमाचल प्रदेश में श्रम विभाग	१२७५–७६
७५६	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	१२७६–७७
७५७	सिंदरी उर्वरक कारखाना	१२७७
७५८	पारपत्र	१२७७
७५९	लुहारी का प्रशिक्षण	१२७८
७६०	पुनर्वास मंत्री सम्मेलन	१२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७६१	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	१२७८–७९
७६२	भारतीय व्यापार मिशन और प्रतिनिधि मण्डल	१२७९
७६३	पंजाब में स्थानीय विकास कार्य	१२७९
७६४	पंजाब में उद्योग	१२७९–८०
७६५	जालंधर में आकाशवाणी केन्द्र	१२८०
७६६	अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना	१२८०–८२
७६७	मूंज उद्योग	१२८३
७६८	कपड़ा मिलें	१२८३
७६९	उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों की सफाई	१२८३
७७०	सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं	१२८४
७७१	अंदमान और निकोबर द्वीपों के लिए योजनाएं	१२८४–८५
७७२	रेडियो वार्ता	१२८५
७७३	ग्रामदान कार्य	१२८५
७७४	कपड़ा मिलें	१२८५–८६
७७५	हथकरघा वस्त्र	१२८६
७७६	वोज़ा	१२८६
७७७	फोम कंक्रीट और थर्मो कोल	१२८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२८७–८८

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) चाय नियम, १९५४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३६३० की एक प्रति।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली सात अधिसूचनाओं की एक एक प्रति।

राज्य-सभा से सन्देश १२८८

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा २५ नवम्बर, १९५७ की अपनी बैठक में १४ नवम्बर १९५७ को लोक-सभा द्वारा पारित किये गये सरकारी नौकरी (निवास विषयक अपेक्षा) विधेयक, १९५७ से, बिना संशोधन किये सहमत हो गई है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सदस्यों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १२८८

दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित।

विषय	पृष्ठ
विचाराधीन विधेयक	१२८८–१३२०
दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही। विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार आरम्भ हुआ। खण्ड २ से ५८ तक स्वीकृत हुए। खण्डवार विचार समाप्त नहीं हुआ।	
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा संबंधी उनके वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	१३२०–२६
श्री मसानी ने वित मंत्री की विदेश यात्रा सम्बन्धी उनके वक्तव्य पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
गुरुवार, २८ नवम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि—	
दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर विचार और वित्त मंत्री द्वारा अपनी विदेश यात्रा सम्बंधी वक्तव्य पर और आगे चर्चा।	